(1100/SPS/VR)

**(प्रश्न 341)**

**माननीय अध्यक्ष:** श्रीमती जसकौर मीना – उपस्थित नहीं।

**श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर):** अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। लैण्ड एक्विजिशन के बारे में सरकार ने बार-बार कायदों में बदलाव किया हैं, जिससे हम जिनकी जमीन लेते हैं, उनकी मदद हो। इस प्रकार के कायदे किए हैं, लेकिन यह पाया गया है कि जिनकी बड़ी-बड़ी जमीनें हैं, उनको पैसा मिलता है, लेकिन छोटे-छोटे लोगों को बहुत परेशानी होती है। सरकार के पास ऐसा कोई डाटा है, जिससे जांच हो सके, जैसे, हम कैग के माध्यम से जो गलत करने वाला ऑफिसर है, उसके बारे में जांच-पड़ताल करते रहते हैं। ऐसे छोटे लोगों को नियम होते हुए भी पैसा देने में बहुत समय लगाया गया जाता है। क्या इसकी जांच-पड़ताल करके छानबीन करने की कोई व्यवस्था है? अगर नहीं है तो क्या सरकार इसके बारे में सोच-विचार कर रही है?

**श्री नितिन जयराम गडकरी:** सम्माननीय स्पीकर महोदय, यह मुम्बई-दिल्ली कॉरीडोर का विषय है और इसमें मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि टोटल 49 पैकेजेज हैं, जिनमें से 13 पैकेजेज पर लैण्ड एक्विजिशन का काम शुरू हुआ है। इसमें हमारा भूमि राशि एक पोर्टल है। हमनें उसमें अप्रैल, 2018 तक 2842 ऑनलाईन नोटिफिकेशन इश्यू किए हैं, जिसके कारण काफी गति भी आई है। यह प्रोजेक्ट काफी बड़ा है। यह प्रोजेक्ट करीब 1 लाख 3 हजार करोड़ रुपये का है। टोटल पैकेजेज में से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा में राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है कि सभी बड़े-बड़े नेता उसी डिस्ट्रिक्ट से हैं और वे स्वाभाविक रूप से आन्दोलन कर रहे हैं। जो भी लैण्ड एक्विजिशन की कॉस्ट होगी, यह तय करने का अधिकार राज्य सरकार के जो कलेक्टर हैं, जिनको हम काला कहते (CALA) हैं, उनको है। अब होता यह है कि एक जगह लैण्ड की कॉस्ट एक है और दूसरी जगह दूसरी निकलती है। उस जिले में जो स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मूला है, उसके अनुसार कॉस्ट निकलती है। नियम के आधार पर जो कॉस्ट निकलेगी, हम वही कॉस्ट देंगे। मुझे विश्वास है कि 49 पैकेजेज में से टोटल 1291 किलोमीटर का मुम्बई-दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे है। इसमें टोटल कैपिटल कॉस्ट 1 लाख 3 हजार करोड़ रुपये की है। करीब 220 किलोमीटर का डिस्टेंस दिल्ली से मुम्बई के बीच कम होने वाला है।

स्पीकर महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि बैकवर्ड एण्ड ट्राइबल एरिया राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाण है। आप जानते हैं कि पूरा जो बैकवर्ड और ट्राइबल एरिया है, उसका एक ग्रोथ इंजन बनने वाला है। इसलिए मैं सांसदों को आह्वान करूंगा कि यदि वे हमें इसे गति से करने में सहयोग करेंगे तो आने वाले 3 साल में देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस हाइवे का काम पूरा होगा।

(इति)

**माननीय अध्यक्ष:** सभी आपका सहयोग करेंगे।

माननीय सदस्यगण और माननीय मंत्रिगण, अगर आप सहयोग करें तो आज यह 20 प्रश्नों की लिस्ट पूरी कर लें। इसमें आपका सहयोग चाहिए। इसमें माननीय मंत्रिगण का भी पूरा सहयोग चाहिए।

**संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी):** अध्यक्ष जी, सरकार का पूरा सहयोग है।

(1105/SJN/SAN)

**(प्रश्न 342)**

**श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच) :** माननीय अध्यक्ष जी, दिन-प्रतिदिन वनों में पेड़-पौधों और वन सृष्टि का नाश हो रहा है, जिसकी वजह से वनों में रहने वाले जानवर, पक्षी तथा हिंसक प्राणी आसपास के गांवों में पलायन कर रहे हैं। इस कारण किसानों के खेतों की फसलों, पालतू जानवरों और मनुष्य को भी भारी नुकसान हो रहा है। वन्य प्राणी, पक्षी तथा हिंसक पशुओं का वनों से जो पलायन हो रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार क्या वन विभाग से परामर्श करके जलाशय, तालाब तथा वनों के विकास के लिए कोई कदम उठाना चाहती है?

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप लिखकर आए हैं, तो अपने पेन और कागज से अपने प्रश्न को शार्ट कर लें। नहीं तो यह होता है कि वह जो सवाल लिखकर लाते हैं, उसको पूरा ही पढ़ते हैं।

…(व्यवधान)

**श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत :** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो मूल प्रश्न था, उस मूल प्रश्न से यह प्रश्न संबद्ध नहीं है। इसके साथ ही साथ में जो प्रश्न किया गया है, वह प्रश्न जल शक्ति मंत्रालय से संबद्ध होने की बजाय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से संबद्ध है कि वनों की कटाई को किस तरह से रोक सकते हैं। लेकिन माननीय सदस्य की यह चिंता बिल्कुल स्वाभाविक है कि वनों की कटाई हो रही है और मानव पापुलेशन का जिस तरह से विस्तार हो रहा है, उसकी वजह से वन क्षेत्र सिमटते जा रहे हैं। उसके कारण भूमि, वन्य जीवों की जो नैसर्गिक थी, उसमें कमी आई है और इस तरह की घटनाएं दर्ज की गई हैं। अगर वन्य क्षेत्रों में तालाब बनाने हैं, तो वन मंत्रालय ही बना सकता है। जब हम वन्य क्षेत्रों में जाते हैं, तो हम अपना काम करने के उद्देश्य से जाते हैं। मुझे लगता है कि हम सबको काफी सारी रुकावटें झेलनी पड़ती हैं।

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, क्या आप सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछना चाहते हैं?

**श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच) :** माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो लिखित रूप से और अभी मंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक निवेदन है कि फारेस्ट एरिया में फारेस्ट के अलावा और भी बहुत सारी सरकारी जमीनें होती हैं। अगर ऐसी जमीनों में छोटे तालाब या बांध बनाए जाएं, तो वहां के पशु और पक्षियों को पीने का पानी भी मिल सकता है। इसके साथ ही साथ आसपास के जो फारेस्ट विलेज के किसान हैं, उनको सिंचाई हेतु भी पानी मिल सकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि फारेस्ट विभाग से परामर्श करके, ऐसे एरिया में फारेस्ट विलेज के आस-पास जहां पर भी सरकारी जमीनें हैं, क्या वहां पर तालाब बनाने की कोई योजना है?

**श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत :** माननीय अध्यक्ष महोदय, जल राज्यों का विषय है और इस तरह के छोटे जल संसाधनों का निर्माण राज्य सरकारें अपनी अनुकूलता से करती हैं। लेकिन अगर कहीं भी टेक्नोफाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है, तो हमेशा भारत सरकार हैंड होल्डिंग करने के लिए

तैयार है। अगर किसी भी राज्य सरकार से इस तरह का प्रस्ताव आएगा, तो हम निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे।

SHRI FEROZE VARUN GANDHI (PILIBHIT): Sir, when looking at the focus of the Government on proliferation of dams in a given area, it stands to reason that the Government takes the mandatory approvals from the Forest Advisory Committee. My question, through you, to the hon. Minister is this.

How does the Government look at the aggregate impact of a chain of projects on a defined river basin? What is that cut off approval percentage for quantifying environmental impact in a given area? For instance, what is that approval percentage up to which when a certain amount of destruction of flora and fauna happens, that the project is either given the go-ahead or stalled?

Thank you.

**श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत :** माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे बेसिन पर बनने वाले जो प्रोजेक्ट्स और श्रृंखलाएं हैं, उनके अनुरूप किसी भी तरह की परमीशन या असेसमेंट का प्रावधान एमओईएफ के नियमों में नहीं है। उसके लिए वन और पर्यावरण मंत्रालय ने जो पद्धति बनाई है, वह टर्म्स ऑफ रेफरेंस से जो डिसाइड करते हैं, हम उसके आधार पर पहले एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्लान बनाते हैं और उसके बाद उसका एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं। उस प्लान के आधार पर ही जो एमओईएफ है, वह हमको इस तरह की स्वीकृति प्रदान करती है।

मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फारेस्ट, हम जितने भी बांध बनाते हैं, उसमें उनका बहुत सारा स्ट्रिक्ट कंट्रोल और मैनेजमेंट है। यहां तक कि हमने कुछ बांधों में वाइल्ड लाइफ की परमीशन ली है। वाइल्ड लाइफ की परमीशन मिलने के बाद भी अगर टाइगर रिज़र्व की भूमि अधिग्रहित हो रही है, तो उसकी भूमि देने के बाद और उनके पाथ वेज़ डिसाइड करने के बाद भी छोटे-छोटे विषय कि वल्चर अंडे कहां देगा, इसको लेकर भी हमसे एमओईएफ प्रश्न खड़े करती है।

(1110/CS/SM)

उसकी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के बाद इस तरह की अनुमति दी जाती है। निश्चित ही माननीय सदस्य का प्रश्न स्वाभाविक है और इस तरह की व्यवस्था अगर एमओईएफ कोई भी ऐग्रीगेट प्लान बनाने की व्यवस्था करेगी, तो निश्चित ही हम उसकी अनुपालना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

(इति)

**(प्रश्न 343)**

**श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर):** महोदय, लोक सभा में मेरा पहला ही प्रश्न लगा है, इसलिए थोड़ा सा समय दीजिएगा। पहले मैं विधान सभा में था।

**माननीय अध्यक्ष :** आज समय शार्ट में है।

**श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर):** सर, मेरा पहला तारांकित प्रश्न लगा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सारी चीजे रिकॉर्ड में हैं

**माननीय अध्यक्ष :** आप शार्ट में प्रश्न पूछिएगा। डिबेट मत करिए।

**श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर):** महोदय, जिस मामले के लिए मैंने बहुत लंबा संघर्ष किया है, आज मेरा वही सवाल लगा है। मैं फास्ट बोलूंगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जल्दी-जल्दी प्रश्न करना है। वर्ष 1974-75 में जो कमांड एरिया डेवलपमेंट व वाटर मैनेजमेंट योजना शुरू हुई, जिसका जिक्र मेरे सवाल में था। आज मेरे प्रदेश की कुल सिंचित भूमि का 64 प्रतिशत भाग केवल नलकूपों द्वारा बहुत मुश्किल से किसान सिंचित कर पाते हैं। मात्र 33 प्रतिशत क्षेत्र में ही नहरों से सिंचाई होती है। महोदय, जिसमें कुछ इलाके आपके लोक सभा क्षेत्र के भी हैं। 4 जिलों और 2 जिलों में कम सिंचाई होती है।

सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम. कार्यक्रम के अंतर्गत पीएम कृषि सिंचाई योजना का जिक्र माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में किया है। उससे नागौर में जोधपुर जिला लाभान्वित नहीं होता है। राजस्थान में प्रस्तावित आईएसबीआईजी स्कीम में भी नागौर जिला नहीं लिया गया।...(व्यवधान) मैं एक मिनट में सवाल पूछ रहा हूँ।

महोदय, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, वहाँ किसानों की वर्षा पर निर्भरता को देखते हुए आजादी के दशकों बाद भी राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहां का दो-तिहाई भाग वर्षा पर निर्भर करता है। मात्र 33 प्रतिशत क्षेत्र नहरों से सिंचित होता है। इसमें गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ व जैसलमेर हैं। मैं इसमें कोटा के कुछ इलाके छोड़ देता हूँ।

अब मैं मंत्री जी से सवाल पूछ लेता हूँ।

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, अगर आप प्रश्न लिखकर भी लाए हैं, तो आप अपने एक्सपर्ट से कहा करें कि संक्षेप में बनाइए।

**श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर):** महोदय, मैं तो खुद ही लिखता हूँ और रात को तीन-तीन बजे तक जागता हूँ। मेरे मंत्री जी से दो सवाल हैं। क्या मैं अपने दोनों सवाल एक साथ ही पूछ लूँ?

**माननीय अध्यक्ष :** हाँ।

**श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर):** मैं एक साथ ही पूछ लेता हूँ। मेरा पहला सवाल मंत्री जी से यह है कि आईएसबीआईजी की प्रस्तावित स्कीम के तहत राजस्थान की 13 परियोजनाएं शामिल हैं। क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि उक्त योजनाओं या किसी नई योजना के अंतर्गत नागौर व आपके संसदीय क्षेत्र जोधपुर व बाड़मेर के किसानों के प्रत्येक खेत तक पानी कब तक व किस योजना से पहुँचाया जाएगा? इन 13 परियोजनाओं का नाम, लक्ष्य, निर्धारित जिले तथा लक्ष्य सिंचित जमीन का विवरण बताया जाए।...(व्यवधान) मैं दूसरा प्रश्न भी एक साथ ही पूछ लेता हूँ।

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आप बैठिए और एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपने एक प्रश्न पूछने में तीन मिनट लगा दिए।

**श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर):** सर, तीन मिनट नहीं लगाए हैं। मेरा तो पहली बार प्रश्न पूछने का मौका आया है।

**माननीय अध्यक्ष :** नो, आज मुझे बीस प्रश्न पूरे करने हैं।

माननीय मंत्री जी, आप भी संक्षेप में जवाब दे दीजिए।

**श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत :** महोदय, माननीय सदस्य ने मेरे क्षेत्र के किसानों की सिंचाई की चिंता की है, इसलिए मैं उनका अभिनन्दन करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ।

महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि राजस्थान में केवल 33 प्रतिशत क्षेत्र सरफेस इरिगेशन से इरिगेट होता है, बाकी लगभग 67 प्रतिशत क्षेत्र ग्राउंड वाटर बेस्ड इरिगेशन सिस्टम पर निर्भर करता है। माननीय सदस्य की यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं नेशनल एवरेज को देखूँ तो लगभग 65:35 का एवरेज नेशनल एवरेज भी है। हम नेशनल एवरेज से बहुत पीछे हों, ऐसी परिस्थिति नहीं है। सरफेस इरिगेशन बेस्ड स्कीम्स वहीं बनाई जा सकती हैं, जहाँ पानी की उपलब्धता हो, लेकिन राजस्थान में और विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में, जहाँ से माननीय सदस्य और मैं दोनों आते हैं, वहाँ इस तरह का किसी भी तरह का पोटेंशियल नहीं है। जहाँ तक बाड़मेर जिले का प्रश्न माननीय सदस्य ने किया, बाड़मेर जिले के कुछ हिस्सों के लिए मैं धन्यवाद करना

चाहता हूँ गुजरात सरकार के पूर्व मुख्य मंत्री और वर्तमान के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का कि राजस्थान का कोई भी हिस्सा नर्मदा बेसिन में नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने नर्मदा बेसिन के पानी का पॉइंट 5 एमएएफ हिस्सा राजस्थान को देकर राजस्थान के लगभग 2 लाख हैक्टेअर क्षेत्र, बाड़मेर और जालौर के किसानों को उपकृत किया और उनकी सिंचाई की व्यवस्था की है।

(1115/NK/AK)

इसके साथ ही माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जिस स्कीम की इन्होंने चर्चा की है, चाहे पीएमकेएसवाई, एआईबीपी या इसबेक की प्रस्तावित स्कीमें हैं, इन सारी स्कीम्स में जिन जिलों या क्षेत्र को सम्मिलित करना है, यह राज्य सरकार करती है और हम राज्य सरकार के प्रस्ताव पर काम करते हैं। इस तरह की संभावना को देखकर राज्य सरकार प्रस्ताव करेगी तो हम निश्चित ही कार्रवाई करेंगे।

**श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर):** माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन सालों में राजस्थान की कुल 21.17 हैक्टेयर जमीन सिंचिंत क्षेत्र के रूप में विकसित की गई है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सरकार योजना बनाकर नागौर, जोधपुर और बाड़मेर की कुल कितनी जमीन को दो वर्षों में सिंचित क्षेत्र के रूप में विकसित करेगी? क्या लूनी, जोधरी और बांडी आदि नदियों के बहाव क्षेत्र के मूल स्वरूप में लोटागढ़ डैम बनाया जाएगा या नहीं, क्या इस तरह की कोई योजना प्रस्तावित है?

**श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत:** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले प्रश्न का उत्तर दिया था मुझे लगता है कि वह पर्याप्त था।

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय मंत्री जी आप शार्ट में जवाब दें, माननीय मंत्री जी भी मुझे सपोर्ट करें। माननीय मंत्री जी अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।

**श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत:** अध्यक्ष महोदय, दो-तीन बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनके साथ मिलकर हम अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान में और पानी लाया जा सकता है। ईआरसीपी के प्रोजेक्ट्स हैं, हमने 13-14 जिलों के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। जोधरी नदी की रिफिल के लिए भी योजना बना रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं।

(इति)

**(प्रश्न 344)**

**श्री विष्णु दत्त शर्मा (खजुराहो):** माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का उत्तर मिला है। माननीय मंत्री जी ने बहुत टेक्नीकल उत्तर दिया है और मैं उससे सहमत हूं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने सौ करोड़ रुपये की राशि के अलावा दूसरी राशि का भी उल्लेख किया है। मेरे बुंदेलखंड क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये की राशि मिली, 1297 नल जल योजना बनी, लेकिन आज तक 997 पूरी नहीं हुई। बांधों के बारे में माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस बारे में डिटेल सदन के सामने आए, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए जो पैसा दिया गया, क्या उसका उस क्षेत्र के लिए टेक्नीकली उपयोग हुआ है। नल जल योजना, आज डैम की स्थिति क्या है, उसके बारे में माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं।

**श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत:** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बुंदेलखंड के विशेष पैकेज के बारे में प्रश्न किया है। उसके आधार पर राज्यों ने अपना प्रतिवेदन सबमिट किया है। उस प्रतिवेदन को थर्ड पार्टी नाबार्ड कन्सलटेंसी सर्विसेज, वर्ष 2013-14 में सर्वे कराया गया, उसके आधार पर इस पैकेज का इम्पैक्ट बताया गया। इरिगेशन पोटेन्शियल में 61 परसेंट उत्तर प्रदेश, 88 परसेंट मध्य प्रदेश में प्रगति हुई है। यह पैकेज केवल वॉटर रिर्सोसेज से जुड़ा हुआ नहीं था। जल संसाधनों के अतिरिक्त इसे कृषि सिंचाई और पेयजल को जोड़ कर बनाया गया था। इसके बाद टेहरी द्वारा नीति आयोग ने इसका असेसमेंट कराया था, उसके आधार पर बुंदेलखंड के कुछ जिलों में किसानों की आमदनी, आय और उपज तीनों में वृद्धि रजिस्टर की गई है। मैं माननीय सदस्य को विस्तृत जानकारी व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करा दूंगा।

**श्री विष्णु दत्त शर्मा (खजुराहो):** अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में पन्ना, चंदला, राजनगर, पवई और खजुराहो क्षेत्र में रून्ज डैम, गंजाऊं डैम, रनगवार पवई डैम कई सालों से पेन्डिंग है। इन जल संरचनाओं में पानी की टंकी तक बन गई, लेकिन पानी नहीं पहुंचा है। इसी प्रकार पाइप लाइन बिछ गई लेकिन पानी नहीं मिला है।

मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकार को जो पैसा देती है, उसके बारे में ऐसी कोई नीति है कि ये योजनाएं समय पर पूरी हों या अगर नहीं हुई तो केन्द्र सरकार इसकी मोनिटरिंग कर सकती है? इस बारे में उनकी क्या योजनाएं हैं, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

**श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत:** माननीय अध्यक्ष महोदय, जल संसाधनों का विकास राज्यों का अधिकार है। हम उनकी हैंड रोलिंग करते हैं, हम बार-बार बुलाकर इसकी प्रगति की समीक्षा करते हैं और प्रगति में आ रहे अवरोधों को दूर करने का भी प्रयास करते हैं। अंतत: इम्पिलिमेंटशन और कम्पिलेशन राज्य सरकारों का विषय है। राज्य सरकार उस दिशा में जितनी प्रो-एक्टिव मैनर में काम करेगी तो इससे निश्चित ही उतनी शीघ्रता से प्रोजेक्ट पूरा होगा, लेकिन कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के बारे में माननीय सदस्य ने चर्चा की है, हम पीरियोडिकल रिव्यू करते हैं और उसमें इसकी समीक्षा की जाएगी।

(1120/SK/UB)

**श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा):** माननीय अध्यक्ष जी, जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से नदी जोड़ प्रकल्प का काम शुरू किये जाने वाला है। पहले यह मंत्रालय माननीय गडकरी जी के पास था, उस समय मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी थी और शेखावत जी को भी चिट्ठी लिखी है कि महाराष्ट्र में वेनगंगा नदी का पानी नलगंगा में लाने का प्रस्ताव तैयार है और इसका डीपीआर भी शुरू हो गया है। अगर यह पानी पेनगंगा नदी में आता है तो महाराष्ट्र में विदर्भ में सबसे ज्यादा आत्महत्या ग्रस्त किसानों के जिलों, जैसे बुलढाणा, वासिम, यवतमाल, वर्धा और चन्द्रपुर आदि में पानी जा सकता है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी वेनगंगा का पानी पेनगंगा तक लाने की कोई स्कीम बनाने की सोच रहे हैं? अगर सोच रहे हैं तो उसका डीपीआर तैयार करने का काम मंत्रालय द्वारा कब शुरू किया जाएगा?

**श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत:** माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं क्योंकि यह मूल प्रश्न से कहीं भी संबद्ध नहीं है। माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी है वह इंटर स्टेट लिंक है, विदइन द स्टेट लिंक है। इस लिंक की फिजीबिलिटी रिपोर्ट, प्री फिजीबिलिटी स्टडीज़ अभी की जा रही है। हमने आने वाले समय में राज्य के अनुरूप इस लिंक पर काम करना आरंभ कर दिया है। अंतत: जैसे मैंने कहा कि एक ही राज्य में लिंक है। राज्य जिस तरह से भी सहयोग चाहेगा, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

**श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) (बीरभूम):** माननीय अध्यक्ष, आप राज्य सरकार की बात न करें, मैं यह इसलिए बोल रही हूं, आप सोच लीजिए कि एमपी के पास पैसा नहीं है, एमपी के पास जो पैसे आते हैं, उसमें इतने गांवों को कवर नहीं कर सकते हैं। सात-आठ गांवों में एक रिजर्वायर का खर्च दो-तीन करोड़ रुपये होगा, यह एक एमपी से नहीं होगा। आप मिनिस्ट्री की तरफ से सात-आठ गांवों का रिजर्वायर बनाएंगे तो पानी की समस्या बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच में लोगों की समस्या कैसे सॉल्व होगी?

**श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत:** माननीय अध्यक्ष जी, मैंने दोनों प्रश्नों के उत्तर में कहा है कि जल संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप राज्य का विषय है। अगर इस तरह से गांवों के बीच में तालाबों का विकास करने के लिए राज्य सरकारों को ही प्राथमिकता से पहल करनी पड़ेगी। भारत सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, जिनके साथ इसे कन्वल्ज किया जा सकता है। वाटर शैड डैवलपमेंट के साथ इसे कन्वल्ज किया जा सकता है, नरेगा के साथ इसे कन्वल्ज किया जा सकता है। देश में अनेक ऐसी सक्सैस स्टोरीज़ उपलब्ध हैं, जिन राज्य सरकारों ने ठीक से इस दिशा में काम किया है।

गुजरात में जब माननीय प्रधान मंत्री जी मुख्य मंत्री थे, तब सुजलाम् सुफलाम् योजना के माध्यम से, महाराष्ट्र में जल युक्त शिविर के माध्यम से, राजस्थान में मुख्य मंत्री जल स्वाबलंबन योजना के माध्यम से, आंध्र प्रदेश में नीरू चेट्टु के माध्यम से, ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, जिसमें राज्य सरकारों में विभिन्न योजनाओं को कन्वल्ज किया है। सांसद अपनी निधि से पैसा दें, विधायक अपनी निधि से पैसा दें, नरेगा का पैसा इसमें आए, इसके अतिरिक्त एनजीओ मिलकर इस तरह का विकास करें, इसकी अपार संभावना है। निश्चित ही इसके परिणाम सुखद होंगे, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, सरफेस वाटर पर होल्डिंग कैपिसिटी बढ़ेगी, लेकिन इसकी पहल राज्य सरकारों को करनी पड़ेगी।

(इति)

**(प्रश्न 345 और 351)**

**श्री अनुराग शर्मा (झांसी):** माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से जवाब दिया है। If adequate steps are being taken to improve underground water levels, it is essential that there must be an existing oversight monitory mechanism for keeping a tap over the state of affairs of the work. The hon. Minister may like to inform what kind of supervisory system has been put in place, especially for highly water-stressed areas like, Tehroli, Saujna, Banpur, Dongra and Balabehat in my constituency of Jhansi and Lalitpur.

**श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत:** माननीय अध्यक्ष जी, देश के भूमिगत जल का भंडार हम सबके लिए निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 65 प्रतिशत निर्भरता और आवश्यकता चाहे कृषि क्षेत्र की है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र की है या पेयजल की है।

(1125/IND/KMR)

निश्चित ही यह हम सब की जानकारी में है कि 6 हजार से ज्यादा ब्लॉक्स को हम मोनिटर करते हैं, उनमें से 1500 से ज्यादा ब्लॉक्स ड्राइडअप हैं, सेमी क्रिटिकल है या ओवर एक्सप्लाइटेड हैं। माननीय सदस्य जिस क्षेत्र से आते हैं, वह बुंदेलखंड का क्षेत्र है और हम सभी के लिए यह चिंता का विषय है। हम लगातार देश में 15 हजार से ज्यादा पीजोमीटर्स के माध्यम से ऐसे सारे क्षेत्रों में और विशेष रूप से क्रिटीकल क्षेत्रों में लाइव मोनिटरिंग इन सभी विषयों की करते हैं कि किस तरह से ग्राउंड वॉटर लेवल इफेक्ट हो रहा है। इसके साथ ही साथ मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि ऐसे 256 जिले, जहां 1500 से ज्यादा ऐसे क्रिटिकल ब्लॉक्स हैं, वहां हमने प्राथमिकता से एक्विफर मैपिंग कार्यक्रम प्रारम्भ किया था। माननीय नितिन गडकरी जी यहां विराजे हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब वे इस विभाग के मंत्री थे, पूर्ववर्ती काल में तब इन्होंने देश में एक्विफर मैपिंग का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिया था। हम प्राथमिकता से मार्च तक ऐसे स्ट्रेस एरियाज में इसे कम्प्लीट कर सकें, इस काम को प्राथमिकता से लिया है और आने वाले दो वर्षों में हम देश भर के पूरे एक्विफर को साइंटिफिक बैकअप के साथ मैप करके किस तरह से रिचार्ज कर सकते हैं, इस पर काम करेंगे।

**श्री अनुराग शर्मा (झांसी):** महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि झांसी ललितपुर में पानी की पाइपलाइन्स के लिए पैसा रिलीज किया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कंसंर्ड आथोरिटी ने टोटल कितना पैसा मांगा था, कितना पैसा रिलीज हो गया है और अभी कितना पैसा बैलेंस है? यह पेयजल की योजना कब तक पूरी हो जाएगी?

**श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत :** अध्यक्ष जी, सदन में पहले भी प्रश्न के जवाब में और विभिन्न चर्चाओं के समय यह बात कह चुका हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक हम देश के प्रत्येक घर में फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन से जोड़ें। यह निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है

और इसके लिए सवा तीन लाख करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। चार स्तर पर, नेशनल लेवल पर ड्रिंकिंग वॉटर एंड सेनिटेशन, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ग्राम लेवल पर इस तरह की कमेटी बने, इस दिशा में प्रावधान किया है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमने उत्तर प्रदेश की सरकार को जो पैसा दिया है, वह किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए नहीं दिया है। हमने उनसे कहा है कि आप अपनी प्राथमिकता को तय करते हुए अपने हिसाब से उस पैसे को खर्च करें। मुझे लगता है कि संसाधनों की कहीं कमी नहीं है। मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ सदन की जानकारी के लिए और माननीय सदस्य की जानकारी के लिए भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय बुंदेलखंड के पेयजल को लेकर किया है। हम सभी जानते हैं कि बुंदेलखंड में पेयजल की भयावह स्थिति है, इसलिए उस क्षेत्र की पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान के लिए 9021 करोड़ रुपये की योजना राज्य के संसाधनों से बनाकर इम्प्लीमेंट करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है और राज्य सरकारों का ऐसे बड़े इनिशिएटिव्स में सहयोग करने के लिए माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और साथ में मिलकर काम करेगी।

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न 351 क्लब करते हैं।

सुश्री दिया कुमारी – उपस्थित नहीं।

SHRI MAHESH SAHOO (DHENKANAL): Hon. Speaker, Sir, groundwater is being used for piped-water supply to both the villagers and for irrigation. Now that the groundwater level is deteriorating drastically, I would like to know from the hon. Minister as to what is the alternative for it.

**श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत :** अध्यक्ष जी, मैं सदन और आपके माध्यम से माननीय सदस्य के संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि निश्चित ही आज पेयजल हमारे लिए चुनौती बना है, अंडर ग्राउंड जल हमारे लिए चुनौती बना है। मैंने पिछले प्रश्न के जवाब में भी इस प्रश्न का उत्तर दिया था

जब 30 जून को प्रधान मंत्री जी ने पहली बार भूमिगत जल और जल के विभिन्न आस्पेक्ट्स की महत्ता के बारे में बात की थी, उसके बाद उन्होंने सारे देश के गांवों के सरपंचों को और चुने हुए जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर अपेक्षा की थी कि वे गांवों का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में रोकने की दिशा में अपने गांवों के जल संसाधनों के संरक्षण और उनके पुनउर्पयोग के लिए काम करें। जल शक्ति अभियान के माध्यम से हमने देश के 256 ऐसे जिलों में भारत सरकार के ज्वॉइंट सैक्रेटरी और भारत सरकार में काम करने वाले टेक्नीकल आफिसर्स की टीम को वहां भेजा था। मैं सदन के सामने अत्यंत प्रसन्नता के साथ व्यक्त करना चाहता हूं कि उसके बहुत आशातीत परिणाम आए हैं और देश भर में जिन राज्यों ने अपने अलग-अलग जिलों और क्षेत्रों से रिपोर्टिंग की है, उसके आधार पर लगभग एक करोड़ से ज्यादा नई अवसंरचनाएं बनाई गई हैं और लगभग इतनी ही संख्या में पारम्परिक जल संसाधन के स्रोत थे, उनके पुनरुद्धार के लिए भी काम हुआ है।

(इति)

(1130/ASA/SNT)

**(प्रश्न 346 और 348)**

**श्री शंकर लालवानी (इन्दौर):** माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार के साथ जवाब दिया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन हमने देखा है कि प्राय; नेशनल हाइवे में जो प्रोजेक्ट समय-सीमा में पूरे होने चाहिए थे, वे कभी-कभी पूरे नहीं होते हैं और उसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं। आम लोगों को परेशानी होती है और उसकी कॉस्ट भी बढ़ती है। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में यह कहा है कि पर्यावरण, लैंड एक्विजिशन और रेलवे की एन.ओ.सी. नहीं मिलने के कारण समय ज्यादा लगता है। पर मुझे लगता है कि इससे पहले ही सभी एन.ओ.सी. ले लिए जाएं तो समय-सीमा के अंदर काम पूरा हो सकता है। ये सब एन.ओ.सी.मिलने के बाद अगर ठेकेदार काम लेट करता है तो उसके ऊपर क्या कोई फाइन लगता है?

**श्री नितिन गडकरी :** माननीय अध्यक्ष जी, ये जो प्रोजेक्ट डिले होते हैं, इसका कारण लैंड एक्विजिशन में तकलीफें होती हैं। कभी यूटिलिटी शिफ्टिंग नहीं हो पाती, कोर्ट में केसेज जाते हैं, कभी एनवॉयरनमेंट एवं फॉरेस्ट का क्लिअरेंस नहीं मिलता, कभी डिफेंस लाइन की समस्याएं आती हैं, कभी बैंक की समस्याएं आती हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि पिछले सप्ताह में स्टेट बैंक चेयरमैन और उनके अधिकारियों के साथ हमारे अधिकारियों ने बैठकर 32 प्रोजेक्ट को रिव्यू किया और लगभग उनका समाधान ढूंढ़ा गया। कल हमारी रक्षा मंत्री जी के साथ लगभग दो घंटे मीटिंग चली और करीब 32 छोटे-छोटे प्रोजेक्ट अटके हुए थे, उन पर चर्चा हुई और मैं माननीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने लगभग 95 प्रतिशत समस्याओं का समाधान कर दिया और नीति भी बनाकर दे दी जिससे आगे अड़चन नहीं आएगी।

साधारणत: फॉरेस्ट के बारे में भी यही समस्या आती है और एक समस्या के बारे में मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि अभी हमने ऐसा निर्णय किया है कि हम पेड़ तोड़ने के बजाए ट्रांसप्लांटेशन का काम बड़े पैमाने पर करेंगे। ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए जो तकनीक है, उसमें भी काफी लोग आगे आए। दो दिन पहले मैं बैंगलुरू में था। एक कंपनी ने प्लांटेशन की एक मशीन भी बनाई हुई है, इसके लिए हम सब लोगों को बुला रहे हैं, क्योंकि पेड़ तोड़ने की परमिशन नहीं मिलती। इसके कारण भी काफी समस्याएं आती हैं। क्या 100 प्रतिशत पेड़ ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? इसके लिए पूरे जिले में बेरोजगार अभियंताओं को आगे लाकर, चूंकि यह ट्रांसप्लांटेशन की तकनीक अगर आगे आती है, तो हम एक बड़ा रेट कांट्रैक्ट करके पेड़ को तोड़ना नहीं, ट्रांसप्लांट करना है, ऐसी नीति लाएंगे जिसके कारण रोड प्रोजेक्ट में भी डिले नहीं होगी और प्लांट्स भी काटे नहीं जाएंगे। इसके लिए भी अगर आप इनीशिएटिव लेंगे तो निश्चित रूप से इसका उपयोग होगा। मैं माननीय सदस्यों की जो दो समस्याएं इन्दौर से संबंधित थीं, आज ही प्रश्न काल होने के बाद 12.30 बजे मेरे चैम्बर में उनके साथ मेरी मीटिंग जो पहले से तय थी, उसमें मुझे लगता है कि उनकी समस्याएं निश्चित रूप से सुलझाई जाएंगी।

**श्री शंकर लालवानी (इन्दौर):** माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि इन्दौर बाईपास में जो सर्विस रोड का काम पूरा होना था, जैसे पिछले वर्ष आप आए थे और आपने यह भी घोषणा की थी कि बची हुई सर्विस रोड इन्दौर बाईपास हम पूरा करेंगे। जो बाईपास में बनी हुई सर्विस रोड है, वहां पर भी पानी की लाइन डालने के कारण वह पूरी सड़क खोद दी गई है जिसके कारण वहां पर रहने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

दूसरे, एम.आर- 10 पर आपने ब्रिज की घोषणा पिछले वर्ष की थी। मैं आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उसका काम शीघ्र प्रारम्भ करें। तीसरे, इन्दौर-बेतूल का काम जो बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, अगर यह काम पूरा हो जाता है तो कोलकाता से लेकर गांधीनगर तक सीधा हाइवे जुड़ जाएगा और आपका नागपुर हमारे इन्दौर से बहुत करीब हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि इस काम को शीघ्र पूरा किया जाए।

**श्री नितिन गडकरी :** माननीय सदस्य ने जो समस्याएं बताई हैं, वे हैं। इसमें एक कंपनी एनसीएलटी में चली गई। अब स्वाभाविक रूप से वह काम अधूरा पड़ा हुआ है। मगर आज मीटिंग है। इसमें उसका कोई मार्ग निकालेंगे और उन्होंने जो दो बातों का उल्लेख किया है, उनका भी रिव्यू
करके वह काम जल्द से जल्द शुरू करने का प्रयास करेंगे।

(1135/RAJ/GM)

**माननीय अध्यक्ष :** श्री के. नवसकनी जी – उपस्थित नहीं।

…(<u>व्यवधान</u>)

**माननीय अध्यक्ष :**प्रश्न संख्या – 348, श्री पंकज चौधरी जी।

…(<u>व्यवधान</u>)

**माननीय अध्यक्ष** : हम प्रश्न 348 को प्रश्न 346 के साथ क्लब कर रहे हैं।

श्री पंकज चौधरी

**श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज):** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि पिछले छ: सालों में देश में नेशनल हाईवेज का काफी विस्तार हुआ है। मेरे क्षेत्र में वर्ष 2014 से पहले एक भी नेशनल हाइवे नहीं था। मंत्री जी, नेशनल हाइवे संख्या-730, 28, 727 और 328 स्वीकृत किया था। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एनएच-328 परतावल से बस्ती के लिए स्वीकृत था। वह 72-98 किलोमीटर के बीच में बहुत जर्जर है। उस पर कब तक कार्य शुरू हो पाएगा।

मंत्री जी ने जवाब दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार से वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में आठ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उन पर कब तक काम शुरू हो पाएगा?

**श्री नितिन जयराम गडकरी :** अध्यक्ष महोदय, मुख्य रूप से लैंड एक्विजिशन की ही समस्या है। सम्माननीय सदस्य जी ने जिस एनएच के बारे में बताया है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ पैकेज में काम करना शुरू किया है। वहां नेपाल की तरफ से ट्रैफिक आता है, उस एरिया में ट्रैफिक डेन्सिटी ज्यादा है, वह लगभग 1400 तक है। आपके यहां जो ट्रैफिक आता है, उसका मैप भी मेरे पास आया है, पर वहां वह 5000-7000 है, वह कुछ कम है। वहां फोर लेन करने की आवश्यकता नहीं है, हम

उसे टू लेन करेंगे। जहां तक नेपाल से संबंधित क्षेत्र में फोर लेने करने का प्रस्ताव है तो आज ही मैंने सूचना दी है। हम उसके लिए डीपीआर बना कर, उस पर काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि पिछले पांच सालों में हम ने केवल उत्तर प्रदेश को 55 हजार करोड़ रुपये दिए हैं, खर्चा किया है। देश में सबसे ज्यादा पैसा उत्तर प्रदेश को दिया गया है। अभी वहां काम भी जोरों से शुरू है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी सहयोग कर रही है। लैंड एक्विजिशन के कारण बहुत-सी समस्याएं थीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री जी केशव मौर्य जी कल मेरे पास आए थे। उन्होंने इसका रिव्यू किया है। मुझे लगता है कि आपका काम निश्चित रूप से पूरा होगा। 26 किलोमीटर, परतावल-भौंराबरी के लिए वार्षिक योजना 2019-20 के तहत अप्रूव की गयी है। एनएच-23 परतावल-कमपीनगंज-बस्ती की कुल लंबाई 97 किलोमीटर है और उसके स्ट्रेच में से 25.9 किलोमीटर परतावल-पनियारा-भौराबरी को अभी वार्षिक प्लान में इनक्लूड किया गया है। यह टू लेन रोड है। इसमें 93 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। यह दिसम्बर, 2019 सैंक्शन किया गया है और इस पर काम शुरू होगा। बैलेंस लेन 71 किलोमीटर टू लेन की है, हम उसको मेनटेन करके ठीक रखेंगे। नेपाल से जो लगा हुआ स्ट्रेच है, उसका ट्रैफिक ज्यादा है, उसे फोर लेन करने के लिए निश्चित रूप से विचार करेंगे।

**श्री संजय भाटिया (करनाल):** माननीय मंत्री जी, कृपया यह बताने का कष्ट करेंगे कि नेशनल हाइवे-44, जो पहले एनएच वन था। शेरशाह सूरी मार्ग हिन्दुस्तान के सब से व्यस्त राजमार्गों में से एक है। पिछले दो वर्षों से उसका काम बंद पड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग खुदा पड़ा है। ट्रैफिक जाम चार-चार घंटे रहता है और दो साल से लगातार उस टूटी हुई सड़क का टोल भी लिया जा रहा है। कृपया, यह बताएं कि वह काम कब तक शुरू होगा। वहां सेफ्टी मेजरमेंट्स नहीं है, इसलिए वहां बहुत बड़ी दुर्घटना होने का भी अंदेशा है।

**श्री नितिन जयराम गडकरी :** अध्यक्ष महोदय, देश में बहुत-से हाइवेज हैं। मुझे पता नहीं है।

**श्री संजय भाटिया (करनाल):** माननीय मंत्री जी, एनएच-वन, दिल्ली-अमृतसर।

**श्री नितिन जयराम गडकरी :** अध्यक्ष महोदय, हम इसमें कुछ काम बजट से भी कर रहे हैं। इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर था, वह एनसीएलटी में चला गया और उस जगह पर प्रॉब्लम भी है। यहां से दिल्ली के पास जो लोग खाना खाने के लिए इसी रोड पर जाते हैं, उनकी भी तकरार है कि उनको टोल देना पड़ता है। इस रोड का 92 प्रतिशत काम पूरा हुआ है, लेकिन कुछ जगह अधूरा काम है। हम कुछ जगहों के काम के लिए पैसा बजट से लेकर पूरा करेंगे। हम लोग उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे।

(1140/RSG/VB)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के विषय पर पिछले सत्र में लगभग 50 मिनट चर्चा हुई थी। यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, जब अगला बजट सत्र होगा, तो इस पर डिमांड देने की कोशिश करेंगे, ताकि इस पर विस्तार से चर्चा हो जाए।

(इति)

**(प्रश्न 347)**

**श्री जुएल ओराम (सुंदरगढ़):** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें 365 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कपैसिटी है। इसमें से राज्य की इंस्टॉल्ड कपैसिटी कितनी है और केन्द्र की इंस्टॉल्ड कपैसिटी कितनी है?

**श्री आर. के. सिंह:** सर, जो इंस्टॉल्ड कपैसिटी है, उसका ब्रेक-अप इस प्रकार है:

केन्द्र की जो इंस्टॉल्ड कपैसिटी है, वह टोटल इंस्टॉल्ड कपैसिटी का लगभग 30 परसेंट के आसपास है। राज्यों की इंस्टॉल्ड कपैसिटी लगभग 46 परसेंट के आसपास है। मैं आपको इंस्टॉल्ड कपैसिटी के राज्यवार फिगर्स दे देता हूँ। स्टेट में कनवेंशनल एनर्जी का टोटल इंस्टॉल्ड कपैसिटी 90,251 मेगावाट और रीन्यूएबल एनर्जी का 79,397 मेगावाट है। कुल मिलाकर 1,69,649 मेगावाट है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट की इंस्टॉल्ड कपैसिटी 91,497 मेगावाट है और प्राइवेट की इंस्टॉल्ड कपैसिटी 1,69,649 मेगावाट है।

**श्री जुएल ओराम (सुंदरगढ़):** मेरा सेकेंड सप्लीमेंटरी क्वेश्चन यह है कि कौन-कौन से राज्य अपना स्टेट जेनरेशन स्वयं मीट करते हैं और सेन्ट्रल जेनरेशन से कौन-कौन से स्टेट कितना ले रहे हैं? अगर आपके पास इसका ब्यौरा उपलब्ध है, तो दीजिए, अगर नहीं है, तो मुझे इसका ब्यौरा लिखित में दे दीजिएगा।

**श्री आर.के. सिंह:** अध्यक्ष महोदय, यह ब्यौरा हम दे देंगे। वैसे ओवरऑल मैं बता दूँ कि सेन्ट्रल जेनरेशन से लगभग 87 हजार मेगावाट विभिन्न राज्यों को दिए जाते हैं। ओडिशा को सेन्ट्रल जेनरेशन से लगभग 1,700 मेगावाट देते हैं। अन्य राज्यों के बारे में हम लिखित रूप में दे देंगे।

(इति)

**(प्रश्न 349)**

**श्रीमती रमा देवी (शिवहर):** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, दिल्ली विकास प्राधिकरण मास्टर प्लान के लिए ड्रोन का उपयोग कर रही है। डीडीए के पास कितनी जमीन है, इसका पता डीडीए को नहीं है, जिसके कारण डीडीए की जमीनों पर आए दिन कब्जे हो रहे हैं और उनकी जमीनों को प्लाट बनाकर बेचा जा रहा है। डीडीए के पास कितनी जमीनें हैं और वह किस जमीन की मालिक है, यह ड्रोन के माध्यम से पता चलेगा, जिससे अनधिकृत कब्जे के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। अनधिकृत कॉलोनियों एवं अनधिकृत कब्जे पर न्यायालय निर्देश दे चुकी है।

मेरा प्रश्न है कि निर्देश देने के बाद सरकार को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अनधिकृत कॉलोनियों के बढ़ने और सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बड़े निर्माण की जानकारी मिली है? अगर हाँ, तो सरकार ने जो कार्रवाई की है, उसके क्या परिणाम आए है, यह बताने की कृपा करें।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, the hon. Member's question is specifically related to the use of drone technology for the purpose of finding out what the ground situation is but in the Supplementary that she has asked she has made a number of points and I would happily answer each one of them.

First of all, land is a State subject and we do not have the exact data on which State Government is using drone technology but she has given a specific instance of DDA. DDA plans to use drone technology for preparing the Masterplan 2021.

(1145/SPS/RK)

सर, यह काम अभी शुरू नहीं हुआ है। उनका इरादा है कि वर्ष 2041 का मास्टर प्लान बनाने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे।

माननीय सदस्य ने दूसरा सवाल अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का रेज किया है। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन तो एक तरफ है, लेकिन अभी सरकार ने एक फैसला लिया और इस हाउस ने पास किया है, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, वहां के नागरिकों को मालिकाना हक देने का है। That process is well underway. Delhi's land area is about 1495 sq. km., if I remember correctly. This problem of how much land DDA has and how much of that land is under encroachment can be solved in two ways. One of the ways is, digitisation of land records. This process is at a very advanced stage of completion. Once the agency that owns the land knows कि उनके पास कितनी जमीन है। फिर वहां से ड्रोन और बाकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके पता लग सकता है कि उसमें कितनी एन्क्रोचमेंट है और जो एन्क्रोचमेंट है, उसको कैसे हटाया जा सकता है। यह सारा काम अभी हो रहा

है। मैं समझता हूं कि DDA is in a position not only to use this technology here, डी.डी.ए. ने और भी कार्य किए हैं। आपको याद होगा कि मैंने इस सदन को इन्फॉर्म किया था कि लैण्ड पूलिंग पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो गई है और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का काम हो गया। मैंने हाल में यह भी कहा था कि प्रधान मंत्री आवास योजना में जो इन सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन का एक वर्टिकल है, उसमें जहां झुग्गी, वहीं उनको मकान दिलवाने का काम तेजी से कर रहे हैं।

**श्रीमती रमा देवी (शिवहर):** अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि डी.डी.ए. और दिल्ली एम.सी.डी. की जमीनों पर बड़े पैमाने पर कब्जा है। इससे सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है। इन जमीनों पर जिन लोगों का कब्जा है, उन लोगों का सरकारी एजेंसियों के कुछ अधिकारियों के साथ साठ-गांठ है, इसलिए अधिकारी ड्रोन का उपयोग नहीं चाहते हैं। आपका जो प्लान वर्ष 2041 तक का है, वह बहुत लम्बा टाइम हो जाएगा। हम इस बीच में चाह रहे हैं कि ड्रोन के माध्यम से सरकारी जमीन के अवैध कब्जे की पहचान करने में अधिकारी सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**श्री हरदीप सिंह पुरी:** सर, जिस मास्टर प्लान की तैयारी की जा रही है, वह वर्ष 2041 का है। इसका मतलब यह नहीं है कि वर्ष 2041 तक हमको इंतजार करना होगा। वर्ष 2021 का जो मास्टर प्लान है, यह वर्ष 2006 में तैयार हो गया। जैसे हम इस काम को लेंगे, हमें डिजिटाइजेशन, लैण्ड रिकॉर्ड और ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह पता लगेगा कि कहां-कहां पर एन्क्रोचमेंट है। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि यह समस्या इसलिए खड़ी हुई है, क्योंकि पहले डेटा नहीं था। डी.डी.ए. को यह नहीं मालूम था कि उसके पास कितनी जमीन है और कितनी एन्क्रोचमेंट पर है। कॉल्यूजन की जो बात की है तो एक बार टेक्नोलॉजी के द्वारा यह मालूम हो जाए कि कितनी जमीन है और वहां से पता लगता है कि कितनी एन्क्रोचमेंट है। उस एन्क्रोचमेंट को हटाया भी जा सकता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जो मॉनीटरिंग कमेटी है, उसने भी, जहां पब्लिक लैण्ड पर एन्क्रोचमेंट थी, काफी सीलिंग का काम किया था। डी.डी.ए. ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी, जो एन्क्रोचमेंट को आइडेण्टिफाई करती है। It is now possible for any citizen of Delhi to upload a picture of an encroachment or an illegal construction on that app and send it to the DDA. Within a period of two weeks the DDA will address the issue of encroachment or illegal construction. The STF has cleared lots and lots of areas in Delhi and this work is in progress.

**माननीय अध्यक्ष:** श्री गिरिधारी यादव – उपस्थित नहीं।

(इति)

**(प्रश्न 350)**

**श्री रेबती त्रीपुरा (त्रिपुरा पूर्व):** सर, धन्यवाद। नेशनल हाइवे में ग्रीन बैल्ट से जोड़ने की जो प्लानिंग है, उसके लिए मैं मंत्री जी उनको बधाई देता हूं। इसके साथ-साथ मेरा क्षेत्र पूर्व त्रिपुरा, जो ईस्ट त्रिपुरा के नाम से जाना जाता है।

(1150/MM/PS)

धर्म नगर से अगरतला तक नेशनल हाईवे का काम काफी सालों से चल रहा है और बहुत स्लो चल रहा है। मेरी मांग है कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और इसमें ग्रीन बेल्ट जोड़ी जाए।

**श्री नितिन जयराम गडकरी :** अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न मुख्यत: प्लांटेशन के बारे में है। लेकिन वे हाईवे के बारे में पूछ रहे हैं, जिसकी जानकारी मेरे पास अभी नहीं है। फिर भी उन्होंने जिस हाईवे का उल्लेख किया है कि उसका काम धीमी गति से चल रहा है, मैं उसके ऊपर तुरन्त कार्रवाई करूंगा।

महोदय, रोड के साइड में जो प्लांटेशन होती है, इसमें एनएचएआई ने अभी तक 1 करोड़ 25 लाख पेड़ लगाने का डाटा मुझे आज बताया है। हमारा फोरेस्ट कवरेज भी एक परसेंट से ज्यादा हुआ है। अभी सम्माननीय जल विकास मंत्री जी बात कर रहे थे, हमारे देश में इस बारे में काफी अवेयरनेस भी आया है। हम अपनी ओर से भी प्रयास कर रहे हैं कि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा रोड साइड प्लांटेशन करें, लेकिन जितनी सफलता हमें इसमें मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिली है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्टर के द्वारा हम लोग पेड़ लगाने की बात करते हैं। इसके बजाय कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशन्स और एनजीओज़ के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन का हमारा प्रयास था। ये टेंडर निकालने की बात करते हैं, लेकिन ये उसमें आते नहीं हैं। इसमें कुछ प्रोसीजर की कमियां हैं। एनएचएआई में इसके बारे में बहुत बार पॉलिसी बदलती रही है। नये-नये लोग आते हैं और नयी-नयी पॉलिसी बनाते हैं, जिस वजह से जितना अपेक्षित काम है, उतना नहीं हुआ है। ट्रांसप्लांटेशन और प्लांटेशन के ऊपर विचार करके, इसे और सिम्पल बनाकर जनभागीदारी कैसे बढ़ेगी, इसके आधार पर हम प्लांटेशन का काम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

**श्री रेबती त्रीपुरा (त्रिपुरा पूर्व):** सर, मेरा सप्लीमेंटरी क्वैश्चन यह है कि नेशनल हाईवे के साइड में पौधे तो लगाए जाते हैं, लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मेरा मंत्री

जी से प्रश्न यह है कि क्या ऐसा कोई उनका प्लान है, जिसके तहत पौधों के संरक्षण के लिए काम किया जा सके?

**श्री नितिन जयराम गडकरी :** अध्यक्ष महोदय, इसमें कई अच्छे प्रयोग हुए हैं। अभी एक प्रयोग ऐसा हुआ है कि पीवीसी पाइप में पेड़ लगाते हैं और ऊपर से पानी डालते रहते हैं। जब वह पेड़ काफी बड़ा हो जाता है तो उस पीवीसी पाइप को निकाल लेते हैं। दूसरा, आजकल आंध्र प्रदेश में काफी अच्छी नर्सरीज़ डेवलप हुई हैं। तीन-तीन मीटर तक, पांच-पांच मीटर तक के पेड़ मिलते हैं। एनएचएआई में हमने प्रयास किया है कि बड़े पेड़ नर्सरी से लाकर लगाएं, क्योंकि वह जिंदे भी रहते हैं। इसके बाद एक बार पेड़ अगर पांच मीटर से ऊपर हो गया तो फिर उसकी ज्यादा देखभाल करने की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे लगता है कि हमने एक प्रयोग यह भी किया है और नागपुर-हैदराबाद रोड पर नीरी को काम दिया था। उन्होंने प्लांटेशन बहुत अच्छा किया है। लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आयी है। इसके लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन्स पौधे लगाए और उनको मैंटेन करे। इसके अलावा स्कूल्स और कॉलेजेज़ की सहभागिता इस काम में ज्यादा से ज्यादा हो। इसके बारे में मैंने उल्लेख किया था कि राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर नर्सरीज़ हैं और काफी पेड़ पूरे देश में आ रहे हैं। हमने भी यहां के पेड़ रिकमण्ड किए हैं। एयरपोर्ट के इधर लगाए गए हैं और बहुत अच्छा काम राजमुंदरी में हुआ है। उसी के द्वारा अगर हम बड़े पेड़ लगाएंगे तो उसके लिए ज्यादा देखभाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका और ट्रांसप्लांटेशन का फिर से रिव्यू करके, यह संख्या बहुत कम हुई है और बड़े प्रमाण पर कैसे हो और जनसहभागिता कैसे बढ़े, इसकी हम कोशिश करेंगे।

**श्री विजय कुमार दूबे (कुशीनगर):** धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय राजमार्ग मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि पिछले सत्र में मैंने एनएच-28बी की जर्जर सड़क के निर्माण की मांग की थी, आपने मात्र दो महीने में पचास किलोमीटर के मार्ग का उच्चकोटि का निर्माण कार्य कराने का कार्य किया है। एनएच-28बी पर निर्माण के समय दोनों तरफ के वृक्ष काट दिए गए लेकिन हरितपट्टी पर प्लांटेशन का नामोनिशान नहीं है। यह मैं माननीय मंत्री के संज्ञान में ला रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय राजमार्ग मंत्री जी से प्रश्न है और चूंकि माननीय राजमार्ग मंत्री जी का व्यक्तित्व बहुत विशाल है और संवेदनशील मुद्दे पर आप हमेशा तत्पर रहते हैं। एनएच-28 के कुशीनगर और गोपालगढ़ पर दो जगह मार्ग ऐसे हैं, जहां तीन सड़कें हैं और दोनों तरफ विद्यालय हैं। स्कूली बच्चों की गाड़ियां अक्सर दुर्घटनाग्रस्त होती हैं।

(1155/SJN/RC)

मैंने पिछले सत्र में यह मांग की थी। आपने राजमार्ग उत्तर प्रदेश, महानिदेशक को आदेश दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हो पाया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राजमार्ग मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इन दोनों संवेदनशील जगहों पर फ्लाईओवर के निर्माण कराने का काम करेंगे? अगर करेंगे, तो कब तक करेंगे?

**श्री नितिन जयराम गडकरी :** माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि दुर्घटनाओं के प्रमाण में कोई कमी नहीं हुई है और मृत्यु की भी संख्याओं में कोई कमी नहीं हुई है। इसमें रोड इंजीनियरिंग की भी बहुत बड़ी भूमिका है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि दो स्कूल्स हैं, उनमें लगातार दुर्घटनाएं हुई हैं। जब मेरे ध्यान में ऐसी बाते हैं, तो हम करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा है, मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि आज प्रश्न काल समाप्त होने के बाद आप आइए, अधिकारी लोग रहते हैं, तो मैं निश्चित रूप से उनके कार्य में क्या समस्या है, उसको सुलझाने की कोशिश करूंगा।

स्पीकर महोदय, एक महत्वपूर्ण बात यह है और मैं सभी सम्मानित सदस्यों से यह अपील करूंगा कि हमारे देश में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसमें रोड इंजिनियरिंग का बहुत बड़ा कारण है, केवल ड्राइवर और व्हीकल नहीं है। इसीलिए, हमने ब्लैक स्पाट्स आइडेन्टिफिकेशन का प्रोग्राम किया है। जहां एक बार ही नहीं, बल्कि एक ही जगहों पर दस-दस बार दुर्घटनाएं होती हैं, ऐसे ब्लैक स्पाट्स आइडेंटिफाई करते समय नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और म्युनिसिपल कार्पोरेशन के रोड्स को उसमें लिया गया है। हमने दो प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। एक प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक को और दूसरा प्रोजेक्ट एडीबी को दिया है और दोनों बैंकों ने सात-सात हजार करोड़ रुपये हमको मंजूर करके दिए हैं। हमको 14,000 करोड रुपये ब्लैक स्पाट्स को इम्प्रूव करने के लिए मिलेंगे। हम इसकी कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं।

मैं सभी माननीय सदस्यों से यह आह्वान करता हूं कि उनके संसदीय क्षेत्रों में जो ब्लैक स्पाट्स हैं, जो एक्सीडेंटल स्पाट्स हैं, जहां पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, अगर आप उसकी सूची मुझे देंगे, तो उसमें निश्चित रूप से उसको अंतर्भूत करके हम इन ब्लैक स्पाट्स को इम्प्रूव करने का काम पूरा कर सकेंगे। सम्मानीय सदस्य ने जो स्कूल की बात कही है, मैं उस पर तुरंत ध्यान दूंगा।

(इति)

**(Q.352)**

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): Sir, in his reply the hon. Minister has stated that there is no proposal to privatise Vijayawada and Tirupati Airports. I am extremely happy to note this and I am thankful to the Minister.

After bifurcation of Andhra Pradesh, Vijayawada Airport is the airport of Amravati, the Capital city of Andhra Pradesh. I would like to know the status of creating a permanent infrastructure like increasing the length of runway, construction of new parking bays, permanent buildings and aerobridges.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I would like to thank the hon. Member not only for raising this supplementary but also for pursuing this matter with me bilaterally. He has had many discussions with me and he knows that this is work in progress. If memory serves me right off-hand, I think this is a Rs.500 crore worth work which is being done. The hon. Member himself has been pursuing the building of this infrastructure and the extension of the runway.

So, my answer, in short, is that the work is being done and we hope to complete it quickly.

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, मैंने टी. आर. बालू जी का नाम बोल दिया है।

…(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, the Madras Flying Club was established by Sir George Stanley during the British rule. The great Rajaji, the first Governor General of India, was a life member of the Madras Flying Club. The first Prime Minister went all the way from Delhi to Chennai to attend the silver jubilee celebration of the Madras Flying Club.

(PP. 22-30)

This Club is no more now and it has been abandoned. It was housed in a heritage building and it was also housing a training centre which has also been dismantled.

I would like to know whether the Authority has got the permission from the Ministry of Culture to dismantle the building. Secondly, will the Government come forward to re-establish the Madras Flying Club at Chennai using the airstrip at Vellore as runway?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, the question which I am supposed to respond relates to the privatisation of two airports in Vijayawada and Tirupati in Andhra Pradesh. From there, we have come to the State of Tamil Nadu. I am very happy to answer any question on civil aviation.

(1200/SNB/KN)

But insofar as the question partly referring to the Ministry of Culture is concerned, my colleague will have to see whether that is a heritage building or not. But what I can do is that taking advantage of this discussion I am willing to look into the facts of this and get a complete detail on why that flying club in Chennai which has great lineage was no longer functioning? What are the plans and what are they doing to the building? I will ask my colleague in the Council of Ministers, the Culture Minister and I will come back to the hon. Member. If he had let me know about it in advance, I would have come with that information.

(ends)

**माननीय अध्यक्ष:** मंत्री जी, माननीय सदस्य को कमरे में बुला कर बात कर लेना। आपको कमरे में बुला कर बात कर लेंगे।

**प्रश्न काल समाप्त**

## स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1201 बजे

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

…(व्यवधान)

---

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

1201 बजे

**माननीय अध्यक्ष :** अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठ जाइए। मैं सभी माननीय सदस्यों को, जो नए आए हैं, उनसे यह आग्रह करना चाहता हूँ कि आप वरिष्ठ सदस्यों की तरफ देखा करें। जब सभा पटल पर पत्र रखे जाते हैं, तब खड़े होकर वाद-विवाद पैदा नहीं करते हैं। कोई सीनियर माननीय सदस्य उठा है क्या? आप आंखों से थोड़ा देख लिया करो। थोड़ा सीखते रहो।

श्री किरेन रिजीजू।

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, I beg to lay on the Table: -

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Waqf Council, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Waqf Council, New Delhi, for the year 2018-2019.

(2) (i) A copy of the Administrative Report (Hindi and English versions) of the Haj Committee of India, Mumbai, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Haj Committee of India, Mumbai for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Haj Committee of India, Mumbai, for the year 2018-2019.

---

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI R.K. SINGH): Sir, I beg to lay on the Table: -

(1) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa & Union Territories), Gurgaon, for the years 2008-2009 and 2009-2010, together with Audit Report thereon.

(2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the North Eastern Electric Power Corporation Limited, Shillong, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the North Eastern Electric Power Corporation Limited, Shillong, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the THDC India Limited, Rishikesh, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the THDC India Limited, Rishikesh, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Review by the Government of the working of the Indian Renewable Energy Development Agency Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Indian Renewable Energy Development Agency Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(d) (i) Review by the Government of the working of the Solar Energy Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Solar Energy Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi, for the year 2018-2019.

(5) A copy of the Energy Conservation (the form and manner for submission of report on the status of energy consumption by the designated consumers) Amendment Rules, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.311(E) in Gazette of India dated 18th April, 2019 under sub-section (1) of Section 59 of the Energy Conservation Act, 2001.

(6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 179 of the Electricity Act, 2003:-

1. Notification No. L-1/18/2010-CERC published in Gazette of India dated 19th September, 2019, containing erratum to the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) (Fifth Amendment) Regulations, 2017.
2. Notification No. L-1/44/2010-CERC published in Gazette of India dated 19th September, 2019, containing erratum to the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of inter-State Transmission Charges and Losses) (Fifth Amendment) Regulations, 2017.
3. Notification No. L-1/132/2013-CERC published in Gazette of India dated 19th September, 2019, containing erratum to the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) (Fourth Amendment) Regulations, 2018.

---

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Mumbai Metro Rail Corporation Limited, Mumbai, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Mumbai Metro Rail Corporation Limited, Mumbai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the Delhi Metro Rail Corporation Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Delhi Metro Rail Corporation Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Review by the Government of the working of the Bangalore Metro Rail Corporation Limited, Bengaluru, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Bangalore Metro Rail Corporation Limited, Bengaluru, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(d) (i) Review by the Government of the working of the Maharashtra Metro Rail Limited, Nagpur, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Maharashtra Metro Rail Limited, Nagpur, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(e) (i) Review by the Government of the working of the HSCC (India) Limited, Noida, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the HSCC (India) Limited, Noida, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(f) (i) Review by the Government of the working of the Hindustan Prefab Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Hindustan Prefab Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(g) (i) Review by the Government of the working of the Gujarat Metro Rail Corporation Limited, Gandhinagar, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Gujarat Metro Rail Corporation Limited, Gandhinagar, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(h) (i) Review by the Government of the working of the Kochi Metro Rail Limited, Kochi, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Kochi Metro Rail Limited, Kochi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(i) (i) Review by the Government of the working of the Lucknow Metro Rail Corporation Limited, Lucknow, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Lucknow Metro Rail Corporation Limited, Lucknow, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(j) (i) Review by the Government of the working of the Hindustan Steelworks Construction Limited, Kolkata, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Hindustan Steelworks Construction Limited, Kolkata, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(k) (i) Review by the Government of the working of the Housing and Urban Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Housing and Urban Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(l) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Pawan Hans Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Pawan Hans Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(m) (i) Review by the Government of the working of the National Capital Region Transport Corporation Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the National Capital Region Transport Corporation Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajghat Samadhi Committee, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rajghat Samadhi Committee, New Delhi, for the year 2017-2018.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (2) above.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Capital Region Planning Board, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Capital Region Planning Board, New Delhi, for the year 2018-2019.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Airports Economic Regulatory Authority of India, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Airports Economic Regulatory Authority of India, New Delhi, for the year 2018-2019.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Building Materials and Technology Promotion Council, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Building Materials and Technology Promotion Council, New Delhi, for the year 2018-2019.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Delhi Urban Art Commission, New Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Delhi Urban Art Commission, New Delhi, for the year 2018-2019.

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Government Employees Welfare Housing Organisation, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Government Employees Welfare Housing Organisation, New Delhi, for the year 2018-2019.

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Lakshadweep Building Development Board, Kavaratti, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Lakshadweep Building Development Board, Kavaratti, for the year 2017-2018.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

(11) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 14A of the Aircraft Act, 1934:-

(i) The Aircraft (First Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.468(E) in Gazette of India dated 2nd July, 2019, together with an explanatory note.

(ii) The Aircraft (First Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.448(E) in Gazette of India dated 24th June, 2019, together with an explanatory note.

(iii) The Aircraft (Fifth Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.1066(E) in Gazette of India dated 25th October, 2018, together with an explanatory note.

(12) A copy each of the following notifications (Hindi and English versions) under Section 58 of the Delhi Development Act, 1957:-

1. The Ministry of Housing and Urban Affairs, Delhi Development Authority (Senior Accounts Officer and Accounts Officer Posts) Recruitment Rules,

2019 published in Notification No. G.S.R.286 in Gazette of India dated 16th September, 2019.

2. S.O.2270(E) published in Gazette of India dated 1st July, 2019, regarding fixation of use conversion charges for Mixed Use/commercial Use of premises and shop-cum residence plots/complexes later designated as LSCs.
3. S.O.2271(E) published in Gazette of India dated 1st July, 2019, regarding enhanced FAR for residential properties, Coop. Group Housing, Mixed Use/Commercial streets and commercial properties (excluding hotel and hotel parking ) arising out of MPD 2021.
4. S.O.2777(E) published in Gazette of India dated 2nd August, 2019, making regulations for enhancing walkability in Delhi.
5. S.O.2891(E) published in Gazette of India dated 9th September, 2019, regarding rationalization of the use conversion charges for shop-cum-residence plots/complexes/shop plots later designated as LSCs.
6. S.O.2892(E) published in Gazette of India dated 9th September, 2019, regarding rationalization of additional FAR charges for CSCs/LSCs and shop-cum-residential complexes/shop-cum-residence plots/shop plots.
7. S.O.2952(E) published in Gazette of India dated 16th August, 2019, regarding revision of External Development Charges (EDC) leviable for Godowns/godown clusters in Narela.
8. S.O.3358(E) published in Gazette of India dated 18th September, 2019, regarding setting up of fuel stations on privately owned lands in National Capital Territory of Delhi.

(13) A copy each of the following notifications (Hindi and English versions) under Section 32 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978:-

1. S.O.2065(E) published in Gazette of India dated 25th June, 2019, regarding alignment of Pune Metro Line-3 (Hinjewadi-Shivajinagar) Project.
2. S.O.3706(E) published in Gazette of India dated 14th October, 2019, regarding alignment of Pune Metro Rail Project Corridor 2 (Vanaz-Ramwadi).

3. S.O.2126(E) published in Gazette of India dated 26th June, 2019, regarding alignment of Mumbai Metro Rail Project Thane-Bhiwandi-Kalyan (Line-5).
4. S.O.4147(E) published in Gazette of India dated 19th November, 2019, regarding alignment of Delhi-Ghaziabad-Meerut RRTS corridor.
5. S.O.3295(E) published in Gazette of India dated 16th September, 2019, regarding alignment of Delhi Metro Line 9 (Extension from Najafgarh to Dhansa Bus Stand).
6. S.O.3296(E) published in Gazette of India dated 16th September, 2019, regarding alignment of Delhi Metro Line 6 (Extension from Escorts Mujesar to Raja Nahar Singh, Ballabhgarh).
7. S.O.3297(E) published in Gazette of India dated 16th September, 2019, regarding alignment of Delhi Metro Line 8 (Extension from Kalindi Kunj to Botanical Garden, Noida).
8. S.O.3298(E) published in Gazette of India dated 16th September, 2019, regarding alignment of Delhi Metro Line 3 (Extension from Noida City Centre to Noida Electronic City, Noida).

(14) A copy of the Metro Railways (Carriage and Ticket) Amendment Rules, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.601(E) in Gazette of India dated 27th August, 2019 under Section 102 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002.

---

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): Sir, I beg to lay on the Table: -

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Kamarajar Port Limited, Chennai, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Kamarajar Port Limited, Chennai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the Hooghly Dock and Port Engineers Limited, Kolkata, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Hooghly Dock and Port Engineers Limited, Kolkata, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Inland Waterways Authority of India, Noida, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Inland Waterways Authority of India, Noida, for the year 2017-2018.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(4) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Chennai Port Trust, Chennai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Chennai Port Trust, Chennai, for the year 2018-2019.

(5) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2018-2019.

(6) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the V.O. Chidambaranar Port Trust, Tuticorin, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the V.O. Chidambaranar Port Trust, Tuticorin, for the year 2018-2019.

(7) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam, for the year 2018-2019.

(iii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam, for the year 2018-2019.

(8) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Jawaharlal Nehru Port Trust, Navi Mumbai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jawaharlal Nehru Port Trust, Navi Mumbai, for the year 2018-2019.

---

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (GENERAL (RETD.) V. K. SINGH): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 10 of the National Highways Act, 1956

1. S.O.4125(E) published in Gazette of India dated the 15th November, 2019, regarding Fee Notification for the Project of Four laning of Kathipudi to Start of Kakinada Bypass Section from Km. 0.000 to Km. 26.150 (Design chainage from Km. 0.000 to Km. 27.500) of NH-214 (New NH-216) in the State of Andhra Pradesh on EPC mode.
2. S.O.4179(E) published in Gazette of India dated the 20th November, 2019, regarding fee Notification for the Project of Four laning of Kerala Border to Kollegal Secton from Km. 136.600 to Km. 268.475 including Km. 239.600 to 241.520 (1.920 Km.) of NH-212 (New NH-766) in the State of Karnataka on EPC mode.
3. S.O.4236(E) published in Gazette of India dated the 22nd November, 2019, regarding fee Notification for the Project of Four laning from Andhra Pradesh/Tamil Nadu Border to Nalagampalli Village Section from Km. 133.360 to Km. 171.590 (Design Chainage from Km. 134.890 to Km. 172.000) of NH-4 (Pkg.-I) and four lane from Nalagampalli Village to AP/Karnataka Border Section from Km. 172.000 (Existing Chainage Km. 171.590) to Km. 219.687 (existing chainage Km. 216.912) (Pkg.-II) in the State of Andhra Pradesh under NHDP-IV on EPC mode.
4. S.O.4237(E) published in Gazette of India dated the 22nd November, 2019, regarding fee Notification for the Project of Four laning of Lakhandon to Mohagon Road Section from design Km. 547.400 to Km.

624.480 (existing Km. 547.400 to Km. 623.318) of NH-7 (New NH-44) in the State of Madhya Pradesh on EPC mode.

5. S.O.4238(E) published in Gazette of India dated the 22nd November, 2019, regarding fee Notification for the Project of Four laning from Yadgiri to Warangal Section from Km. 54.000 to Km. 150.000 (Design Chainage from Km. 54.000 to Km. 153.103) of NH-163 (New NH-202) in the State of Telangana under NHDP=-IVB on EPC mode.

---

**जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया):** अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 2017-18 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES (SHRI PRATAP CHANDRA SARANGI): Sir, I beg lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Tool Room (Indo Danish Tool Room), Jamshedpur, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Tool Room (Indo Danish Tool Room), Jamshedpur, for the year 2018-2019.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Tool Room (Central Tool Room and Training Centre), Bhubaneswar, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Tool Room (Central Tool Room and Training Centre), Bhubaneswar, for the year 2018-2019.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Technology Development Centre (Process and Product Development Centre), Agra, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Technology Development Centre (Process and Product Development Centre), Agra, for the year 2018-2019.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Tool Room (Tool Room and Training Centre), Guwahati, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Tool Room (Tool Room and Training Centre), Guwahati, for the year 2018-2019.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Tool Room (Central Institute of Tool Design), Hyderabad, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Tool Room (Central Institute of Tool Design), Hyderabad, for the year 2018-2019.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Technology Development Centre (Institute for Design of Electrical Measuring Instruments), Mumbai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Technology Development Centre (Institute for Design of Electrical Measuring Instruments), Mumbai, Mumbai, for the year 2018-2019.

---

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, I, on behalf of Shri G. Kishan Reddy, beg to lay on the Table a copy of the Adaptation of Laws (Amendment) Order, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 4433€ in Gazette of India dated 11th December, 2019 issued under clause (2) of Article 372 of the Constitution of India.

---

## MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

> "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 10th December, 2019 agreed without any amendment to the Arms (Amendment) Bill, 2019 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 9th December, 2019."

---

## COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS
### Statement

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, I beg to lay on the Table the Statement (Hindi and English versions) showing Action Taken by Government on the Observations/Recommendations contained in the One Hundred and Twenty first Action Taken Report (16th Lok Sabha) on `Working of Central Board of Film Certification (CBFC) and Academic Activities of Satyajit Ray Films and Television Institute (SRFTI).

---

## अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति
## पहला प्रतिवेदन

**श्री गणेश सिंह (सतना):** अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'एनएचपीसी लिमिटेड में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

---

(1205/RU/CS)

## STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE
## 5th to 8th Reports

SHRI P. C. GADDIGOUDAR (BAGALKOT): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) (Seventeenth Lok Sabha) of Standing Committee on Agriculture:-

1. 5th Report on 'Demands for Grants (2019-20)' of the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (Department of Fisheries).
2. 6th Report on 'Demands for Grants (2019-20)' of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare).
3. 7th Report on 'Demands for Grants (2019-20) of the Ministry of Food Processing Industries.
4. 8th Report on the Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the 62nd Report (16th Lok Sabha) on the Subject "Agriculture Marketing and Role of Weekly Gramin Haats" of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare).

---

## COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS
## 1st Report

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to present the First Report (English and Hindi versions) of the Committee on External Affairs on Demands for Grants of the Ministry of External Affairs for the year 2019-20.

---

## COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS

### Statement

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to lay on the Table Statement showing action taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Eighteenth Report (16th Lok Sabha) of the Committee on External Affairs on Observations/Recommendations contained in the Thirteenth Report on the subject 'India's Soft Power Diplomacy including role of Indian Council of Cultural Relations (ICCR) and Indian Diaspora'.

---

## रेल संबंधी स्थायी समिति

### दूसरा प्रतिवेदन

**श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चंपारण):** महोदय, मैं 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2019-20)' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (2019-20) का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

---

## STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT

### 1st Report

SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): Sir, I beg to present the First Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Urban Development on 'Demands for Grants (2019-20) of Ministry of Housing and Urban Affairs'.

---

## STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS

### 2nd to 4th Reports

DR. M.K. VISHNU PRASAD (ARANI): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers:-

1. Second Report on 'Demands for Grants (2019-20)' of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals).
2. Third Report on 'Demands for Grants (2019-20)' of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Fertilizers).
3. Fourth Report on 'Demands for Grants (2019-20)' of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Pharmaceuticals).

---

## सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति
## पहला से पाँचवां प्रतिवेदन

**श्रीमती रमा देवी (शिवहर):** महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूँ:-

1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2019-20)' के बारे में पहला प्रतिवेदन।
2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2019-20)' के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।
3. जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2019-20)' के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।
4. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2019-20)' के बारे में चौथा प्रतिवेदन।
5. 'जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के कार्यकरण का आकलन' के बारे में समिति (16वीं लोक सभा) के 63वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 5वां प्रतिवेदन।

---

## STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
## 311th Report

SHRI ASIT KUMAR MAL (BOLPUR): Sir, I beg to lay on the Table the 311th Report (Hindi and English versions) on 'Khelo India Scheme' of the Standing Committee on Human Resource Development.

---

## INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE (SECOND AMENDMENT) BILL

1209 hours

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

**माननीय अध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, under 19B of the Directions by the Speaker, Lok Sabha, I would like to oppose the introduction of the Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill. A few days earlier also, this House passed another amendment under Insolvency and Bankruptcy Code. One after another, amendments are being brought in and getting passed. It simply implies the inconsistency of this Government in so far as managing of our finance and economy are concerned.

In so far as legal perspective is concerned, no Bill shall be included for introduction in the List of Business for a day until after copies thereof have been made available for the use of Members for at least two days before the day on which the Bill is proposed to be introduced. ये बिल आप कल लाए हैं, आज इनको धड़ल्ले से पास कराना, इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं।

It is also said here as:

> "Provided that Appropriation Bills, Finance Bills, and such Secret Bills are not put down in the list of business may be introduced without prior circulation of copies to Members."

सर, आप कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि this kind of indulgence should not be given to this Government. The Ministry has been taking the entire Parliament for a ride. That is our objection. Everything is being bulldozed because it has the majority on its own. This should not be the concept of any democratic Parliament. It is not only that. We have got it just today morning. Why? Why have we been deprived from enjoying our legitimate due? This is our question.

It is also requested from our end to send this Bill to the Standing Committee because the Minister herself has been suffering from inconsistency. …(*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, we are seeking a very specific direction from you.…(*Interruptions*)

(1210/RU/MY)

… (*Interruptions*)

**श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर):** अध्यक्ष महोदय, डेटा प्रोटेक्शन बिल में भी यही हुआ है। इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी ऑन आई.टी. में जाना चाहिए। चूंकि उस कमेटी में *… (Not recorded)*, इसलिए आप चाहते हैं कि वह जेपीसी में जाए। …(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, ऐसा नहीं होना चाहिए।

…(व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** सर, वैसे तो हम सब आपकी बात मानते हैं और जानते हैं, लेकिन देखिए कि आपके बारे में भी, it is said as "if the Speaker gives permission". आपको इन्हें परमिशन देनी पड़ेगी। स्पीकर साहब को यथापूर्वक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि मेरी यह बात हुई है, इस तरह की इमरजेंसी की हालत पैदा हुई है, इसलिए मैं इसे ला रहा हूं, लेकिन वे आपको नहीं दिए हैं। वे *… (Not recorded)* टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं। …(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण।

…(व्यवधान)

**डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा):** सर, इस पर मेरा ऑब्जेक्शन है, क्योंकि *… (Not recorded)* को कोई भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकता है। आप जो कह रहे हैं, वह चेयर के खिलाफ है। बिना स्पीकर की परमिशन से यहां कोई काम नहीं हो सकता, कोई पेपर ले नहीं हो सकता है।…(व्यवधान) आपने गलत बात कही है। आप इसको वापस लीजिए।…(व्यवधान)

सर, आप इस बात को विड्रॉ करवाइए।…(व्यवधान) यहां *… (Not recorded)* को कोई भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता है।…(व्यवधान) यह गलत है। उनको वापस करने के लिए कहिए।…(व्यवधान) उनको बोलते-बोलते अंदाजा ही नहीं होता है कि वह क्या बोल रहे हैं।…(व्यवधान) स्पीकर की परमिशन के बिना यह पेपर ले कैसे हो सकता है? आज स्पीकर ने इजाजत दी है, तब यह पेपर यहां ले हुआ है।…(व्यवधान) सरकार यहां कुछ नहीं कर सकती हैं, जो कुछ भी करेंगे, स्पीकर करेंगे।…(व्यवधान)

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):** अध्यक्ष जी, अभी गौरव गोगोई साहब बोल रहे थे, लेकिन मेरा भी एक ऑब्जेक्शन है।…(व्यवधान) इन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी में *… (Not recorded)*, इसलिए आप ज्वाइंट कमेटी में ले जा रहे हैं।…(व्यवधान) साहब, वह कैसा आरोप लगा रहे हैं? ऐसे आरोप लगाने से पहले उनको सोचना चाहिए।…(व्यवधान) ऐसे थोड़े ही आरोप लगते हैं। ज्वाइंट कमेटी तो एक

बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां समय पर स्क्रूटनी हो सकती है।...(व्यवधान) डेटा प्रोटेक्शन लॉ एक बड़ा विषय था। वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आया, लेकिन उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं। ...(व्यवधान) अभी हमारी मंत्री जी बैठी है। वह कुछ कहना चाहती हैं।...(व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** हम सभी जानते हैं कि आप लोग राजनीति करने में माहिर हैं। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** सौगत जी, आप क्या कह रहे थे?

...(<u>व्यवधान</u>)

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** सर, मुझे यह कहना है कि अधीर रंजन जी ने जो डायरेक्शन 19 पढ़ा, उसमें क्लियरली बोला गया है कि दो दिन पहले सर्कुलेट करना है, लेकिन यह दो दिन पहले सर्कुलेट नहीं हुआ, बल्कि आज सुबह सर्कुलेट हुआ है। यह लिखा है कि and Shri Adhir Ranjan Chowdhury has read the provision that the Speaker can give the permission to place the Bill any time अगर मिनिस्टर इजाजत मांगें तो आपको जरूर देना चाहिए। मेरा आपसे यही नम्र निवेदन है कि आप इस डायरेक्शन 19 को विड्रॉ कर लीजिए। दो दिन की नोटिस की कोई जरूरत नहीं है। मंत्री जब चाहे, इसको प्लेस करे, दिन में प्लेस करके साथ ही साथ पास करे। इस डायरेक्शन को अलग रख कर दिन-ब-दिन यह करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह आपकी पावर है, लेकिन इस पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है।...(व्यवधान) आप इस डायरेक्शन को हटा दीजिए, उसके बाद आप करिए। उसमें हमें कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन मेम्बर्स का यह अधिकार है।...(व्यवधान)

**डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा):** सर, उस डायरेक्शन के बारे में कह दीजिए कि स्पीकर जब चाहे, इस पर चर्चा हो सकती है।...(व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** सर, निशिकांत जी हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। वह रूलिंग पार्टी के इम्पॉर्टेन्ट मेम्बर है। वह हमको बोलने नहीं दे रहे हैं।...(व्यवधान) वह ऑन बिहाफ ऑफ स्पीकर इंटर्वीन करते हैं। सर, ऐसे कैसे चलेगा? ...(व्यवधान) क्या यह कोई बात हुई कि आपने मुझे इजाजत दी और फिर इस प्रकार से मंत्री लोग क्यों कर रहे हैं? ...(व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I would just like to explain a few things. Of course, it is with your consent and permission that we come here seeking the will of the House to either allow us to introduce the Bill or not but I just want to put it in the context.

IBC came to this House for amendment during the Budget Session in July. Even at that time, I had very clearly explained that because the way in which some misinterpretations or different interpretations had occurred in the courts and the industry was feeling the need for a quick response with amendments to the legislation, we had to come in July.

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** ऐसा पहले नहीं किया था।…(व्यवधान)

(1215/NKL/CP)

**माननीय अध्यक्ष :** मैं हर विषय पर सबको मौका देता हूं। जब मंत्री जी बोल रही हैं, तो आप उनको बोलने दीजिए। यह डिस्टर्बेंस का सिस्टम बंद कर दीजिए।

…(व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: So, the need for us to bring this in July was this. Yes, the industry, they may be small, they may be medium, they may be big, but they are Indian industries, the industries operating in India. The moment the word industry is used, there need not be contempt. They are the job creators, they are the wealth creators, they are supposed to be protecting all of us. Therefore, this attitude on the basis of industry, I think, should be duly avoided. मैं भी विनम्रता से आपके सामने बात रखना चाह रही हूं, जो कानूनन आपरेट करते हैं, कानूनन पॉलिसी के तहत हम उनकी मदद करना चाहते हैं, वह करने के लिए यह हाउस सुनने को तैयार है। This sarcasm or contempt, maybe, should be avoided. I want to say this.

Then, the question is that why we are coming here again now. We came with an amendment in July. Now, I am coming back with an amendment because there is a lot of doubt in the mind of small home buyers and others saying, will the whole process be waiting for years; can they have some clarity, and so on. So, if we have to bring in clarity, some amendments are required in addition to what we did in July, and therefore, I have come back. Yes, two days' notice has not been given. I seek your indulgence only to introduce the Bill, but after that, if the House wants to discuss it, I am fully willing. I have never avoided a debate. I have never avoided answering anybody. So, I am appealing to you, Sir, as the hon. Speaker of the House, to take a call because it is in response to the developments which we see in the economy, and most often, I am been told that I have not even responded to the economy. Here, I am responding with legislative amendments, and the House does not want to hear it. …(*Interruptions*) I do not believe that the House does not want to hear it. …(*Interruptions*) So, what is the difficulty in introducing? …(*Interruptions*) You are just obstructing because you do not want legislative changes to be shown for the people of India. …(*Interruptions*) This Government is responding speedily, and I do not want the Opposition to appear as though they do not want the Government to function. …(*Interruptions*) Please do help us function, please

do help us respond to the economy because about the economy, all of us are equally concerned. Thank you. …(*Interruptions*)

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** सर, अमेंडमेंट देने से यह स्टैंडिंग कमेटी में नहीं जाता है और हमें चर्चा का सुयोग नहीं रहता है, तो बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेज दीजिए। …(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, इस विधेयक की प्रतियां सभी सदस्यों को आज सुबह ही परिचालित की गई हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह सत्र 13 दिसम्बर तक ही है। अत: दो दिन के परिचालन की अनिवार्यता को पूरा नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैंने निदेश 19(क) और 19(ख) की अनिवार्यता को शीतल करने के माननीय मंत्री महोदया, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के अनुरोध को स्वीकार किया है और इस विधेयक को पुर:स्थापन हेतु इसे कार्य सूची में सूचीबद्ध करने की अनुमति प्रदान की है।

प्रश्न यह है:

"कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I rise to introduce the Bill.

---

## विशेष उल्लेख

1219 hours

**माननीय अध्यक्ष :** अब शून्य काल।

श्री अधीर रंजन चौधरी।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, we are all observing with great dismay and consternation that in the wake of Citizenship (Amendment) Bill, that has been passed in both the Houses of Parliament, the entire North-Eastern region, barring a few places, is in turmoil. Sir, violence has descended in the entire North-Eastern region. Already, the Army has been deployed, and internet services have been discontinued. We are witnessing that the Kashmir phenomena has been replicated in the North-Eastern region. ये कश्मीर के बदले आस्मीर बन गए हैं। मैं सदन का ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं कि इन्हीं लोगों के चलते आज तक कश्मीर की हालत सामान्य नहीं हुई है।

(1220/NK/KKD)

नार्थ-ईस्ट रीजन भी ऐसा होता जा रहा है, दोनों एरिया की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस के मद्देनजर सरकार इस विषय पर गंभीर रूप से ध्यान दे, बीच में क्या हुआ। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि हिन्दुस्तान में सरकार जो कह रही है, वह सही नहीं है। बांग्लादेश में लाखों-करोड़ों की तादाद में हिन्दू रहते हैं। पिछले साल बीस हजार दुर्गा पूजा पंडाल बने थे।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष**: बांग्लादेश और यूके भारत की संसद को कभी भी नहीं चला सकते। भारत की संसद के नियम-प्रक्रिया और संविधान भारत का ही चलेगा, किसी देश से गाइड नहीं होगा।

...(व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि बांग्लादेश में पिछले साल दुर्गा पूजा में बीस हजार पंडाल बने थे। ...(व्यवधान) शेख हसीना पंडाल-पंडाल घूमी थी, मंदिर-मंदिर घूमी थीं। ...(व्यवधान) हम नहीं चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारा संबंध खराब हो, क्योंकि इस मौके का फायदा उठाने के लिए चीन और पाकिस्तान बैठे है, मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूं।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Impact on the international relations! Sir, what is he talking? ...(*Interruptions*) The Congress is instigating violence in the North-East ...(*Interruptions*)

**डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा):** अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात बोल रहे हैं।

SHRI PRALHAD JOSHI: You are instigating violence in the North-East ...(*Interruptions*) कल गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, आज बांग्लादेश में सरकार ठीक है, उत्पीड़न कम हुआ है।

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** अध्यक्ष महोदय, हालात ऐसे हो गये हैं, असम के बीजेपी के एमपी को घुसपैठ करके जाना पड़ेगा, किसी को जाने की इजाजत नहीं है। सारा नार्थ ईस्ट जल रहा है।

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, they are creating violence in the North-East area and Assam …(*Interruptions*) I condemn their attitude …(*Interruptions*)

**डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा):** अध्यक्ष महोदय, बांग्लादेश जब देश बना, उस समय वह इस्लामिक कंट्री नहीं था, वह सेक्युलर कंट्री था और रातों-रात एक इस्लामिक कंट्री हो गया, लेकिन यहां से कोई मुसलमान नहीं गया। …(व्यवधान) कांग्रेस का इतिहास रहा है, नेपाल का नागरिक एम.के.सुब्बा कांग्रेस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, कांग्रेस ने केवल घुसपैठ बढ़ाई है। उसने बांग्लादेश से लेकर बाहर के लोगों को नार्थ ईस्ट में बढ़ाने का काम किया है, …(व्यवधान) आज पूरा का पूरा नार्थ ईस्ट क्रिश्चियन हो गया है। 1986 का जब पोप का दौरा हुआ तो राजीव गांधी और सोनिया गांधी के कारण हुआ, वहां क्रिश्चियनिटी बढ़ गई है, …(व्यवधान) इसी कारण से वह भड़का रहे हैं। चर्च उसमें सहयोग कर रहा है, उसको बंग्लादेश सहयोग कर रहा है, उसको इस्लाम सहयोग कर रहा है।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, in protest, we are walking out …(*Interruptions*)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): We are also walking out …(*Interruptions*)

1223 hours

*(At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shri T.R. Baalu and some other hon. Members left the House.)*

…(*Interruptions*)

**श्री शान्तनु ठाकुर (बनगांव):** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में एक महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूं। ठाकुरनगर की जनता कई सालों से कई लाभों से वंचित है। बनगांव लोक सभा के अंतर्गत हिन्दू मतुया समुदाय के एक तीर्थ स्थल पर पूरे भारत और बांग्लादेश से श्रद्धालु आते हैं, यह मार्च-अप्रैल महीने के बीच होता है। इस अवसर पर हर वर्ष महामेला आयोजित किया जाता है। इसमें श्रद्धालु की भीड़ कम से कम पचास लाख होती है।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि ठाकुरनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर श्रीधाम ठाकुरनगर रेलवे स्टेशन बना दिया जाए। इसके साथ ही तीसरा प्लेटफार्म भी बना दिया जाए। जिसमें नजदीकी तक्स्श्रेनी में सबवे का निर्माण किया जाए और मार्च-अप्रैल महीने में मेले के समय एक विशेष रेलगाड़ी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि भक्त लोगों को आने-जाने की सुविधा हो और क्षेत्र के लोगों को प्लेटफार्म की सुविधा का लाभ मिले।

(1225/SK/RP)

**श्री राहुल कस्वां (चुरू):** माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में लोहारू, चुरु खंड पर गोगुरवा कृतान गांव है, सिरसिला हॉल स्टेशन है, कांदरान गांव है। ये वे गांव है जो प्रधान मंत्री ग्रामीण योजना से जुड़ तो गए लेकिन रेलवे लाइन बीच में आने के कारण आरओबी की व्यवस्था नहीं की गई। लोगों सालों से रेल लाइन क्रॉस करते आ रहे है। अभी हाल ही में रेलवे कर्मचारियों ने रास्ता बंद कर दिया। कई गांवों के रास्ते कट चुके हैं, इस कारण किसान अपने खेतों तक नहीं पहुंच पाते हैं।

मेरा निवेदन है कि जब तक आरओबी की व्यवस्था न हो, रेलवे विभाग टेम्परेरी व्यवस्था करे, किसी गार्ड को खड़ा करे ताकि किसानों और गांव वालों को आने-जाने में कोई दुविधा न हो। आरओबी प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना का एक हिस्सा होना चाहिए, इसमें एक परमानेंट सॉल्युशन दिया जाना चाहिए ताकि गांव में कनैक्टिविटी बनी रहे। हो। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज ही रेल मंत्रालय को निर्देशित किया जाए कि आरओबी के लिए जब तक टेम्परेरी व्यवस्था न हो, इन गांवों में, सिरसिला, कांदरान आदि में गार्ड की व्यवस्था की जाए।

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या उठाने का मौका दिया। मैंने एजर्नमेंट मोशन दिया था, उत्तर-पूर्वी राज्यों में जो हालत है।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** यह विषय हो गया है।

...(व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बोलने दीजिए। ...(व्यवधान) असम और त्रिपुरा जल रहा है। ...(व्यवधान) असम में दस डिस्ट्रिक्ट्स में कर्फ्यू है। ...(व्यवधान) त्रिपुरा में आर्मी डिप्लाएड है।...(व्यवधान) सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल से ये चीज हुई है।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:**श्रीमती कनीमोझी करुणानिधी।

...(व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** आप गृह मंत्री जी से कहिए कि हाउस में आकर बयान दें। ...(व्यवधान) असम जल रहा है।...(व्यवधान) जापान के प्राइम मिनिस्टर गुवाहाटी कैसे जाएंगे।...(व्यवधान) सिटिजन अमेंडमेंट बिल, 2019 का यह रिएक्शन हुआ है, जो बहुत ही खराब है।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:**श्रीमती कनीमोझी करुणानिधी।

...(व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** हम बंगाल के लोग हैं, हम चिंतित हैं।...(व्यवधान) वहां जो हालत है, हम इस पर होम मिनिस्टर की टिप्पणी चाहते हैं, उनका कमेंट चाहते हैं।...(व्यवधान) हम प्रोटेस्ट करते हैं।...(व्यवधान)

1227 बजे

(इस समय श्री सुदीप बन्दोपाध्याय, प्रो. सौगत राय और
कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, I cannot speak over his voice. …(*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष:** श्री अजय निषाद।

…(व्यवधान)

**श्री अजय निषाद (मुजफ्फरपुर):** माननीय अध्यक्ष जी, मुजफ्फरपुर जंक्शन को ए वन दर्जा प्राप्त है लेकिन इस स्तर की यात्री सुविधाओं का बहुत अभाव है। इससे मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार में व्यावसायिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहां से देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती हैं। ऐसे में मुजफ्फरपुर जंक्शन पर ए वन श्रेणी जंक्शन की सारी सुविधाओं का होना लाजमी है।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर जंक्शन पर महिलाओं के लिए अलग से फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल का निर्माण कराया जाए। प्लेटफार्मों की संख्या बढ़ाई जाए तथा धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्य को तीव्र गति से कराया जाए। इसके साथ ही आरआरआई यानी रूट रिले इन्टर लॉकिंग अविलंब चालू कराई जाए, फुट ओवर ब्रिज की चौड़ाई बढ़ाई जाए और महत्वपूर्ण गाड़ियों का ठहराव सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद।

SHRI MOHAMMED FAIZAL P.P. (LAKSHADWEEP): Thank you very much hon. Speaker, Sir, for allowing me to raise an important issue. The issue, which I am going to raise, is very important as far as development of Lakshadweep is concerned.

The entire development work of harbour in Lakshadweep is entrusted to the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Harbour Works which is falling under the Ministry of Shipping. The Headquarters of the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Harbour Works falls in Andaman and Nicobar Islands. The Head, who is sitting in Lakshadweep, who is a Deputy Chief Engineer, is left with no powers. He cannot buy even a piece of paper sitting there in Lakshadweep. The entire work of developmental projects is funded by the Lakshadweep Administration, which is given in-turn to the Lakshadweep Harbour Works. The UT Administration has no control over this Department. Due to this what happens is that there is no monitoring of all the developmental proposals which are pending in Lakshadweep. Sir, I may be permitted to raise three or four issues as there is an alarming situation in Lakshadweep.

The first issue, which I have already raised earlier in this House, is the construction or re-strengthening of the breakwaters which got demolished due to the Cyclone Okhi which hit in 2017. It is after two years that I am standing

here again. I raised this issue while Okhi had hit. The Government has shown mercy and the Ministry of Shipping sanctioned nearly Rs. 36 crore for re-strengthening this breakwater. Now, what is the current scenario? After completion of two years, still, it remains the same.

(1230/RCP/MK)

If you ask me about the importance of breakwater for my Kalpeni island, this is the only area where people can embark and disembark and cargo movement is happening only through this. This is completely shut off due to lack of re-strengthening. The cranes were supposed to transport, to lift all the harbour stones and major stones from the Mangalore Port. They are lying idle for the last one year because of non-transportation from the Kalpeni unit.

Secondly, when it comes to the construction of eastern side jetties of Kilthan, Chetlat, Kadmat and Kalpeni, all these issues are there from the previous year. This is my second term. I have been vigorously following it and taking it up. It is still in the study stage and environmental clearance and all those things are pending.

Now, I come to the issue regarding silt clearance of the channels which allows the ships to enter inside the channel. The Lakshadweep Harbour Department is under-capacitated. They do not have any equipment to carry out the silt clearance. It is very tough to complete in one year; even they are not in a position to complete at least one island for the silt clearance. The reason behind raising this most important issue before you is this. Silt clearance is so important for the ship to embark inside and passengers can come inside. In the present scenario, the fate of my island is this. If I reach at night in my island, I am forced to sleep in the ship till the day dawns. Otherwise the ship cannot embark and cannot embark the passengers. If the Lakshadweep Harbour Works is not in a position to do the silt clearance, the Lakshadweep Administration or the Government of India may come out with a proposal to approach the Dredging Corporation of India Ltd. or any private agency through an Expression of Interest so that in one go the silt clearance can take place. Even in my island, the Androth Island, ships started entering and, finally, the Lakshadweep Administration asked for the clearance of the channel.

The final conclusion is that unless the Government of India is coming up with a decision to delink the Andaman and Lakshadweep Harbour Works

separately, the Administration is not having any control over the Lakshadweep Harbour Works. So, I would demand that the Lakshadweep Harbour Works should be delinked from Andaman and UTL Administration should be empowered to take over the charge. Thank you so much, Sir.

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, इस नये सत्र में आप ही सबसे ज्यादा बोले होंगे। आप पांच साल का रिकॉर्ड देख लीजिएगा।

SHRI MOHAMMED FAIZAL P.P. (LAKSHADWEEP): I am very thankful to you, Sir, because there is no other MP from Lakshadweep, and not even an MLA. I am the only Member who gets a chance. I am very thankful to you for that and the people of Lakshadweep are also thankful to you.

Thank you.

**माननीय अध्यक्ष :** श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री मोहम्मद फैजल पी.पी. द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Thank you, Sir. Recently, we read about the recruitment exam scams in Tamil Nadu. The PMO intervened and brought the people involved in it to justice. Now, because of the economic slowdown, it is just not impacting the job market. There is another scam which is coming across especially Tamil Nadu. In Tamil Nadu, around one lakh youngsters get into the job market every year. These racketeers go the second-tier and the third-tier cities. They even go to the colleges and educational institutions and say that they are coming from reputed concerns and they go on a recruitment drive. They promise employment to these young people and they ask them to deposit money into a particular account. They promise them jobs after the training. They even say that the retired people can find jobs in countries like Singapore and Malaysia. This has been going on and there is a large network which is involved in this. Young people already are suffering because of unemployment and they are not able to pay back their education loans. On top of this, the families are burdened with this. It is a huge network with many people involved and even these racketeers offer jobs in the police service.

So, I think, the Government cannot continue watching this. The Tamil Nadu Government and the Central Government should intervene, get involved and make sure that there is some kind of verification codes. It is because it is being advertised in newspapers also. So, they must be brought to justice

and there must be justice done for these young people who are already suffering.

Thank you.

**माननीय अध्यक्ष :** श्री कुलदीप राय शर्मा और श्री बी.मणिक्कम टैगोर को श्रीमती करुणानिधि कनिमोझी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1235/RPS/MMN)

श्री जसबीर सिंह (डिम्पा) गिल – उपस्थित नहीं।

श्री असीत कुमार माल ।

SHRI ASIT KUMAR MAL (BOLPUR): Hon. Speaker, Sir, I would like to say that the State Government of West Bengal is buying paddy at the rate of Rs.1,800 per quintal through different organizations for the benefit of the farmers. In this case, Rs.1,200 crore is due from the Central Government.

In the schemes of I.C.D.S and Mid-day Meal, there is an arrear of Rs.850 crore from the Central Government. I would request, through you, Sir, the Central Government to release the dues to the State Government of West Bengal, as early as possible.

The Food Corporation of India keeps the keys of the godowns under the P.E.G. Scheme. As a result, a lot of corruption occurs there. I would request the Central Government to instruct the concerned to handover the keys to the West Bengal Public Distribution System, Department of Food and Civil Supplies, to stop corruption.

Thank you so much for giving me this opportunity.

**माननीय अध्यक्ष:** श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ ।

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ जी ने बोलने में रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Sir, thank you for giving me this opportunity.

Sir, I request the Central Government, particularly the Union Textile Department to support the weavers' community present all over India.

*{Sir 'Jamdani' Sarees' speciality is known not only throughout our country but is also famous throughout the world. Creative design is the real value of this saree. There is patent right for 'Jamdani' sarees and these sarees are exported to various places throughout the world. I am happy and proud to mention that Union Government has decided to release a postal stamp in recognition to 'Jamdani' sarees.

**माननीय अध्यक्ष:** प्लीज कन्क्लूड कीजिए।

श्री अरविंद सावंत ।

*SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): I am fortunate to represent Jamdani weavers in my constituency. Sir, though there is a patent right, these sarees are being imitated and are being sold which is causing huge losses to original weavers. It takes lots of efforts and time for weaving these sarees, but due to imitation these weavers are facing financial losses.

**माननीय अध्यक्ष:** आप कन्क्लूड कर दीजिए, लास्ट में अपनी मांग रख दीजिए।

*SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): In my constituency, Kothagudem, Kothapalli, and Uppaada are home for these weavers. I request Union Government to protect patent rights of these weavers and ensure good wages for their hard work. Thank you Sir.}

…(व्यवधान)

**श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण):** आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मुंबई में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट नाम की एक संस्था है, उसे अभी एक अलग अथॉरिटी बना दिया गया है। 100 साल पहले मुंबई शहर बन्दरगाह में बस्ती बनाने के लिए अंग्रेजों ने लोगों का बुलाया, वहां इमारतें खड़ी हुईं। आज वहां 100 साल पुरानी इमारतें हैं, लेकिन वे बीपीटी की लैण्ड पर हैं। यह लैण्ड लीज पर दी गई है, उस पर जो लोग रहते हैं, वे किरायेदार हैं। अब वे किरायेदार किराया लीजहोल्डर को दे रहे हैं, जिसे लीजहोल्डर को बीपीटी को देना चाहिए, लेकिन वह वक्त पर किराया नहीं देता है, इसलिए बीपीटी आज जिस ढंग से उनके साथ पेश आ रही है, वहां से सभी को निष्कासित करने की बात कर रही है। हालांकि मैंने मंत्री महोदय के सामने एक बार यह विषय रखा था, लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुंबई के कलेक्टर रेन्ट .25 प्रतिशत बढ़ाते हैं, लेकिन बीपीटी 6 प्रतिशत बढ़ाती है। सर, कोलाबा में कोई सारे हाई-फाई लोग नहीं रहते हैं, वहां गरीब लोग रहते हैं, मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं, उन लोगों को निष्कासित करने की बात चल रही है।

---

*Original in Telugu

बीपीटी, जिसका ताज होटल का 500 करोड़ रुपये का भुगतान बाकी है, उसे नोटिस भी नहीं देती, लेकिन गरीबों को निष्कासित करने पर लगी हुई है। महोदय, आपके माध्यम से, खासकर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, जो खुद इस विषय को जानते हैं, मैं उनसे विनती करना चाहता हूं।

(1240/IND/VR)

यदि बीपीटी किरायेदारों से सीधे किराया ले, तो भी अच्छा होगा। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले में इंटरवीन कीजिए और लोगों को न्याय दीजिए। जैसे कोर्ट्स में जजेज होते हैं, वैसे वहां भी जज बैठाए गए हैं, लेकिन उन्हें लॉ वगैरह की कोई जानकारी नहीं है। उनके पास सौ-सौ केसेज पेंडिंग हैं। मैं सरकार से कहूंगा कि वह तुरंत इटरवीन करे ताकि लोग वहां से निष्कासित न हों। जिस तरह से रेंट कंट्रोल एक्ट है, उसी के मुताबिक लोगों से रेंट लिया जाए।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री अरविंद सावतं द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर):** अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमुर की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि शायद देश का सबसे बड़ा घना, आदिवासी बहुल, नक्सल प्रभावित और अविकसित क्षेत्र है। मेरे संसदीय क्षेत्र में बड़ी मात्रा में जल सम्पदा, वन सम्पदा, खनिज सम्पदा है। इनके अलावा यहां धार्मिक स्थल भी हैं जैसे मार्कण्डेय महादेव मंदिर, चपरला मंदिर, कालेश्वर मंदिर, बैरागढ़ शारदा माता पीठ, अर्कतुंडी, कचारगढ़, रामदेगी और गायमुख आदि स्थल हैं। इन स्थलों को ऐतिहासिक स्थल घोषित करके यदि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए तो इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इस क्षेत्र में बेरोजगारी की वजह से नौजवान गलत राह पर जा रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने से नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और वे राष्ट्र के विकास की मुख्यधारा में जुड़ जाएंगे। देश के लाडले पंतप्रधान आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का जो सपना है, वह भी पूरा हो जाएगा।

**श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन):** अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन के भोगनीपुर के अंतर्गत जनपद जालौन जिला आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा जिला है। यहां इंजीनियरिंग की शिक्षा हेतु कोई भी कालेज नहीं है। जिला जालौन के सभी छात्र जिन्हें बीटेक या एमटेक करना होता है, वे सभी छात्र या तो झांसी जाते हैं या कानपुर जाते हैं। जिला जालौन से झांसी की दूरी करीब 125 किलोमीटर दूर है। यहां के छात्र जो शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, उनकी आर्थिक तंगी के कारण इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ने नहीं जा पाते हैं। इस वजह से मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि जनपद जालौन के छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, एनआईटी खुलवाने का कष्ट करें, जिससे वहां के छात्र इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करके अपना योगदान दे सकें।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़):** अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने लोक सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के विभिन्न इलाकों सहित नगर के मध्य से होकर निकलने वाली जीवनदायिनी नदी सई की ओर

पर्यावरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय सहित शहरी विकास मंत्रालय का भी संयुक्त रूप से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, रामचरित मानस में उल्लेख मिलता है –

"सई उतरि गोमती नहाये, चौथे दिवस अवधपुर आये। "

लेकिन वर्तमान में प्रतापगढ़ में बाबा घुइसनाथ धाम, माँ बेल्हादेवी धाम, बाबा वेलखरनाथ धाम, माँ बाराही देवी धाम जैसे धार्मिक स्थलों पर सई नदी का पानी आज पूरी तरह से जहरीला हो गया है। बगल के जनपद रायबरेली में सई नदी में गिरने वाले फैक्ट्रियों के जहरीले पानी ने जलजीवों का अस्तित्व ही मिटा दिया है। वहीं जनपद मुख्यालय पर माँ बेला देवी मंदिर के तट पर सीधे बड़े गंदे नाले का पानी सई नदी में जा रहा है। इससे लोगों की आस्था और विश्वास के साथ जबरदस्त धोखा हो रहा है, क्योंकि वे घाट पर नदी के पानी से नहीं बल्कि कहा जाए तो नाले के पानी का दरस, परस करते हैं। मान्यवर, सई नदी को भारत सरकार की नमामि गंगे परियोजना में शामिल किए जाने के बाद भी इसकी सफाई पर कोई ध्यान न देना चिंताजनक है।

हम आपके माध्यम से पर्यावरण मंत्रालय से रायबरेली की फैक्ट्रियों के जहरीले पदार्थ नदी में छोड़ने से रोकने, शहरी विकास मंत्रालय से नालों के पानी का शोधन करने के बाद ही नदी में गिराने एवं जल शक्ति मंत्रालय से सई के किनारे चारों धार्मिक स्थलों पर बांध बनाकर पानी साफ करने की परियोजना अमल में लाने की मांग करते हैं।

(1245/SAN/ASA)

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, as per the Kasturirangan Report, the Government of India had issued an office memorandum on November 11, 2013 regarding ecological sensitive areas. In accordance with that, in Kerala, 123 villages were included along with other States all over India and 59,940 square kilometres of area is declared as ESA. The restrictions applicable for ESA are very harmfully affecting the livelihood of farmers. Subsequently, the Government of Kerala appointed a high-level committee headed by Dr. Oommen V. Oommen. They conducted a field survey and recommended 3,115 square kilometres of agricultural land, plantation area and thickly populated areas to be exempted. Those recommendations were approved by the Government of India and they issued the first draft notification on March 10, 2014. Subsequently, four draft notifications were issued by the then NDA Government.

Sir, this is the time for final notification, but it has got delayed due to the unwillingness of some other States to cooperate in the finalisation of the ESA. That is why, I urge upon the Government to issue a separate notification for the State of Kerala by reference to the National Green Tribunal for saving the lives of the farmers. Thank you.

**माननीय अध्यक्ष :** श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री डीन कुरियाकोस द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री सुनील कुमार पिंटू (सीतामढ़ी):** माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे मेरे क्षेत्र की जनता की समस्याओं को उठाने का जो मौका दिया है, इसके लिए मैं विशेष रूप से अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं।

आज देश के पटना सहित नॉर्थ-ईस्ट इलाके के लोगों को इलाज के लिए दिल्ली आना पड़ता है और खासकर जो बर्न पेशेंट होते हैं, उनको दिल्ली के अंदर सफदरजंग अस्पताल में जो बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट है और यहां जितने अत्याधुनिक उपकरण लगे हुए हैं, जिससे लोगों का इलाज होता है, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि पटना एम्स में भी सफदरजंग अस्पताल की तर्ज पर बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी के अत्याधुनिक ईक्विपमेंट्स लगाए जाएं ताकि बिहार, उत्तर-भारत के लोग दिल्ली में कम आएं। वे पटना में ही अपना इलाज करा सकें और यहां दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जो भीड़ लगती है, वह भीड़ कम लगे।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री सुनील कुमार पिंटू द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण):** माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक ऐसे संगीन विषय को उठा रहा हूं जो पूरे भारतवर्ष को प्रभावित करेगा या कर रहा है। भारत में जितने अधिकारी जो यूपीएससी का एग्जाम पास करके आई.ए.एस. अधिकारी नियुक्त होते हैं, वर्ष 1951 का जो ऑल इंडिया सर्विसेज रूल है, उससे बहाल होते हैं। हमारी सैक्रेटरी जनरल भी उसी पद से यहां पर बैठी हैं। लेकिन भारत के एक राज्य में एक विचित्र परिस्थिति पैदा हो गई है। वहां पर जो कैडर पोस्ट है, पिछले दो वर्ष से जो पूरे देश के बच्चे किसी राज्य में जाते हैं, उनको राज्य सरकार आई.ए.एस. की पोस्टिंग के बाद एसडीओ की पोस्टिंग पहले देती है। मुलायम सिंह जी भी मुख्य मंत्री रहे हैं। वर्ष 2016 और 2017 बैच के आईएएस ऑफिसर जो तेलंगाना में गए हैं, उनकी एसडीओ की पोस्टिंग पिछले दो वर्षों से नहीं हुई है। वे बच्चे दिल्ली और तेलंगाना में भटक रहे हैं। हरियाणा का आईएएस बच्चा कर्नाटक में जाता है, राजस्थान का बिहार में जाता है और बिहार का केरल जाता है, केरल का बच्चा पुड्डुचेरी जाता है। लेकिन तेलंगाना में पिछले दो वर्षों से आईएएस ऑफिसर्स की एसडीओ की पोस्टिंग नहीं की गई है। यह संवैधानिक क्राइसिस है। ये बच्चे पूरे भारत में, आईएएस ऑफिसर, जो इंस्टीट्यूशनली टैस्टेड हैं कि संविधान में उसका प्रोविजन है कि राज्य सरकार में जो अधिकारी यू.पी.एस.सी. से जाएगा, हमारे पास यह पूरी सूची है। कल अगर ऐसी स्थिति होगी तो जजेज की पोस्टिंग जो हाइ कोर्ट में होती है, उस पर भी रोक लग जाएगी। यह फैडरल स्ट्रक्चर को अफैक्ट कर रहा है। अगर अब ऐसा है कि राज्य सरकार के चीफ सैक्रेटरी के पास जाने के बाद अगर वह उनको पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं और ये बच्चे पूरे देश में भटक रहे हैं, तो राज्य सरकार को अगर लगता है कि पोस्टिंग नहीं है तो बिहार में इन तमाम अधिकारियों को भेज दें। बिहार की सरकार इनको अपने राज्य में लेने के लिए तैयार है। लेकिन जो आईएएस अधिकारी हैं, कैबिनेट सैक्रेटरी को देखना चाहिए और वहां के चीफ सैक्रेटरी को देखना चाहिए। अगर पोलिटिकली तेलंगाना राज्य सरकार इन अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं

करती है तो यह हमारे लिए संवैधानिक संकट है और इन बच्चों के लिए जो 25 की संख्या में 2016-2017 बैच के बच्चे हैं, जिनकी पोस्टिंग एस.डी.ओ. के रूप में नहीं हुई है क्योंकि इनकी जब एसीआर में लिखा जाएगा कि एस.डी.ओ. की पोस्टिंग नहीं हुई है, कलैक्टर की पोस्टिंग नहीं हुई है तो इनके करियर पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(1250/RAJ/SM)

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करूंगा। यह आर्टिकल 355 का भी विरोधाभास है। यह विषय संज्ञान में लिया जाए।...(व्यवधान)

**श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर):** ऑल इंडिया में बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं।...(व्यवधान)

**श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण):** बिहार के सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। बिहार के लोग तेज होते हैं, बिहार के लोग अच्छे भी होते हैं और बिहार के लोगों का दिल भी बड़ा होता है।...(व्यवधान) अगर राज्य सरकारें इनको नहीं लेना चाहती हैं तो उनको बिहार भेज दीजिए। सरकार उन सभी आईएएस ऑफिसर्स को अपने यहां लेने के लिए तैयार है।...(व्यवधान) आप सरकार को भी परमिशन दें।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Thank you, Hon. Speaker, Sir. Being a mother and a public representative, it is my duty to protect women and children of India from the barbarians. It is my duty to protect people from any sort of sexual offence, as it is my right to seek help from the Government for the well-being of Swati Maliwal and others sitting on hunger strike.

Sir, formation of law is not the solution. The most important thing is to implement it. It is very important to change the mindset of the society. Girls cannot be forced to do anything against their will. Sir, she has been striving for the last ten days.

**माननीय अध्यक्ष :** श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री राजेन्द्र धेड्या गावित (पालघर):** अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पालघर और बोईसर के नागरिक खतरनाक स्थितियों में रह रहे हैं। वहां पर 2.5 पीएम प्रदूषण का लेवल है। बोईसर और तारापुर एरिया हिन्दुस्तान का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर डिक्लेयर किया गया है। यहां स्थिति बहुत खराब है। यह मानव शरीर के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है। इस औद्योगिक

क्षेत्र में 1400 कंपनियां हैं, उनमें से 600 प्रदूषणकारी की श्रेणी में हैं। आस-पास के कई औद्योगिक स्थानों में विस्फोटों की क्षमता इतनी अधिक होती है कि दस किलोमीटर के गांवों में इसके झटके महसूस किए जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, वहां पर 25 एमएलडी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, उसे बढ़ा कर 50 एमएलडी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की जरूरत है, जिसके कारण 20 एमएलडी से अधिक अनुपचारित अपशिष्टों को अरब सागर में उतारा जाता है, जिसके कारण भूजल और जल स्त्रोत के दृष्टिकोण से वहां के आस-पास के गांव प्रभावित होते हैं। इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में खेती के साथ-साथ वहां पर मछुआरा समुदाय को भारी नुकसान पहुंचता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वायु प्रदूषण फैलाने वाली कंपनी को चिह्नित कर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ औद्योगिक ईकाइयों के नियंत्रण के लिए सार्थक कदम उठाए।

*KUMARI GODDETI MADHAVI (ARAKU): Sir, for the benefit of people of Andhra Pradesh and Odisha, Maccha gadda bridge is being constructed in Peda bailu village of my constituency. This bridge was sanctioned ten years ago by then Government. Around Rs.13 crores were spent on construction of this bridge but as those funds were not sufficient additional funds of Rs.16 crores were sanctioned. But still that bridge is in first phase of works. People are facing difficulties to cross that stretch of river and are losing lives while crossing that stretch. Also, there are various areas where there is a need for such bridges. People are losing their lives for many years as bridges are being not constructed. Keeping in view the difficulties faced by people of my constituency, new bridges may be constructed in Konajala pottu, Velagadda, Veeravaram, Chompi and Sarapalli. I request Central Government to save lives of tribals who are losing lives due to non construction of bridges. Therefore, I further request that wherever bridges are required, funds may be allocated and process of constructing bridges may be expedited.

*Original in Telugu

(1255/VB/AK)

**डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब):** पंजाब पूरे मुल्क को अन्न खिलाता है, आज वहाँ बहुत टेंशन बनी हुई है। वहाँ के जो फुड ग्रेन स्टॉक्स हैं, वे 200 लाख मीट्रिक टन हैं और 110 लाख मीट्रिक टन अभी और चावल आने वाला है। कोई भी जगह खाली नहीं है। एफ.सी.आई और भारत सरकार खाली कर रही है, वह केवल 10-12 लाख मीट्रिक टन हर महीने निकाल रही है। 1 अप्रैल, 2020 को 120 लाख मीट्रिक टन गेहूँ आ जाएगा।

मैं विनती करना चाहता हूँ कि पंजाब को इस समस्या से बचाइए। पंजाब लगभग 40-50 परसेंट हिन्दुस्तान का अन्नदाता है। आज राइस मिलर्स पर प्रेशर है।

गोदामों में गेहूँ और चावल पड़े रहते हैं और जो डैमेज होता है, वह सारा सरकार को देना पड़ता है। हर साल 12-15 सौ करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। वर्ष 2017 में भारत सरकार ने 31 हजार करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। मेरी विनती है कि जो पूरे हिन्दुस्तान का अन्नदाता है, उसको राहत दी जाए। जो समस्या चल रही है, उसके लिए 20 से 25 लाख मीट्रिक टन हर महीने मूव करके इसका समाधान किया जाए।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री कुलदीप राय शर्मा को डॉ. अमर सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Thank you very much Speaker, Sir.

I would like to draw the attention of the Government with regard to introduction of international flight services from Coimbatore to Dubai, Kuala Lumpur and Bangkok. No one can deny that Coimbatore is a potential area, which is being called 'South Indian Manchester' in terms of business activities. In 2008, Flydubai, a company from Dubai, came forward to start flight connections between Dubai and Coimbatore. It has negotiated with the Government, but ultimately, it did not materialize.

The commercial viability study has been conducted by the Ministry of Civil Aviation for having operations from Coimbatore, which was completely positive. But, in spite of the positive report that was submitted by the Study Group, no effort has been taken so far by the Ministry of Civil Aviation. The non-availability of connecting flights to Dubai and other countries affects industrialization, business and employment.

I would strongly urge the Government to act upon and provide direct flight operations to these international destinations from Coimbatore, so that

(Page 317A)

more economic growth, including Foreign Direct Investment, takes place in that region. Thank you, Sir.

**माननीय अध्यक्ष :** श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री ए. राजा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI ABU HASEM KHAN (DALU) CHOUDHURY (MALDAHA DAKSHIN): Hon. Speaker, Sir, through you, I would like to draw the attention of the Railway Ministry.

I am a Member of Parliament from Malda, West Bengal. It is not only astonishing, but also very sad to note that Malda does not have goods-train connectivity to Delhi. When we talk about Malda, we include the surrounding areas of Murshidabad, Raiganj, Balurghat and a part of Jharkhand.

There are two Rajdhani trains, which pass through Malda. However, they do not go through Malda Town Railway Station. Both these Rajdhanis go to Katihar in Bihar, which is 50 kilometers away from Malda. The people of Malda and the surrounding regions would appreciate if the Railway Ministry could explore the possibility of halting at least one of the Rajdhanis three days a week at Malda Town.

(1300/SPR/SPS)

Since a lot of people of the region have shown their interest for the Rajdhani to ply through Malda, halting Rajdhani at Malda would be of great help. Moreover, it would also generate financial resources for the Railways too. Therefore, we would appreciate if you could consider our humble request.

**श्री एस. एस. अहलुवालिया (बर्धमान-दुर्गापुर):** अध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र बर्धमान-दुर्गापुर से आता हूं, यह दामोदर और अजय नदी के बीच बसा हुआ है। इस क्षेत्र में दो तरह की जगह है, एक शिल्पांचल है और दूसरा अन्न का भण्डार है। दुर्गापुर शिल्पांचल के रूप में जाना जाता है और बर्धमान अन्न के भण्डार के रूप में जाना जाता है।

महोदय, मेरे क्षेत्र दुर्गापुर में 50 और 60 के दशक में दुर्गापुर स्टील प्लांट, एलॉय स्टील प्लांट, दुर्गापुर ऑप्टीकल ग्लास फैक्ट्री, माइनिंग एण्ड अलाइन मशीनरी कॉर्पोरेशन, दुर्गापुर कैमिकल, दुर्गापुर पावर प्लांट, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर, बॉयलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, डी.वी.सी. दुर्गापुर बैराज और सी.बी.एम. के बहुत सारे भण्डार मिलते हैं। अभी वहां रुग्न अवस्था है। इनके सान्निध्य में वहां बहुत इंडस्ट्रीज पनपी हैं। समय के अंतराल से लेबर पॉलिसी के कारण, कुछ लेबर यूनियनों के कारण और कुछ सरकारी तंत्र के कारण ये इंडस्ट्री रुग्न होती जा रही हैं।

आपके माध्यम से मेरी यह मांग है, चूंकि यह यूनिट केन्द्र सरकार की है तो एक मल्टी डिपार्टमेंट हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाए, जो इन्वेस्टीगेट करके देखे कि इसको किस तरह से पूरी तरह से री-विटलाइज किया जा सकता है, जिससे वहां के लाखों लोगों का रोजगार बच सके। अगर जरूरत पड़े कि दो यूनिटों को मर्ज करके इनको बचाया जा सकता है, तो इस पर भी एक निर्णय लिया जाए।

**श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी):** सत्तापक्ष कहां है?

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय मंत्री हर्षवर्धन जी बैठे हैं, दो कैबिनेट मंत्री बैठे हैं और मैं सबका संरक्षण करने के लिए बैठा हूं।

**श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत):** माननीय अध्यक्ष जी, नमस्कार। मैं अपने संसदीय क्षेत्र सूरत के एक युवक की समस्या को लेकर यहां उपस्थित हुई हूं, जो सारे भारतवर्ष के अन्य युवक-युवतियों की भी समस्या हो सकती है। एक निरव मकवाणा लड़का था, जिसने 10$^{th}$ और 12$^{th}$ 85 परसेंट डिक्टिंक्शन के साथ पास की। इसके बाद उसने इलैक्ट्रोनिक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से पास की। उसने अपने जीवन के 25 साल श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए दिए। जब वह नौकरी के लिए अप्लाई करता है तब उसे पता चलता है कि उसे कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है, जिसके कारण न तो वह दिव्यांग की श्रेणी में आता है और न ही वह कहीं जॉब कर पाता है। उन्होंने बहुत आशा से प्रधान मंत्री जी को भी पत्र लिखा, जो उन्होंने कंसर्ड मिनिस्ट्री के तौर पर एजुकेशन मिनिस्टर को लिखा, लेकिन वह एजुकेशन का मसला नहीं है। जब तक वह पढ़ा तब तक किसी ने बताया नहीं कि उसको कलर ब्लाइंडनेस है, लेकिन जब उसने नौकरी के लिए अप्लाई किया और उसका सर्टिफिकेट आया तो उसे यह पता चला। पीडब्ल्यू एक्ट और आरपीडब्ल्यू डी एक्ट 2016 के अंतर्गत ऐसे हजारों आशावान

युवक-युवती होंगे, जो दिव्यांग की श्रेणी में नहीं गिने जाते हैं। उनकी आंखों में कुछ पिगमेंट बचपन से न होने की वजह से कुछ कलर्स आंखें नहीं पहचान पाती हैं या नहीं देख पाती हैं। जब कम दिखना दिव्यांगता का भाग है, उसी तरह यह बीमारी अन्य बच्चों में भी हो सकती है।

मेरी मांग है कि तीनों मंत्रालयों, जैसे सामाजिक और अधिकारिता मंत्री ने भी मुझे बोला था, डॉ. साहब को भी कल मैंने बोला था तो उन्होंने कहा कि मैं सर्वे करके बताऊंगा और एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी यह बात आए। इतनी अच्छी योग्यता होने के बावजूद भी वह कहीं नौकरी नहीं कर पाता है।

(1305/UB/MM)

SHRI G. M. SIDDESHWAR (DAVANAGERE): Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister of Road Transport and Highways, through you, towards the execution of work of six-lane Chitradurga-Davangere-Haveri Section by the NHAI under the NHDP Phase-V in the State of Karnataka.

The Highways Authority has made a lot of mistakes while making four lanes between Chitradurga, Davangere and Haveri. The project for construction of RUBs at Lakkamuthenahalli, Halavarthy, Mallashettihalli, H. Kalpanahalli, Hosa Kunduvada village and the area near Chidodi Lila Circle for Davangere City Entry has not been considered by the Project Director. I urge upon the Union Government to take up this project also for execution.

In this regard, I met the concerned officers several times but no response has been received from them so far. Keeping the above in view, I urge upon the Union Government to issue necessary instructions to the Highways Authority to provide suitable remedial measures to take up the work of six-lane highway project which is already mentioned in my letter in the best interest of the people, at the earliest.

SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): Hon. Speaker, Sir, the work of two-laning of Tindivaram-Krishnagiri section of National Highways 66 and 77 in Tamil Nadu started in the year 2012 but it is yet to be completed. In the reply to my question on 18th July, 2019, hon. Minister of Road Transport and Highways informed the House that the contract for remaining work has been rewarded on 29th May, 2019 with scheduled completion period of twenty months from the date of commencement.

The road is the main approach road to the temple city of Tiruvannamalai through which lakhs of pilgrims reach the town for Darshan and Girivalam of Lord Arunachaleshwar. I would like to bring to the notice of the august House

that the remaining construction work has not started till today. I, therefore, urge upon the hon. Minister of Road Transport and Highways to direct the authorities concerned to expedite the work and complete the construction of that road within the scheduled period.

**माननीय अध्यक्ष:** श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. को श्री सी.एन. अन्नादुरई द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री नितेश गंगा देब। अब आप एक मिनट घड़ी पर देख लें।

SHRI NITESH GANGA DEB (SAMBALPUR): Sir, Sambalpur University was established at Burla in the year 1967. It is located in western Odisha region and it imparts education to students of Odisha and the adjoining States. It has completed more than fifty years of its glorious existence becoming the torchbearer in higher education in western Odisha. Sir, due to its excellent academic credentials and sterling intellectual environment, students from southern coastal Odisha and neighbouring State of Chhattisgarh also come to the University for pursuing academic career and research studies.

A large number of tribal students are also pursuing their higher education in the Sambalpur University. In order to cope with the international standard, the University needs to have new centres of studies like Centre for South Asia, Centre for East Asia, Centre for America, Latin America and others. Sir, this requires faculty in specialised areas and also good infrastructure.

I urge the hon. Minister of HRD, through you, to declare Sambalpur University a Central University during the current year. This would be a true gift to the people of Sambalpur, particularly, of western Odisha.

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NOWGONG): Sir, I draw your kind attention to the situation of Assam which is burning today. You are aware of it.

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आप लोग इस विषय पर बॉयकॉट कर गए थे। आप एक सीनियर सदस्य हैं।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NOWGONG): Sir, I am sorry but I want to draw your attention towards this situation.

HON. SPEAKER: No. एक बार आपकी पार्टी बॉयकॉट कर चुकी है।

डॉ. राजदीप राय।

…(<u>व्यवधान</u>)

**डॉ. राजदीप राय (सिल्चर):** स्पीकर महोदय, मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं भी असम में जो आज और कल हो रहा है, उसके बारे में हाउस का अटेंशन …(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No. आपको भी इजाजत नहीं है।

श्री श्याम सिंह यादव।

…(व्यवधान)

**श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर):** अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं आगरा से शुरूआत करके जौनपुर तक जाऊंगा, कृपया मुझे दो मिनट बोलने का समय दें।

**माननीय अध्यक्ष :** श्याम जी, इसमें तो चार घंटे लग जाएंगे।

(1310/SJN/KMR)

आगरा देश का एक बहुत ही ऐतिहासिक और टूरिस्ट स्पॉट है और एक बहुत बड़ा शहर है। मेरा आगरा और आगरा के लोगों से बड़ा जुड़ाव है, क्योंकि मैं वहां पर साढ़े तीन साल म्युनिसिपल कमिश्नर के पद पर रहा था। मैं आगरा की महत्ता के बारे में हकीकत बयान करना चाहता हूं। जब मैं वर्ष 2005 में बेलग्रेड में इंडियन शूटिंग टीम के कोच के मैनेजर के रूप में गया था, तो मेरे साथ एक लेडी लाइज़न आफिसर के रूप में थी। वह मुझसे पूछती हैं कि आप किस कंट्री से आए हैं, तो मैंने कहा कि मैं इंडिया से आया हूं। वह इंडिया के बारे में नहीं जानती थी। मैंने कहा कि आप पाकिस्तान को जानती हैं, बांग्लादेश को जानती हैं, लेकिन वह कुछ नहीं जानती थी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और बड़ा दुख भी हुआ कि वह इंडिया को नहीं जानती है। मैंने उससे पूछा कि आपने ताजमहल के बारे में सुना है, तब वह बहुत खुश हो गई और उसने किस तरह से मेरा वार्म वेलकम किया था, वह मैं इस आवाम में नहीं बता सकता हूं।…(व्यवधान) महोदय, मैं अपनी बात को एक मिनट में समाप्त कर दूंगा।…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** वह ताजमहल को जानती थी, इसलिए भारत को जानती थी। आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

**श्री कुलदीप राय शर्मा (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) :** अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। महोदय, मैं आपके माध्यम से अंडमान-निकोबार का एक महत्वपूर्ण मुद्दा सभी के सामने लाना चाहूंगा। अंडमान-निकोबार में जो चाथम आइलैंड है, चाथम आइलैंड से बोम्बूफ्लत है, वहां पर समुद्र के ऊपर एक ब्रिज बनना है। इसका बहुत पुराना प्रपोजल है। जब मार्च, 2015 में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब वहां पर गए थे, तो उन्होंने यह कहा था कि उसको जल्दी बना देंगे। इसके साथ ही साथ जब वहां पर माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी 30 दिसंबर, 2018 को गए थे, तब उन्होंने यह कहा था कि इसको जल्दी बनाएंगे। मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह मांग है कि चाथम आइलैंड और बोम्बूफ्लत का जो ब्रिज है, उसको जल्द से जल्द बनाया जाए।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे – उपस्थित नहीं।

**श्री चिराग पासवान (जमुई) :** अध्यक्ष महोदय, आपका धन्याद। महोदय, मैं युवाओं से जुड़ा हुआ विषय उठा रहा हूं, इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। भारत एक युवा देश है और भारत में एक बड़ी

आबादी युवाओं की है। देश का युवा कहीं न कहीं भारत की संसद की तरफ आशाभरी निगाहों से देखता है कि क्या यहां पर जो चुने हुए जनप्रतिनिध हैं, वे युवाओं से जुड़े हुए विषयों को भारत की संसद में उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। जब हम युवाओं की समस्याओं का जिक्र करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी सोच उनकी शिक्षा और उनके रोजगार तक आकर सीमित हो जाती है। भारत में ऐसी कई प्रतिभाएं हैं, जो शिक्षा और रोजगार से हटकर अपना व्यवसाय अलग-अलग क्षेत्रों में बनाना चाहते हैं। कोई खेल-कूद में जाना चाहता है, कोई कला के क्षेत्र में जाता है, कोई एक्टिंग करना चाहता है, कोई डायरेक्शन में जाना चाहता है या कोई सिंगिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है।

महोदय, मेरा आग्रह है और मैं यह चाहूंगा कि कोई ऐसी नोडल एजेंसी बनाई जाए, जहां पर युवा अपनी समस्याओं के साथ जाएं और उसका समाधान लेकर वापस आएं। मैंने इसी क्रम में आदरणीय प्रधान मंत्री जी को भी एक पत्र लिखा है कि जिस तरीके से देश में बाल आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, महिला आयोग है, अनसूचित जाति और जनजाति आयोग है, उसी तर्ज पर देश में एक युवा आयोग का भी गठन किया जाए, एक नेशनल यूथ कमीशन का गठन किया जाए, ताकि युवा अपनी समस्याओं के साथ वहां जाएं और समाधान लेकर वापस आएं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द एक नेशनल यूथ कमीशन, एक राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन किया जाए, ताकि युवा अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ़ सकें।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री चिराग पासवान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Hon. Speaker, Sir, today I am raising an important issue relating to forest dwellers in the country.

The Forest Rights Act is a revolutionary legislation promulgated by the UPA government in 2006 to ensure the rights of forest dwellers and their ownership. It was by sensing the historical urgency of the legislation that the UPA Government enacted the Forest Rights Act in 2006. The Forest Rights Act, which recognises the individual as well as community rights over forest resources, was aimed at ending the historical injustice caused to the nearly 200 million tribals. But various State governments, including the Government of my State Kerala, either neglected or slowed its implementation in the post-2006 period and that caused the Act to get weakened and eventually become ineffective.

On February 13, 2019, the Supreme Court ordered the State Governments to evict over 10 lakh forest-dwelling families whose claims over forestland have been rejected, a direction that will hurt some of India's most vulnerable people. Nearly 11,27,446 tribal and other forest-dwelling households

have been rejected as per the rejection claims from 16 States that were submitted in the court.

Sir, I urge the Central Government to urgently intervene and ensure proper implementation of the Forest Rights Act and ensure strict compliance by States to legislate laws in accordance with that Act.

(1315/KN/SNT)

**श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आरामबाग):** अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री कम्युनिकेशन एंड आईटी मिनिस्टर का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित करना चाहूँगी। मेरे संसदीय क्षेत्र आरामबाग में खानाकुल एक जगह है। खानाकुल बाजार में सब-पोस्ट ऑफिस है और वहां पर काफी ग्राहक लोग हैं, जिसमें सबसे ज्यादा किसान हैं, मध्यम वर्ग के जो व्यवसायी हैं, वे लोग भी हैं। लेकिन वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर यह सब-पोस्ट ऑफिस है, आधा से एक किलोमीटर की दूरी पर पोस्टल डिपार्टमेंट की अपनी जमीन है। मेरा आपके माध्यम से सरकार और मंत्री जी से यह अनुरोध है कि वहाँ पर जल्द से जल्द सब-पोस्ट ऑफिस बनाया जाए, क्योंकि खानाकुल बाढ़ पीड़ित इलाका है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर सब-पोस्ट ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस की अवस्था बहुत खराब है। इसको जल्द से जल्द कंस्ट्रक्ट किया जाए। ग्रामीण डाक सेवकों की रेग्युलरिटीज के लिए भी मंत्री जी कुछ करें। धन्यवाद।

SHRI MANNE SRINIVAS REDDY (MAHBUBNAGAR): Hon. Speaker, Sir, AIBOC, an apex forum of trade unions of Regional Rural Banks has been fighting for the last one decade for parity in scales and allowances and other service conditions at par with the banking industry as per the National Industrial Tribunal and verdicts of the hon. Supreme Court. A number of conditions were also placed in scales and allowances level in the last 2-3 three years. But the issues are inordinately pending with the Department of Financial Services for clearances. In respect of these issues, directions have been given by some hon. High Courts, the hon. Supreme Court, and it was also recommended by a Joint Consultative Committee headed by NABARD.

Regional Rural Banks, then 45 in number, were established in 1975. And within, four-and-a-half decades, these banks have been able to emerge as the largest banks of rural India having more than 20,000 branches and about one lakh staff strength by way of achieving all targets under Government-sponsored schemes and economic programmes. These banks have played a pivotal role in the lives of rural people living below poverty line. The customer base of Regional Rural Banks has now exceeded to 30 crores cutting across a large number of rural people. Thank you.

*DR. R.K. RANJAN (INNER MANIPUR): Hon. Speaker Sir, with your kind permission. I would like to raise an important issue pertaining to inter-state border disputes. Sir, permit me to speak in Manipuri.

Since long there has been unsettled boundary issues along the border of Manipur-Nagaland and Manipur-Assam. The disputed areas are along the districts of Senapati, Ukhrul and Jiribam. Few controversial sites are namely Dzuku valley, Tung joy, Wahong, Jiri-river area etc; these disputes quite often trigger squabbling and enmity between the ethnic people settled in the around the disputed areas. And it affects the inter-state relation. Therefore, I urge upon the Union Government to kindly look into such sensitive matters and help the concern states in finding amicable solution.

Sir, through you I seek the indulgence of the Hon. Home Minister to settle the inter-state border disputes at the earliest.

Jai hind.

**माननीय अध्यक्ष :** सभा की कार्यवाही दो बजकर पंद्रह मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

1318 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजकर पंद्रह मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

* Original in Manipuri.

(1415/CS/GM)

1417 बजे

लोक सभा चौदह बजकर सत्रह मिनट पर पुनः समवेत् हुई।

(श्रीमती रमा देवी पीठासीन हुईं)

1417 बजे

## नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

**माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी):** माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले के पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा, जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त होगा और शेष को व्यपगत माना जाएगा।

---

## Re: Vacant defence land in Sitapur parliamentary constituency, Uttar Pradesh

**श्री राजेश वर्मा (सीतापुर):** महोदय, आपका ध्यान मैं अपने संसदीय क्षेत्र सीतापुर (उत्तर प्रदेश) की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ। मेरे जनपद सीतापुर में सेना की सैंकड़ों एकड़ भूमि खाली पड़ी हुई है, जिसमें कुछ भूमि हमारे सीतापुर शहर के अन्दर भी आती है, पड़ी हुई खाली भूमि के उपयोग के लिये एवं शहर की सीमा के अन्दर पड़ी हुई खाली भूमि को बाजार भाव पर जनता को देने का पूर्व में अनुरोध किया था, जिस सम्बन्ध में रक्षा मंत्रालय के द्वारा लिखित रूप में यह जवाब दिया गया था कि जल्द ही इस खाली पड़ी हुई भूमि पर सेना की गतिविधि शुरू होगी, परन्तु आज तक इस संबंध में रक्षा मंत्रालय के द्वारा किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं हुई है।

अतः अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं रक्षा मंत्री जी से मांग करता हूँ कि रक्षा मंत्रालय द्वारा किये गये निर्णय का अनुपालन कराने के निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

(इति)

**Re: Need to sanction a railway station in village Sorkhi in Hissar district of Haryana**

SHRI BRIJENDRA SINGH (HISAR): There is an ongoing work of laying of new railway line in district Hisar, for which 21 acres land in village Sorkhi have been acquired by the government for building a railway station. Now, it has come to notice that a ‘halt” instead of railway station is being developed in village Sorkhi. There are twelve villages falling within 5 *kilometers* radius of village Sorkhi and a proper railway station will make life convenient for public at large.

Keeping in view the larger public interest in mind, I would request the Hon'ble Minister of Railways that a railway station and not a railway halt be developed in village Sorkhi.

(ends)

## Re: Implementation of 74th Constitutional Amendment Act in letter and spirit by State Governments

**श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर):** संसद द्वारा 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगर निगम व नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाकर इन्हें सक्षम बनाया गया है।

संविधान संशोधन लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें अपने-अपने प्रदेशों में लागू अधिनियमों के माध्यम से नगर निगमों को शक्तियाँ, अधिकार व जिम्मेदारियाँ देने का काम कर रही हैं। संविधान संशोधन की मंशा के अनुसार कामकाज हो इस हेतु प्रदेश सरकारें अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार इस संशोधन को आंशिक रूप से लागू कर रही हैं।

केन्द्र सरकार की अनेकों योजनाएँ जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि अनेकों योजनाओं का क्रियान्वयन नगर निगमों द्वारा किया जा रहा है। सशक्त व सक्षम नगर सरकारें ही इन योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने का काम सफलतापूर्वक कर सकती हैं। इस हेतु 74वें संविधान संशोधन का इमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। संविधान संशोधन की मंशा के अनुसार कामकाज चले इस हेतु राज्य सरकारों को अपने-अपने अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करने होंगे।

भारतीय महापौर परिषद जो महापौरों का अखिल भारतीय संगठन है, ने इस विषय में नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि व विशेषज्ञों से चर्चा कर एक मॉडल अधिनियम बनाकर केन्द्र सरकार को प्रेषित भी किया है।

प्रदेश सरकारों से चर्चा कर इस विषय में आम सहमति के आधार पर आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे कि देश की सभी नगर सरकारें भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सफलतापूर्वक व प्रभावकारी क्रियान्वयन कर सके।

(इति)

**Re: Need to run a superfast train from Malda to Delhi and Bengaluru**

**श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर):** आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन के माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मालदा उत्तर (पश्चिम बंगाल) में रेल सुविधाओं के विस्तार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा हुआ है। रोजगार और इलाज के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग दिल्ली एवं बैंगलोर की यात्रा करते हैं। मालदा से दिल्ली के लिए प्रतिदिन केवल एक ट्रेन फरक्का एक्सप्रेस है जो लगभग 36 घंटे का समय लेती है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र मेल है जो मालदा से होकर जाती है। इससे मेरे क्षेत्र के लोगों को दिल्ली आने-जाने में काफी कठिनाई होती है।

मैं सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूँ कि मालदा से नई दिल्ली के लिए "वन्दे भारत" की तरह से प्रतिदिन एक सुपरफास्ट ट्रेन चलायी जाए एवं मालदा से बैंगलोर के लिए सुपरफास्ट ट्रेन चलायी जाए।

(इति)

**Re: Need to connect uncovered villages in Kheri parliamentary constituency, Uttar Pradesh with mobile and internet services**

**श्री अजय कुमार (खीरी):** माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान सरकार प्रत्येक गाँव तक मोबाइल, ब्रॉडबैंड व इंटरनेट सेवाएँ पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मेरी जानकारी के अनुसार 2011 की जनगणना के आधार पर लगभग 2,50,000 ग्रामसभा में से 1,28,376 ग्राम पंचायतों तक उक्त सेवा पहुँच गयी है व मोबाइल सेवा से मात्र 28000 गाँव वंचित है। इनमे मेरी लोकसभा क्षेत्र लखीमपुर-खीरी (उत्तरप्रदेश) की लगभग 20 ग्राम पंचायतें (लगभग 100 गाँव) जो नेपाल के सीमावर्ती जनजातीय क्षेत्र हैं, भी इन सेवाओं से वंचित हैं। इनमें मेरे लोकसभा क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्र के गौरफंटा, सौनहा व चन्दन चौकी आदि क्षेत्र में मोबाइल टॉवर की स्वीकृती 4 वर्ष पूर्व हुई थी तथा प्रारम्भिक निर्माण संबंधी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं परंतु अब काम रुक गया है जिसके कारण उक्त गाँवों में मोबाइल सहित इंटरनेट व ब्रॉडबैंड सेवाएँ उपलब्ध न होने के कारण सरकारी सेवाओं का लाभ पूरी तरह से लोगों को नहीं मिल पा रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के उक्त जनजातीय क्षेत्रों सहित सभी 28000 गाँवों में मोबाइल सेवा व शेष लगभग 1,25000 गाँवों में ब्रॉडबैंड व इंटरनेट सेवा शीघ्र शुरू करने हेतु आवश्यक कार्य शीघ्र पूरे कराने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(इति)

**Re: Setting up of an AYUSH Medical College & Hospital in Jhargram, West Bengal**

SHRI KUNAR HEMBRAM (JHARGRAM): My constituency Jhargram in West Bengal, also known as Jangalmahal, has poor and marginal people. In my constituency, there are maximum percentage of people below poverty line and they are Scheduled Tribe, Scheduled Caste and Other Backward Classes. There is no medical college and hospital. The district hospital has very poor quality of medical treatment facility. Poor people don't have any means to get treated outside West Bengal.

So, it is an urgent need to establish an AYUSH Medical College and Hospital in my district Jhargram.

(ends)

## Re: Need to undertake repair of National Highways from Ankleshwar to Maharashtra border and Netrang to Rajpipla

**श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच):** गुजरात में मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच के अंतर्गत अंकलेश्वर से लेकर नेतरंग, डेडियापाड़ा, सागबारा तथा महाराष्ट्र बॉर्डर तक नेशनल हाइवे बिल्कुल टूट गया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात के भारी वाहन इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग वाली सड़क बिल्कुल टूट जाने की वजह से लोगों को भारी तकलीफ उठानी पड़ती है। वैसे तो मरम्मत का काम चलता रहता है परंतु ठीक तरह से मरम्मत नहीं हो पाती है।

इसी तरह नेतरंग से राजपीपला तक नेशनल हाइवे छह-सात साल पहले बना था परंतु यह मार्ग भी टूट गया है। इस मार्ग पर ज्यादातर महाराष्ट्र तथा साउथ गुजरात के प्रवासी लोग सरदार सरोवर में 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के दर्शन करने हेतु आते रहते हैं।

अतः उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में सरकार से मेरा आग्रह है कि उक्त मार्गों की मरम्मत की जगह स्थायी रूप से अच्छा रोड बनाया जाए।

(इति)

**Re: Need to extend the benefit of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme to farmers living in forest areas in Betul district, Madhya Pradesh**

**श्री दुर्गा दास (डी.डी) उईके (बैतूल):** महोदय जी मैं बैतूल हरदा हरसूद आदिवासी लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। किसानों के हित में हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि किसानों को सबल बनाने और उन्हें आंशिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' के नाम से एक महत्वकांक्षी योजना शुरू की है जिसमें प्रतिवर्ष किसानों को दो-दो हजार रूपये की तीन समान किश्तों में कुल छ: हजार रूपये दिये जाते हैं जिसके लिए राजस्व विभाग द्वारा किसानों से जरूरी कागजात भी जमा करवाये जाते हैं। किंतु आदिवासी बहुल वन ग्रामों के किसानों को इस योजना के लाभ से वंचित रखा गया है जिससे वन्यांचल में निवासरत वन ग्रामों के किसानों में नाराजगी है। बैतूल जिले की तहसील घोड़ाडोगरी, शाहपुर भैसदेही,भीमपुर आठोर आत्मा प्रभातपट्ट चिचोली के टाण्डा बाला डोंगरी, बरखेडा, डोकरीभुरू, दरियावगंज, गवासेन, खोल, राखेड़ा एवं कुरसाना सहित जनजाति क्षेत्र के 180 वन ग्राम हैं, जहां के किसानों को "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना" का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

कृपया भारत शासन का कृषि मंत्रालय अपने स्तर से ठोस कार्यवाही करने की कृपा करें ताकि वन ग्राम के आदिवासी भाइयों एवं अन्य सभी किसानों को भी भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना का लाभ मिल सके।

(इति)

## Re: Need to establish a working women hostel in Gorakhpur parliamentary constituency, Uttar Pradesh

**श्री रवि किशन (गोरखपुर):** महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र गोरखपुर पूर्वांचल का मुख्य शहर है, जहां पर एम्स, मेडिकल कॉलेज, रेलवे का मुख्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र के साथ-साथ एयरफोर्स बेस कैम्प, इसके अलावा यहां कई प्राईवेट कम्पनियां कार्यरत हैं, जहां पर पूरे उत्तर प्रदेश सहित बिहार व पड़ोसी देश नेपाल के लोग भी यहां भारी मात्रा में रहते हैं तथा अलग-अलग प्रतिष्ठानों में कार्य करते हैं तथा पढ़ते हैं। इनमें महिलायें भी शामिल हैं तथा इनमें से बहुत-सी महिलायें अकेले यहां नौकरी करती है। जो घर परिवार से दूर गोरखपुर में अकेली रहती है, जिससे उनके मन में असुरक्षा की भावना बनी रहती है। ऐसे अगर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास हो जाता है तो महिलायें सुरक्षित महसूस करेंगी। अतः मैं माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से सदन के माध्यम से आग्रह करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र की महिलाओं की जरूरत को ध्यान में रखते हुए एक कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना की जाये जिससे यहां की महिलाओं को सहूलियत हो सके।

(इति)

## Re: Need to augment railway services in Dausa parliamentary constituency, Rajasthan

**श्रीमती जसकौर मीना (दौसा):** मेरा दौसा लोक सभा संसदीय क्षेत्र जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित है। साथ ही जल के अभाव में किसानों हेतु अल्प आय प्राप्य असिंचित कृषि भूमि ही उपलब्ध है। सम्पूर्ण वर्ग के लोग कृषि एवं मजदूरी पर ही निर्भर हैं।

दूसरी ओर क्षेत्र के हजारों नौजवान देश की सुरक्षा हेतु सीमाओं पर तैनात हैं, जिनके आवागमन हेतु रेल साधन काफी कम है तथा मजदूरी के उद्देश्य से हजारों मजदूर प्रतिदिन दिल्ली, अलवर, भिवाड़ी में आते जाते हैं।

इसी जिले में मेहन्दीपुर बालाजी पवित्र धाम स्थित है। यहाँ का लाल पत्थर भारतवर्ष की अनेकोंनेक प्राचीरों की शोभा बढ़ा रहा हैं। जग प्रसिद्ध आभानेरी बावड़ी, भानगढ़ भूतहा किला आदि अनेक स्थान मेरे लोक सभा क्षेत्र में स्थित हैं। साथ ही केन्द्र सरकार धार्मिक स्थलों को साधन सुलभ बनाने हेतु भी वचनबद्ध है।

माननीय रेल मंत्री महोदय को पूर्व में किए गए आग्रह के परिप्रेक्ष्य में हजारों सैनिक, मजदूर, व्यापारी वर्ग आध्यात्मिक व दर्शनार्थ पर्यटकों की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए दौसा स्टेशन पर डबल डेकर, बांदीकुई, बसवा, बस्सी, मण्डावर स्टेशन पर 12985-12986, 12195-12196, 12035-12036, 22987, 22988,197 15-19716, 12547-12548 गाड़ियों का ठहराव, फेरा बढ़ाने की कृपा करें, जिससे लोगों को राहत प्रदान होगी।

(इति)

**Re: Need to set up common Bio-Medical Waste Treatment Plants**

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD WEST): The government through Biomedical Waste Rules, 2016 had instructed all hospitals to follow regulations regarding the management of biomedical waste. These regulations place a lot of responsibility on the hospitals to manage biomedical waste. However, hospitals, especially small and medium from both public and private sector find them difficult to implement. It is very expensive for them to phase out commonly used chlorinated plastic bags, gloves, blood bags and establish a barcode system for bags/containers. Purchasing of non-polluting incinerators puts a lot of burden on these small hospitals as these are generally imported commodities. Currently, there are only around 200 Common Bio-Medical Waste Treatment Facilities (CBMWTF) in operation which are inadequate for Health facilities in 750 districts spread across the country. Therefore, I request the government to set up Common Bio-Medical Waste Treatment Plants and provide funds to small hospitals to encourage them in implementing the rules.

(ends)

**Re: Need to utilise the services of homoeopathy doctors for treatment of patients under Ayushman Bharat Yojana**

**श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी):** आज सरकार के निरन्तर प्रयासों से देश में आयुष पद्धति से इलाज कराने में जनता अधिक रूचि ले रही है। होम्योपैथी दवाओं से कई असाध्य रोगों जैसे कैंसर, एच.आई.वी., त्वचा रोग, मनोविकार, वृद्ध एवं बाल चिकित्सा प्रतिरक्षक बीमारियों का इलाज सस्ते और बिना साइड इफेक्ट के हो रहा है, इससे इसकी लोकप्रियता दुनियाभर में तेजी से बढ़ रही है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा होम्योपैथी डॉक्टरों को शामिल किया जाए जिससे देश की जनता को कम से कम खर्चे में उपयुक्त इलाज मिल सके।

(इति)

**Re: Need to set up a Medical College in Morbi in Rajkot parliamentary constituency, Gujarat**

SHRI MOHANBHAI KALYANJIBHAI KUNDARIYA (RAJKOT): I request the Central Government to set up a Medical College in Morbi in Rajkot parliamentary constituency, Gujarat.

(ends)

---

**Re: Development of Sabarimala in Kerala**

SHRI SURESH KODIKUNNIL (MAVELIKKARA): Sabarimala is the most renowned pilgrim centre in Kerala, attracting devotees from entire south India. Sabarimala suffers development deficit due to apathy from both Union & State Government. The government is unwilling to release forest land for development of Sabarimala and there are inadequate facilities for pilgrims, and State government's refusal to release Rs 100 crore earmarked for Sabarimala derails the development prospects.

Sabarimala development works must include creating potable water distribution network and cleaning of river Pamba. Since Pamba water is used by people downstream in several districts, a PAMBA RIVER MASTER PLAN like NAMAMI GANGE must be declared and funds be allocated. Sabarimala development projects are standstill as the forestland has not yet been released and facilities for pilgrims including accommodation, resting facilities, adequate parking and establishing AIIMS like facility must be completed immediately by removing all policy hurdles.

(ends)

**Re: Revision of pay of Assistant Accounts officers in Ministry of Defence**

SHRI K. SUDHAKARAN (KANNUR): The 7th CPC Resolution of Ministry of Finance, vide No.1/11/2016 dated 25.07.2016, recommended a hike in Grade Pay from Rs. 4800 to Rs. 5400 for Assistant Accounts Officers in Finance Division, Ministry of Defence who have completed four years of service. The final approval was subject to recommendation by Department of Personnel and Training (DOPT). A committee constituted by DoPT had also approved this recommendation. However, the matter is still pending for reasons unknown and the DoPT have not yet issued directions to Ministry of Finance to dispense a Government Order, notwithstanding, the Ministry of Finance, vide letter No. 25/2/20l7-1IC/E.IIIA dated 18,06.2018, sanctioning the grant of grade pay of Rs.5400 for the same Accounts Cadre under other Ministries. I request the Hon'ble Minister of State for Personnel and Training to look into this matter and issue necessary directions to facilitate their grade pay hike at the earliest.

(ends)

**Re: Indo-Nepal diplomatic relations**

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): Recently, Prime Minister of Nepal demanded withdrawal of Indian military personnel from the Kalapani region. Nepal has witnessed street protests since India published a new political map on November 2, 2019 which portrayed the Kalapani enclave as part of India.

Souring of the relationship between India and Nepal is not an ignorable affair. India and Nepal have a strong political, cultural and geographical bonding. But for the last few years, the Indo-Nepal relations have soured. China has been accelerating its grip over Nepal mainly by including Nepal in China's ambitious Belt and Road Initiative.

In this context, it would be a Himalayan blunder to allow the Indo Nepal relations to be jeopardized. Steps may be taken to avoid a stand-off between India and Nepal and diplomatic routes may be activated to avoid further escalation of tension.

(ends)

**Re: Setting up of a Medical College at Udhagamandalam in Tamil Nadu**

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): A new Medical College has been approved under Phase-III of Centrally Sponsored Scheme at Udhagamandalam, the Nilgiris, Tamil Nadu in consequence of my meeting and my letter dated 15.07.2019 and 01.10.2019.

The Hindustan Photo Films Manufacturing Company ceased to exist from the year 2013. The process of handing over the 303.8 acres land of HPF Manufacturing Company to the State Government by the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises is on.

25 acres of land out of this 303.8 acres has been earmarked by the Government of Tamil Nadu at Ooty for setting up of new Government Medical College at Udhagamandalam.

I, therefore, request the Union Government to utilize the space/building of HPF Company alongwith its existing infrastructure for establishment of new Medical College as this will reduce the cost/expenditure of approved Medical College to be set up at Udhagamandalam, the Nilgiris, Tamil Nadu.

(ends)

**Re: Krishna-Godavari river linking project**

SHRI POCHA BRAHMANANDA REDDY (NANDYAL): I commend the government for increasing the allocation to Ministry of Jal Shakti by 13.5% during 2018-2019 and 2019-2020. This will help bridge the estimated gap to complete various programmes like National Water Mission, River basin Management etc. I would like to take this opportunity to draw attention towards Krishna- Godavari river linking project.

Sir, Krishna river is a deficit basin, compromising the stabilization of Krishna delta. The average inflow into Srisailam reservoir, the main source of supply for Rayalaseema region, has reduced from 1,230 TMC to 456 TMC over the last 52 years. On the other hand, the river Godavari is showing a surplus of 2,780 TMC on an average in the last thirty years. This surplus water drains into the Bay of Bengal. We assess that surplus water at Dowlaiswaram can be taken to Nagarjuna Sagar and Srisailam Dams and from there to the backward districts of Rayalseema and Prakasam.

This project will provide relief to scarce rainfall zone farmers and help increase the farm productivity of Agriculture.

(ends)

## Re: Need to enhance the amount for construction of toilets under Swachh Bharat Abhiyan

**श्री राम शिरोमणि (श्रावस्ती):** महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय के लिए दी जा रही सब्सिडी की तरफ दिलाना चाहता हूं। महोदय, सरकार द्वारा प्रति शौचालय के लिए 12,000 रूपये मात्र दिये जा रहे हैं। इस मंहगाई के दौर में मात्र 12000 रूपये में उच्च गुणवत्ता युक्त शौचालय का निर्माण कैसे संभव है। महोदय, जो शौचालय बनाये गये हैं वह कुछ ही समय बाद जर्जर और क्षीण हो गये हैं या उपयोग के लायक ही नहीं बचे हैं। सरकार द्वारा दी जा रही धनराशि बहुत ही कम है।

भारत सरकार से निवेदन है कि इस धनराशि को बढ़ाया जाए, जिससे उच्च गुणवत्ता युक्त शौचालय का निर्माण हो व पक्के सेप्टिक टैंक बन सकें, जिससे लम्बे समय तक उपयोग में लाया जा सके। इसके साथ-साथ उचित पानी की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जाए, जिससे सेप्टिक टैंक की लाइफ बढ़ सके।

(इति)

**Re: Withdrawal of notification by South Central Railway**

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Railway Recruitment Cell of South Central Railway has recently issued notification to recruit 4,103 candidates as Apprentices for Lalaguda Workshop, Vijayawada, Kazipet, Guntakal, Maulah Diesel Loco Sheds and for 24 other places in Telangana and Andhra Pradesh. The educational requirement for this is 10th Standard with ITI. But, the problem is the notification indicates that candidates from any part of the country can apply for this Apprenticeship.

Sir, the convention is that vacancies of Apprenticeship are filled only from candidates within the region. This is how it is happening in every Railway Zone of the country. But, the recent notification inviting candidates from all over the country will jeopardize the prospects of Telugu candidates from Andhra Pradesh and Telangana. The concern of Telugu candidates is, if candidates from other States come and join here, then they will take away a large chunk of 14,000 vacancies that the SCR is going to fill up because 20% of regular vacancies are filled with Apprentices. Secondly, of the 70,000 vacancies that the Railways is in the process to fill-in, 7,000 vacancies are from SCR. And, out of these, 1,400 vacancies are filled with Apprentices. So, if candidates from other States join SCR as Apprentices, then Telugu candidates from Andhra Pradesh and Telangana will suffer.

In view of the above, I demand that the notification issued by SCR for recruiting 4,103 Apprentices be withdrawn forthwith and a fresh notification be issued by making candidates eligible only from the SCR region.

(ends)

## RE: BUSINESS OF THE HOUSE

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):** माननीय सभापति जी, लिस्ट ऑफ बिजनेस में आइटम नम्बर 24, जो डिस्कशन अंडर रूल 193 है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि उसकी चर्चा करीब-करीब हो गई है। माननीय मंत्री जी का रिप्लाई आज हो जाए, हम इसका आपसे अनुरोध करना चाहते हैं।

**माननीय सभापति :** अगर सभा की सहमति है, तो मैं इसे शुरू करती हूँ।

**अनेक माननीय सदस्य :** हाँ, महोदया।

**माननीय सभापति :** श्री अधीर रंजन चौधरी जी।

---

## DISCUSSION RE: CROP LOSS DUE TO VARIOUS REASONS AND ITS IMPACT ON FARMERS - Contd.

1419 hours

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Hon. Chairperson, Madam, farmers are the founders of our civilization and prosperity. यहाँ किसानों और कृषि को लेकर बहुत बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। बीजेपी के कोई नेता उस दिन कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को किसानों के बारे में क्या जानकारी है। जवाहर लाल नेहरू जी से शुरू करके आज तक किसी को किसानों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वे ऐसा बोल रहे थे। मैंने उस दिन यह कहने की कोशिश की थी कि सारे लोग जानते हैं कि हिन्दुस्तान की यह बीजेपी पार्टी ट्रेडर्स की पार्टी है, लेकिन यहाँ आकर वे किसानों की पार्टी बनना चाहती है। मैं जवाहर लाल नेहरू की एक बात कहना चाहता हूँ। जवाहर लाल नेहरू कहते थे कि most things can wait except agriculture. इंदिरा गाँधी जी हरित क्रान्ति लायी थीं। इसके बाद हमें सुनना पड़ता है कि कांग्रेस ने क्या किया है। हमें तोमर साहब से यह पूछना चाहिए कि आपके इतने सारे साल तक पद संभालने के बाद आज कृषि का हाल ऐसा क्यों है? आज इंश्योरेंस कवर, जो आपका लक्ष्य, टारगेट था, क्या आप वहाँ पहुँच पाए? हमारी माँग है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक लीगल राइट की हैसियत से दर्जा दिया जाए।

(1420/NK/RSG)

नीति आयोग भी यही कहता है, हिन्दुस्तान में आज कृषि वृद्धि दो फीसदी के नीचे पहुंच गई है, खपत कम हो गई है। जब कृषि में खपत नहीं बढ़ेगी, मांग नहीं बढ़ेगी तब तक हिन्दुस्तान की आर्थिक स्थिति नहीं बदलेगी। कोई कहता है कि अभी farmers are not cultivating crops; rather, farmers are cultivating losses. हिन्दुस्तान में कृषि का हाल कहां पहुंच चुका है, सबसे बड़ा सबूत यह है कि हर रोज एक कृषक को खुदकुशी करनी पड़ती है। हर रोज एक कृषक खुदकुशी कर रहा है और आप कह रहे हैं कि किसानों की आय बढ़ चुकी है। नाबार्ड की एक रिपोर्ट कहती है कि According to the All India Rural Financial Inclusion Survey of NABARD, the average monthly income per agricultural household in 2015-16 was Rs. 8,931 only. Doubling this figure by 2022 would require farmers' incomes to increase between 13 per cent and 15 per cent per year. सबसे बड़ी मुश्किल है कि फार्मर को उचित मूल्य नहीं मिलता है, उचित मूल्य नहीं मिलने के चलते फामर्स खुद परेशान हैं और फामर्स की परेशानियां हिन्दुस्तान की माली हालत से प्रतिबिम्बित होती हैं। आज फामर्स नहीं चाहते हैं कि उनका रोजगार कम हो जाए, वे बाहर जाना चाहते हुए भी बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हिन्दुस्तान में आज 45 सालों के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी छाई हुई है। एमएसपी 225 प्लस पर देते हैं, 25 क्राप पर एमएसपी देते हैं, Only about six per cent farmers of the country are able to sell the produce directly to the procurement agency. आप पैसा देते हैं, बजट में पैसा देते हैं, सदन में कहते हैं कि इतने पैसे दिए हैं, लेकिन ग्रास रुट पर कितने किसानों को ये पैसा कितने किसानों के पास जाता है, इसे आपको देखना चाहिए। आप कहेंगे कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर

प्रोग्राम बना दिया, वहां भी आप आकर देखेंगे तो स्मॉल और मार्जिनल फामर्स की एग्रीकल्चर अकाउंट के अंदर 59 परसेंट हिस्सेदारी है, उनके पास 41 पैसा जाता है। पैसा कहां जाता है? आप सदन में पेश करते हैं कि बारह लाख करोड़ रुपये का एग्रकल्चर क्रेडिट दे दिए हैं लेकिन एग्रीकल्चर क्रेडिट अरबर्नाइज्ड हो चुका है। एग्रीकल्चर क्रेडिट में ज्यादा पैसे कर्मशियल सिटी बैंक से जाते हैं, क्योंकि कारपोरेट लोग एग्रीकल्चर में आ गए, इसका मतलब किसानों का पैसा अभी कॉरपोरेट लोगों की जेब में जाने लगा है। …(व्यवधान) आज तक एमपीएमसी रिफार्म नहीं कर सके, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट 2003 का रिफार्म नहीं कर सके। अभी भी एपीएमपी मॉनोपोली चल रही है, कर्टेलाइजेशन चल रहा है। आप इससे न नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि पीएम किसान के तहत छह हजार रुपये ईयरली मिलने वाला है। लेकिन मेरा एक सुझाव है, हमारी पार्टी की तरफ से हमने न्याय का एक प्लान दिया था जिसका नाम है 'न्याय'। हिन्दुस्तान के 20 गरीब लोगों को सालाना 72 हजार रुपये मिले, यह हमारा आपको सुझाव था, लेकिन आपने नहीं सुना। तेलंगाना में 'रायतुबंधु' और ओडिशा में 'कालिया' जैसा स्कीम है। आप ऐसी स्कीम क्यों नहीं ले पाते। आप जानकर हैरान हो जाएंगे According to the Survey of NABARD, the average outstanding debt of a rural household was Rs. 91,407. Could you imagine that, hon. Minister? The agriculture sector has been undergoing severe stress and strain. So, you have to have some innovative measures in order to get rid of those depressed sectors out of the economic and financial morass.

(1425/MK/RK)

आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। यहां तो बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, एग्रीकल्चर में काफी तरक्की हो गई है। दुनिया में 117 देश हैं जिनमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स तय किया गया है। दुनिया के 117 देशों में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान 102 वां है। 102 में स्थान होने का मतलब, वर्ष 2004 में हम हिन्दुस्तान में 20 करोड़ लोगों को पावर्टी के बाहर लाए थे, वे अब पावर्टी में चले गए हैं।…(व्यवधान)

**माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी):** इनको बोलने दीजिए। अब यह भी सीख गए हैं क्या?

…(<u>व्यवधान</u>)

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** यहां सदन में चर्चा होती है कि बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बांग्लादेश हमसे आगे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बांग्लादेश का स्थान 88 वां है और हमारा स्थान 102 वां है। वर्ष 2014 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान 55 वां था। आपके जमाने में गरीबी दोगुनी हो गई। आप किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके जमाने में गरीबी दोगुनी हो गई है। बड़ी-बड़ी बात करने से कोई फायदा नहीं है। कथनी से कोई काम नहीं बनेगा, करनी से काम बनता है। आपकी सरकार कथनी की सरकार है करनी की नहीं है। मैं आपको एक और ब्यौरा देता हूं- India is ranked 44 in Nomura's Food Vulnerability Index, which has compiled the vulnerability of 110 countries in the world. आपके खिलाफ हिन्दुस्तान के सारे किसान अगले महीने 8 तारीख को धरने पर जा रहे हैं,

क्योंकि आप किसानों को दाम नहीं देते हैं। आप कहते हैं कि किसान बैंक में जाकर पैसा जमा करते हैं। Consumption is down at a 47-year low. ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, यह एनएसएसओ की रिपोर्ट है। Household savings are at 20-year low.यह भी एनएससओ की रिपोर्ट है। India's overall savings rate has declined to 30 per cent. …(व्यवधान)

**माननीय सभापति:** माननीय मंत्री जी आप जवाब दीजिए।

…(व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** सिर्फ आधा मिनट, हो गया। मैं गिरिराज सिंह को सुनना चाहता हूं। खरीफ के मौसम में Kharif crops were selling at eight per cent to 37 per cent below MSP, that is at an average of 22.5 per cent. Crores of farmers growing *Tur, Moong, Urad, Soyabean, Sunflower, Kala Til, Jowar, Bajra, and Ragi* did not get MSP for their crops. गिरिराज जी सुनिए The MSP of Rabi crops for the season 2020-21, declared by the BJP Government, has seen a pittance of increase.…(व्यवधान) आपने सिर्फ 4 से 7 फीसदी बढ़ाया है। इसलिए यह सरकार किसानों के लिए नहीं है। आप किसानों के ऊपर जीएसटी लगाते हैं। उसके फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर आदि सब पर जीएसटी लगाते हैं। जीएसटी किसानों को वापस नहीं मिलता है। इसलिए यह सरकार ट्रेडरों की सरकार है। …(व्यवधान)

(इति)

**माननीय सभापति :** माननीय मंत्री जी अब आपना जवाब दीजिए।

…(व्यवधान)

1424 बजे

**कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर):** माननीय सभापति महोदया, नियम 193 के अंतर्गत विभिन्न कारणों से फसलों की हुई क्षति और किसानों पर इसका प्रभाव इस विषय पर आपने चर्चा की अनुमति दी थी और मुझे प्रसन्नता है कि सदन में एक लंबी चर्चा हुई और अधीर रंजन जी सहित लगभग 52 मेम्बर्स ने इसमें भाग लिया। श्री के.सुरेश जी ने इस चर्चा को प्रारंभ किया था।

(1430/RPS/PS)

वीरेन्द्र सिंह जी, पलानीमणिक्कम जी, कल्याण बनर्जी साहब, पोचा बी. रेड्डी जी, विनायक राउत जी, कौशलेन्द्र कुमार जी, भर्तृहरि महताब जी, दानिश अली जी, ए.एम. आरिफ जी, नामा नागेश्वर राव जी, सुनील तटकरे जी, सुशील कुमार सिंह जी, सरदिन्हा साहब, जयदेव गल्ला साहब, एम. सेल्वराज, डॉ. प्रीतम मुण्डे, हनुमान बैनिवाल जी, अनुप्रिया जी, नवनीत राणा जी, दुष्यंत जी, थॉमस जी, एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, नन्द कुमार सिंह चौहान जी, अबु ताहिर खान जी, के.आर. कृष्णराजू जी, धर्मवीर जी, गजानन कीर्तिकर जी, रितेश पाण्डेय जी, सुप्रिया सुले जी, संजय बी. पाटिल जी, डीन कुरियाकोस जी, पी. आर. जाधव जी, परबतभाई पटेल जी, श्रीनिवास दादा साहिब पाटिल जी, भगवंत मान जी, श्री भागीरथ चौधरी जी, श्री जसवीर गिल जी, अनिल फिरोजिया जी, सम्भाजी राव माने जी, अजय भट्ट जी, अमर सिंह जी, सौमित्र खान जी, उमेश पाटिल जी, रविन्द्र कुशवाहा जी, रमेश बिधूड़ी जी, ई.टी. मोहम्मद बशीर साहब और आज अधीर रंजन जी ने इस चर्चा को पूरा किया है।

माननीय सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस बात को सब जानते भी हैं और सब मानते भी हैं, लेकिन इसके बाद भी कई बार जब किसानों का विषय आता है तो लोग चर्चा करते-करते संकीर्ण एजेंडे पर चले जाते हैं। किसानों के मामले में जब तक राजनीति होती रहेगी, तब तक किसानों के साथ न्याय कर पाना कठिन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने कभी यह नहीं कहा कि आजादी के बाद किसी भी सरकार ने या किसी भी प्रधान मंत्री ने किसानों के लिए कुछ नहीं कहा या कुछ नहीं किया। सबने अपने-अपने समय पर करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी देश जैसा चाहता था, किसान जैसा चाहते थे और जो जरूरी था, वह अब तक हो नहीं पाया। इसके कारण किसान की तकलीफ से हम सब लोग चिन्तित ही रहते हैं। अभी अधीर रंजन जी अपनी बात कह रहे थे, उस समय भी उन्होंने किसानों की बात के अलावा, बहुत सारी चीजें उसमें मिला दीं। …(व्यवधान) जब मिलावट होती है तो परिणाम भी मिलावट जैसा ही होता है। …(व्यवधान)

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से, सदन को कहना चाहता हूं कि किसान के बारे में और कृषि की प्रधानता को दृष्टिगत रखते हुए आरम्भ से विचार होता तो शायद हमें आज ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। हम सब जानते हैं कि अगर देश की अर्थव्यवस्था गांव और किसान पर टिकी थी तो हमारी सरकारों का प्राधान्य प्राथमिकता पर इस ओर होना चाहिए था, लेकिन इस ओर उतना ध्यान नहीं था, इसी के कारण आज किसान को समय-समय पर दुर्दशा का शिकार होना पड़ता

है। सरकार केन्द्र की हो या राज्य की हो, लगभग वह कोशिश करती है कि किसान को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करे, लेकिन इसके बावजूद भी किसानी एक ऐसा कार्य है, जो प्रकृति पर भी निर्भर करता है।

(1435/IND/RC)

किसान को बिजली चाहिए, किसान को पानी चाहिए, अच्छा बीज, अच्छी खाद चाहिए और खेती के लिए श्रम चाहिए। यदि इन सबकी उपलब्धता हो भी जाए, तो भी प्राकृतिक आपदा जब आती है, तो किसान की सारी की सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है। यह चर्चा मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदा पर ही निर्भर करती है। पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान हुआ है, उससे किसान भी परेशान है और सरकार भी चिंतित है तथा गंभीरता से इस विषय में काम कर रही है। सदन में भी सभी सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। निश्चित रूप से यह सच है कि क्लाइमेट चेंज की समस्या से आज सारी दुनिया पीड़ित है और सारी दुनिया उस पर चिंता कर रही है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट को यदि हम देखें तो सामान्य तौर पर मानव के उपभोग के लिए जो खाद्यान्न है, उसकी हर वर्ष 750 बिलियन डालर के बराबर हानि होती है, अनाज खराब हो जाता है। पूरे विश्व में मौसम में बदलाव हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, उसके कारण मौसमी घटनाएं हो रही हैं, बेमौसम बरसात हो रही है और उसका नुकसान किसान को भुगतना पड़ रहा है। यदि हम पिछले दिनों को देखें, तो हमारे ध्यान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून आएगा। 1 जून, 2019 से 30 सितम्बर, 2019 तक समग्र वर्षा सामान्य वर्षा से दस प्रतिशत अधिक हुई है। देश के 31 प्रतिशत क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हुई है और 15 प्रतिशत क्षेत्र में वर्षा कम हुई है तथा 54 प्रतिशत क्षेत्र में सामान्य वर्षा हुई है। इस प्रकार की जो सूचनाएं मिली हैं, उनके अनुसार असम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नागालैंड आदि 15 राज्य प्रभावित हुए हैं।

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** क्या इसमें पश्चिम बंगाल का नाम नहीं है?

**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :** इसमें पश्चिम बंगाल भी है। यह जो मौसम परिवर्तन के कारण पर्यावरण की स्थिति है, इसके लिए सभी जिम्मेदार हैं और विशेष रूप से हम देखें तो इसके लिए मानव ही जिम्मेदार है। अगर प्रकृति में असंतुलन मानव द्वारा खड़ा नहीं होता, तो शायद इस परिस्थिति से हम आज जूझ नहीं रहे होते, लेकिन फिर भी जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से इस समस्या से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पेरिस कनवेंशन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो इकट्ठा हुआ, उसका जो डिक्लेयरेशन है, उसके प्रति भारत की प्रतिबद्धता है और भारत सरकार ने इन सभी चीजों से निपटने के लिए आठ मिशन भी बनाए हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन, संबंधित ऊर्जा दक्षता मिशन, स्थायी सतत् निवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयीन परिस्थिति तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत मिशन, राष्ट्रीयकृत सतत मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन ज्ञान मिशन और इन सब पर संबंधित मंत्रालय पूरी गंभीरता के साथ आज काम कर रहा है। लेकिन सामान्य तौर पर देखेंगे, तो आज का विषय मुख्य रूप से कृषि से संबंधित है और कृषि मंत्रालय की दृष्टि से भी रणनीति बनाई गई है।

(1440/ASA/SNB)

हम सब लोग जलवायु अनुकूल कृषि के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, अनेक मिशनों पर काम कर रहे हैं। 12 से 18 के दौरान 400 से अधिक जलवायु अनुकूल जल लाइनों और 58 झीलों टाइप की पहचान कर ली गई है। 45 मॉडल विकसित किए गए हैं। प्रत्येक जिले के एक प्रतिनिधि गांव को लेकर, ऐसे 151 जिलों में से एक जलवायु अनुकूल गांव को विकसित करने का काम किया जा रहा है जिससे निश्चित रूप से आने वाले कल में हम लोग ऐसी परिस्थितियों से ठीक प्रकार से निपट सकें। पूर्वानुमान मौसम का लगे, इस दृष्टि से भी सरकार ने और पहले भी सरकार काम कर रही थी लेकिन अब और गंभीरता से काम करना शुरू किया है। आप देखें तो वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 40.2 मिलियन किसानों को सीधे एसएमएस के माध्यम से मौसम से संबंधित एडवाइजरी जारी की जाती है जिससे वे अपना प्लान कर सकते हैं और इसके लिए एक टोल फ्री नं. 18001801717 भी दिया गया है। यह टोल फ्री सारे देश में 22 भाषाओं में प्रश्नों का जवाब देता है। इसका फायदा भी किसानों को उपलब्ध हो रहा है।

आईसीएआर ने लगातार जलवायु अनुकूलू फसलों की दृष्टि से काम किया है। कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कुल 1020 जलवायु अनुकूल किस्मों का विकास करके उनको खेती के लिए जारी किया है। इनमें अगर आप देखेंगे तो चावल-8, गेहूं- 13, मक्का-8, बाजरा-7, चौकी-3, कंगनी-1, रागी-3, उड़द-1, चना-9, मूंग-1, पुल्थी-4, अरहर-6, मसूर-1, मूंगफली-12, सूरजमुखी -2, अरंडी-1, तोरिया-सरसों-3, सोयाबीन-1 और कपास-3 हैं। ये सभी जलवायु अनुकूल फसलों की दृष्टि से रिसर्च की गई हैं जिससे कि आने वाले कल में हम इस चुनौती से निपट सकें और हमारे किसान नुकसान से इस मामले में बच सकें। चावल की एक किस्म जो स्वर्णासब है, यह जलमग्न सहिष्णु चावल है जिसे पूर्वी भारत में उत्पादन ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। इसी प्रकार से प्याज की एक किस्म भीमा सुपर है, इसको भी खेती के लिए आईसीएआर के द्वारा जारी किया गया है। जलवायु परिवर्तन से ठीक प्रकार से हमारे किसान मुकाबला कर सकें, इस दृष्टि से सरकार अनुसंधान भी कर रही है। किसानों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मदद भी कर रही है और उसके परिणाम भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। पिछले दिनों अगर हम देखेंगे तो 1 जून 2019 से 14 नवम्बर 2019 के बीच में जो बरसात हुई, उसमें बड़ी मात्रा में फसलें खराब हुई हैं। असम में 2.14 लाख हेक्टेअर, बिहार में 2.61 लाख हेक्टेअर, छत्तीसगढ़ में 0.18 लाख हेक्टेअर, कर्नाटक में 9.35 लाख हेक्टेअर, केरल में 0.31 लाख हेक्टेअर, मध्य प्रदेश में 6.04 लाख हेक्टेअर, महाराष्ट्र में 4.17 लाख हेक्टेअर, नागालैंड में 0.02 लाख हेक्टेअर, उड़ीसा में 1.49 लाख हेक्टेअर, पंजाब में 1.51 लाख हेक्टेअर, राजस्थान में 27.36 लाख हेक्टेअर, त्रिपुरा में 0.014 लाख हेक्टेअर और उत्तर प्रदेश में 8.88 लाख हेक्टेअर है।

(1445/RAJ/RU)

त्रिपुरा में 0.014 लाख हेक्टेयर, उत्तर प्रदेश में 8.88 लाख हेक्टेयर, उत्तराखंड में 0.003 लाख हेक्टेयर, पश्चिम बंगाल में 0.08 लाख हेक्टेयर, अब यह किसान की बड़ी क्षति है। अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इसमें पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र और

ओडिशा इन राज्यों में बड़ी क्षति हुई है। एनडीआरएफ के तहत इन राज्यों को पैसा जारी हुआ, उसमें ओडिशा को 340.875 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल को 235.50 करोड़ रुपये, आंध्रप्रदेश को 200.25, करोड़ कुल, 1086 करोड़ रुपये इन सभी राज्यों को जारी हुए हैं।...(व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** सुपर साइक्लोन बुलबुल की वजह से बहुत जिले खत्म हो चुके हैं।...(व्यवधान) तीनों जिले खत्म हो गए।

**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :** मैं आपकी बात से असहमति नहीं जाहिर कर रहा हूं। आप इस सदन के बहुत पुराने सदस्य हैं। आप सभी इस बात को जानते हैं कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की क्या भूमिका होती है और किस रास्ते एवं कैसे वह पैसा तय होता है? आपदा पश्चिम बंगाल की हो, ओडिशा की हो या किसी अन्य राज्य की हो, निश्चित रूप से उसे संवेदनशीलता से ही देखना चाहिए और उसी दृष्टि से देखने की कोशिश हो रही है। यहां पर अन्य राज्यों की भी प्राकृतिक आपदा की चर्चा आई है, जैसे - महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में दो-तीन बार ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई है। वहां जुलाई-अगस्त में बारिश आई, तो 34 जिले और 170 तहसील प्रभावित हुए, 10 जिले बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसमें राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि कृषि का क्षेत्र 4.17 लाख हेक्टेयर प्रभावित हुआ है, जिससे 8.69 लाख किसानों को नुकसान हुआ है। फसलों ज्वार, मुंग, सोयाबिन मक्का, मक्का, रागी, तुअर, बाजरा अनेक फसलें थी। फसल नुकसान की सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं, और उनमें से 4135 किसानों के दावों का निपटान फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो उनकी पात्रता बनती थी, वह कर दिया गया है, शेष भुगतान प्रक्रिया में है। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एनश्योरेंस एजेंसी के द्वारा कर दिया गया है। बजाज को 3410 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उनका सर्वे और बाकी चीजें चल रही हैं और वह भुगतान प्रक्रिया में है। इसी प्रकार से अगर महाराष्ट्र में देखें तो 15 अक्टूबर से 5 नवम्बर के बीच में फिर ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई। फिर 34 जिलों, 349 तहसीलों और लगभग 23 हजार गांवों में फसलों का नुकसान हुआ। इस संदर्भ में कार्रवाई हुई है और किसानों के भुगतान की व्यवस्था कर दी गई है। भंडारा और गढ़चिरौली में 62 अधिसूचित क्षेत्रों में असफल बुआई की भरपाई के लिए 78 करोड़ के दावे का निपटान किया गया है। चूंकि राज्य सरकार को आकलन करना होता है, कंपनी को आकलन करना होता है और फिर सत्यापन करने के बाद भुगतान की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। यद्यपि सरकार ने यह भी तय किया है कि भुगतान में विलंब को रोकने की दृष्टि से अगर दावे आ जाते हैं तो दावे आने के तीस दिनों के भीतर कंपनी को भुगतान करना चाहिए।

(1450/SPS/NKL)

अगर कंपनी भुगतान नहीं करेगी तो उस पर 12 प्रतिशत ब्याज दण्ड के रूप में लगेगा। इसी प्रकार से अगर राजस्थान को देखें तो राजस्थान में भी वर्ष 2017-18 के दावों का पूरा भुगतान कर दिया गया है और अब कोई भी दावा लम्बित नहीं है। खरीफ वर्ष 2018 में जालौर और बाड़मेर, इन दोनों जिलों का अनुमानित दावा 278 करोड़ रुपये है और बाड़मेर का 398.77 करोड़ रुपये है। कंपनी द्वारा इन दावों की भी वितरण राशि शुरू कर दी गई है। कुछ विषय राज्य सरकार की सब्सिडी न आने के कारण लम्बित हैं, जिसमें ए.आई.सी. 68 करोड़ रुपये, एच.डी.एफ.सी. को 35.74 करोड़ रुपये और एस.बी.आई. को 5.12 करोड़ रुपये बाकी हैं। ये भी पेमेंट हो जाएगा तो पूरा पेमेंट करने में

कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी प्रकार से कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर और जैसलमेर क्षेत्रों में भी जो आपदा के दावे हैं, उनका बजाज आलियांज, एच.डी.एफ.सी. और एग्रो फ्यूचर कंपनियों ने अपना काम करना प्रारम्भ कर दिया है और जल्द ही जो पात्र लोग हैं, उनको भुगतान होगा।

कर्नाटक का विषय आया था। कर्नाटक के विषय में 3-4 कंपनियां काम कर रही हैं। वहां 27.12.2018 को तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक हुई थी और इसमें सभी लोगों को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा था। मुझे लगता है कि खरीफ के जो दावे हैं, उनका भी निपटान बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। इसी प्रकार से गुजरात की भी स्थिति है और ठीक इसी प्रकार से बाकी राज्यों में भी फसल बीमा के अंतर्गत लोगों को लाभ मिल जाए, इसका काम तेजी से चल रहा है।

इस दौरान एन.डी.आर.एफ. और एस.डी.आर.एफ. की बात आती है तो आप सबके ध्यान में है कि एन.डी.आर.एफ. ने कर्नाटक के लिए 1200 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश के लिए 1000 करोड़ रुपये, बिहार के लिए 400 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र के लिए 600 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। यह राशि रिलीज कर दी गई है और बाकी अध्ययन चल रहा है। अगर सूखे की दृष्टि से देखें तो 2019-20 में मणिपुर और राजस्थान, इन दोनों राज्यों ने अपने आपको सूखा घोषित किया है। इसमें हमारी अंतर्राज्यीय समिति ने मणिपुर का दौरा कर लिया है, लेकिन अभी राजस्थान का दौरा करना शेष है। जैसे ही उनकी रिपोर्ट आ जाएगी तो एन.डी.आर.एफ. अपना काम प्रारम्भ कर देगा।

नुकसान के आकलन की दृष्टि से मैं पहले बता चुका हूं कि सामान्य तौर पर राज्य अपना मेमोरेण्डम प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद गृह मंत्रालय के अधीन एक अंतर्राज्यीय समिति बनती है। वह समिति अध्ययन करती है और अपनी रिपोर्ट देती है। उसके बाद सक्षम समिति विचार करके वहां के लिए जो राहत तय करती है, वह घोषित की जाती है। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र को यह रियायत प्रदान कर दी गई है।

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, you have mentioned about so many States regarding the crop insurance but as far as Tamil Nadu is concerned, crop insurance has not even been assessed, and it seems that its Report has not been sent to the Government of India. If it is so, kindly throw some light on this particular issue. Every farmer, whomsoever I meet, is weeping. They have not been provided with the crop insurance so far. There is an inordinate delay. You said that there is no inordinate delay. But there is an inordinate delay in Tamil Nadu. I am sorry to disturb you in between.

(1455/MM/KKD)

**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :** कोई बात नहीं। मैं आपको अभी क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में बताता हूं। दूसरा, मैं कह रहा था कि कुछ आपदाएं ऐसी रहती हैं, जो एनडीआरएफ के नार्म्स में नहीं आती हैं। ऐसी स्थिति में उन किसानों के लिए क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में ही केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर विशेष पैकेज की घोषणा करती हैं। इसी दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो पिछली बार तमिलनाडु

में गाजा चक्रवात से नुकसान हुआ। केरल में भी, जम्म-कश्मीर में भी बाढ़ से नुकसान हुआ। गाजा चक्रवात से तमिलनाडु में नुकसान हुआ। 16.11.18 को तमिलनाडु में पहुंचा था और अनेक जिलों में गम्भीर क्षति हुई थी। किसानों की खेती, 45 हजार हेक्टेयर नारियल की फसल और 23 हजार हेक्टेयर बागवानी की फसलों में नुकसान हुआ था। उस समय तमिलनाडु को एमआईडीएच के तहत वर्ष 2018-19 के दौरान 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि और नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से 92 करोड़ रुपये की धनराशि ऐसे कुल-मिलाकर और बाकी मिलाकर 129 करोड़ रुपये उस समय तमिलनाडु को जारी किया गया था। ऐसे ही केरल में भी बाढ़ की स्थिति जब पैदा हुई तो उस समय 93.39 करोड़ रुपये का एक विशेष पैकेज केरल सरकार को भी दिया गया था। जब जम्मू-कश्मीर में बाढ़ आई थी तो कृषि के क्षेत्र में फसलों का नुकसान हुआ तो पांच सौ करोड़ रुपये की राशि उनको प्रदान की गयी। जिसमें से लगभग उन्होंने डेढ़ सौ करोड़ रुपये खर्च किए हैं और बाकी अभी प्रक्रिया में है। कल ही हम लोग उस मामले में समीक्षा कर रहे थे। कर्नाटक में भी इसी प्रकार की स्थिति खड़ी हुई थी। उस समय कर्नाटक राज्य में नारियल और सुपारी के किसानों के लिए 2477.26 करोड़ रुपये दिए गए थे। एनडीआरएफ के अंतर्गत 366 करोड़ रुपये भी उस समय मंजूर किए गए थे। फसल बीमा योजना के बारे में भी इस पूरी चर्चा में बात आयी है। अभी बालू साहब ने भी तमिलनाडु के बारे में इंगित किया है, जिसका आंकड़ा मैं आपको अलग से देता हूं। फसल बीमा योजना कोई सी भी बना लो, लेकिन बीमा का मॉडल तो मॉडल जैसा ही है। चाहे इधर से कान पकड़ो या उधर से कान पकड़ो, पहले भी फसल बीमा थी। भर्तृहरि महताब जी उस दिन कह रहे थे कि यह फसल बीमा का चौथा अवतार है। उनकी बात सही है, लेकिन परिमार्जन की हमेशा गुंजाइश बनी ही रहती है। लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूं कि फसल बीमा का जो कॉन्सेप्ट है, उससे कहीं लाभ होगा, कहीं कम लाभ होगा, लेकिन कुल मिलाकर जरूरतमंद अगर इंश्योर्ड होता है तो उसके नुकसान की कुछ भरपाई तो जरूर होती है। अभी फसल बीमा पर जब भी चर्चा होती है, तो यह बड़ा लोकप्रिय विषय है। सभी सांसदगण भी चर्चा करते हैं, हम लोग भी राज्य में जाते हैं तो भी चर्चा होती है, तो उस दृष्टि से हम लोग भी विचार कर रहे हैं कि इस को और अच्छा, और लाभप्रद कैसे बनाया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से इतना बताना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत पिछले दिनों दो वर्षों में कुल प्रीमियम 47 हजार करोड़ रुपये आया था। अनुमानित दावे 38 हजार 499 करोड़ रुपये के थे और किसानों को जो भुगतान हुआ वह 38 हजार 351 करोड़ रुपये का हुआ। कुल मिलाकर जो कुल दावे थे, उनका 81 प्रतिशत लाभ किसानों को मिला। अगर हम देखें तो 100 रुपया अगर आया तो 81 रुपये नुकसान की भरपाई हुई है। मैं समझता हूं कि यह काफी संतोषजनक है, लेकिन फिर भी इसमें और परिमार्जन की गुंजाइश है तो हम उस दिशा में विचार कर रहे हैं।

(1500/SJN/RP)

कई जगहों पर तो बहुत ज्यादा लाभ भी मिला है। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं। खरीफ वर्ष 2016 में केरल में 209.9 प्रतिशत भुगतान हुआ था और कर्नाटक में 136.6 प्रतिशत भुगतान हुआ था। रबी वर्ष 2016-17 में तमिलनाडु में 298 प्रतिशत भुगतान हुआ है। आन्ध्र प्रदेश में 179.5 प्रतिशत भुगतान हुआ है। कर्नाटक में 174.7 प्रतिशत भुगतान हुआ है। अगर खरीफ वर्ष 2017 में देखें, तो छत्तीसगढ़ में 452.2 प्रतिशत भुगतान हुआ है। हरियाणा में 270.4 प्रतिशत हुआ है। मध्य प्रदेश में 160.6 प्रतिशत हुआ है। ओडिशा में 216.7 प्रतिशत हुआ है। अगर हम रबी में देखेंगे, तो आन्ध्र प्रदेश में 141 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 109 प्रतिशत, ओडिशा में 226 प्रतिशत, तमिलनाडु में 147 प्रतिशत, ऐसे अनेक राज्य हैं।…(व्यवधान)

1501 बजे (श्री कोडिकुन्निल सुरेश पीठासीन हुए)

बहुत सारे राज्य हैं, उनकी लंबी सूची है। कुछ राज्य ऐसे हैं, जिनमें किसी जिले में बहुत ज्यादा हुआ है और किसी जिले में कम हुआ है। अगर हम बिहार में देखेंगे, तो कटिहार और मुजफ्फरपुर में 100 प्रतिशत बीमित राशि का भुगतान हो गया है। मुजफ्फरपुर जिले में मुसहरी प्रखंड है, इसमें भगवानपुर अनुसूचित जाति की ग्राम पंचायत है। इसमें 100 प्रतिशत बीमित लोगों को भुगतान हो गया है। मेरा कहने का आशय सिर्फ इतना ही है कि कुल मिलाकर इंश्योरेंस योजना का भी लाभ किसानों को मिल रहा है। लेकिन यह लाभ और मिले, इसमें ट्रांसपैरेंसी और बढ़े, इसमें स्वतंत्रता और बढ़े, जैसा कि महताब जी ने कहा है कि कम से कम तीन साल का टेंडर होना चाहिए। मैं उनकी बात से सहमत हूं। जब केन्द्र सरकार ने यह शुरू किया था, तब भी राज्यों से आग्रह किया था। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में हम लोग केन्द्र से अपने हिस्से की जो प्रिमियम की राशि है, वह राज्यों को जमा करते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर इन सारी प्रक्रियाओं का टेंडर करना, दावे का निर्धारण करना, कंपनी से तालमेल करना और भुगतान कराना, यह सब राज्य सरकार के ही अंतर्गत होता है। जैसे मध्य प्रदेश ने पिछली बार तीन साल का ही टेंडर किया था और कुछ लोगों ने एक साल का किया था। मैं आपकी बात से सहमत हूं और इस मामले में हम लोग इसको निश्चित रूप से और ठीक करने की कोशिश करेंगे। प्याज की बात भी चर्चा में काफी आई थी। इस समय निश्चित रूप से प्याज ज्वलंत विषय है। कभी-कभी विषय इतने गरम हो जाते हैं।…(व्यवधान) मैं खाता हूं।…(व्यवधान) इस बार निश्चित रूप से प्याज की कमी है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि भारत में प्याज का उत्पादन तीन मौसमों में होता है। रबी में 70 प्रतिशत, खरीफ में 20 प्रतिशत और खरीफ के बाद 10 प्रतिशत होता है। ऐसे तीन चरणों में प्याज का उत्पादन होता है और मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान हैं। ये राज्य बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं। वर्ष 2019 के दौरान जो अग्रिम आकलन वर्ष 2018-19 के लिए हुआ है, उसमें राज्यों ने जो अनुमान बताया है, उस हिसाब से 234.9 लाख टन उत्पादन का अनुमान था। लेकिन अगर हम मौजूदा वर्ष में देखेंगे, तो 30 नवंबर, 2019 के लिए जो राज्यों ने उत्पादक की रिपोर्ट दी थी, वह 69.9 लाख टन का

अनुमान दिया था। लेकिन 69.9 लाख टन अनुमान की तुलना में 53.73 लाख टन कुल उत्पादन होने की संभावना है। अगर हम देखेंगे, तो लगभग 15.8 लाख टन का गैप है। यह जो गैप है, तो निश्चित रूप से इसके कारण तकलीफ होना स्वाभाविक है।

(1505/GG/RCP)

लेकिन आप अगर देखेंगे तो सरकार ने इससे निबटने के लिए एक्सपोर्ट पर भी प्रतिबंध लगाया और इंपोर्ट करने के लिए भी ऑर्डर दिए। मैंने भी सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा कि प्याज आपके राज्य में सस्ती हो सके, उसमें राज्य सरकार के जो भी प्रयास हो सकते हैं, वे करने चाहिए। लेकिन इस बार जो कमी आई है, उससे हम जल्दी निकल सकें, इस मामले में सरकार पूरी तरह से गंभीर है। हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। एक विषय मुख्य रूप से हमेशा आता है, मनरेगा को कृषि में शामिल किया जाए। अब मनरेगा के माध्यम से कृषि में भी बहुत काम हो रहा है। लेकिन सामान्य तौर पर लोगों के मन में यह बात रहती है कि मनरेगा से ऐसे मदों में काम आ जाए, जो उनकी इच्छा के मद हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि मनरेगा, एक बड़ी स्कीम है। सरकार की बड़ी राशि उसमें इन्वॉल्व रहती है। इस बार साठ हजार करोड़ रुपये का बजट मनरेगा में हम लोग खर्च करने वाले हैं। पांच करोड़ से अधिक गरीब लोगों को वैकल्पिक रोजगार मनरेगा के माध्यम से मिलता है, लेकिन मनरेगा में जल संरचनाओं को बल मिले, प्राथमिकता मिले और मनरेगा कार्यकलापों में कृषि के क्षेत्र का जुड़ाव रहे, इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आज भी मनरेगा के अंतर्गत 260 योजनाओं पर काम हो सकता है। 260 कार्य हैं, जो गाइडलाइन में दिए गए हैं। ऐसे 260 कार्य में 164 कार्य ऐसे है, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। जो भी सदस्य चाहे, उन्हें मैं मनरेगा की गाइडलाइंस भेज सकता हूँ। ऐसे जो 164 कार्य हैं, जिन कामों को करने से स्थायी संरचना भी बन सकती है, उसका जिओ-टैगिंग भी हो सकता है, ट्रांस्पेरेंसी भी हो सकती है, रोजगार भी जनरेट हो सकता है और कृषि को भी लाभप्रद बनाने में वे योगदान दे सकते हैं। इस दृष्टि से हम इसको लगातार खेत, कुएं, मिट्टी, रोगडैम, फीट, चैनल इन सारी चीजों पर लगातार खर्च कर रहे हैं, तो उसमें आपके मत से मैं सहमत हूँ। लेकिन सामान्य तौर पर हम यह कोशिश जरूर करेंगे कि जो गाइडलाइन में दिए गए हैं, उन्हीं में अगर मनरेगा का उपयोग होगा तो ठीक है।

महोदय, यहां पर पाम ऑयल की खेती का भी विचार आया है। पाम आयल की क्षमता पूरे देश के 19 राज्यों में 19.33 लाख हैक्टेयर है। 16 राज्यों में अक्टूबर 2019 तक जो कवरेज है, वह 3.49 लाख हैक्टेयर है। फल क्षेत्र से कच्चे पाम आयल का उत्पादन वर्ष 2018-19 में 2.78 लाख टन था। लेकिन इसे और बढाया जाना चाहिए, क्योंकि तेल की दृष्टि से अगर हम देखें तो हम आत्मनिर्भर नहीं हैं और हमारी कोशिश है कि भारत जिस प्रकार से दालों की दृष्टि से आगे बढ़ा है, वैसे ही तिलहन की दृष्टि से भी आगे बढ़े, इसके लिए तिलहन मिशन भी सरकार ने शुरू किया है। लेकिन पाम आयल की खेती बढ़े इसके लिए भी लगातार केंद्र सरकार कोशिश करती रहती है। इसके लिए आर्थिक मदद भी राज्यों को दी जाती है। इस बार सन् 2019-20 में यह क्षेत्र 17 लाख 410 हैक्टेयर तक जाए, यह लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है और इस पर मिशन मोड में काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी खेती में अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं, इसलिए राज्यों की रुचि थोड़ी कम रहती

है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकारों को भी आग्रह करना चाहूंगा कि पाम की दृष्टि से हम लोगों को थोड़ी और अधिक रुचि लेनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, यहां मक्का के बारे में भी बात की गई थी, हमारे नांदयाल के सांसद रेड्डी साहब हैं, मैं उन्हें यह कहना चाहता हूँ कि मक्का में जो वार्म प्रकोप आया था, वह सरकार के संज्ञान में है।

(1510/KN/MMN)

सरकार ने उस मामले में उचित रणनीति बनाई है और उस पर काम करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि आगे वह दिक्कत न आए, इस मामले में जागरुकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। सरकार ने इसको रोकने की दृष्टि से और प्रबंधन को बढ़ावा देने की दृष्टि से 19,740 जागरुकता अभियान चलाए हैं। 1763 किसान फील्ड स्कूल आयोजित किए हैं, जिससे आने वाले कल में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी।

कल्याण दा ने बुलबुल चक्रवात की बात कही थी तो मैंने बताया है कि उस मामले में कार्य किया है। दूसरा उन्होंने जल प्रबंधन की बात कही थी, यह आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वाटर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और वर्तमान परिवेश में भूजल का भी अभाव एकदम गहराता जा रहा है। पंजाब जैसे प्रांत तो एकदम संकट के मुहाने पर खड़े हुए हैं। इस दिशा में जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी संख्या यूपीए-2 के समय, जो अधूरे बचे थे, लगभग वे 79 के करीब बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि पहले उन प्रोजेक्टों को पूरा किया जाए, जिससे जो सिंचाई क्षमता उनके माध्यम से सृजित हो सकती है, वह लोगों को मिले। लेकिन तुरंत सिंचाई लाभ कार्यक्रम हर खेत को पानी, पीएमकेएसवाई के अंतर्गत पनधारा, प्रति बूंद अधिक फसल, इन सारी योजनाओं में हम लोग फंडिंग भी कर रहे हैं और सूक्ष्म सिंचाई की दृष्टि से देखें तो 41 लाख हेक्टेयर का जो रकबा है, वह हम लोगों ने आच्छादित करने की कोशिश की है। इसको और बढ़ाएँगे, क्योंकि जल को बचाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता न खेती के लिए है, न मानव जीवन के लिए है, तो इस मामले में सरकार आपकी बात को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

विनायक जी ने महाराष्ट्र की बात कही थी। मैंने महाराष्ट्र के विषय को पूरा रख दिया है। कौशलेन्द्र जी ने बताया है कि राज्य सरकार वर्मी कम्पोस्ट पर बहुत तेजी से काम कर रही है और जैविक रकबे को बढ़ा रही है, 427 समूह पूरे राज्य में हैं। उन सब के लिए उनकी जो राशि बनती है, वह 19.28 करोड रुपये है, वह पूरी की पूरी जारी कर दी गई है। वर्मी कम्पोस्ट का काम बढ़े और जैविक खेती बढ़े, केन्द्र सरकार पूरी तरह हर राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है।

महताब साहब ने भी प्राकृतिक आपदा की बात कही थी। मैंने सभी राज्यों का विवरण दिया ही है और निश्चित रूप से इसमें एक फर्क जरूर है कि पिछले एनडीआरएफ के जो मानदण्ड थे, पहले 50 प्रतिशत नुकसान होता था, तभी किसान को लाभ मिलता था। लेकिन मोदी जी सरकार आने के बाद इसको घटा कर 33 प्रतिशत किया। इसमें भी काफी बड़ी मात्रा में किसान जोड़े हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान 6 राज्य- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और झारखंड ने एनडीआरएफ से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किए और उच्च स्तरीय समिति ने 9,200 करोड़ रुपये की मंजूरी कर दी है। यह मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ।

ऋणी किसानों की बात आपने कही। गैर ऋणी किसानों का भी विषय रखा। अब यह बात सही है कि जब योजना बनी तो ऋणी किसानों के लिए यह योजना अनिवार्य थी, लेकिन सभी जो किसान संगठन हैं और आप जैसे सभी किसानों के बारे में अध्ययन करने वाले जो सांसदगण हैं, सब की तरफ से यह बात आती है कि यह स्वैच्छिक होना चाहिए। मुझे यह बताते हुए भी खुशी है कि वर्ष 2014 तक गैर ऋणी जो किसान थे, वे 5 प्रतिशत ही इन्श्योर्ड होते थे। लेकिन अभी जो अवेयरनैस आई है, उसमें जो बैंक से ऋण लिया, वह तो अनिवार्य रूप से बीमित हो ही जाता है, लेकिन शेष भी 5 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गए हैं, मतलब इश्योरेंस के प्रति एक जागरुकता लोगों में बढ़ रही है।

तीन वर्ष वाला मैंने आपको बताया ही है। जीएसटी वाली बात भी आपने कही है। अब जीएसटी पर तो मेरे से ज्यादा आप जीएसटी से जुड़े हुए हों और आपकी भावना को मैं वित्त मंत्रालय को निश्चित रूप से अवगत करा दूँगा।

(1515/CS/VR)

यह आपकी जानकारी में है कि यह विषय जीएसटी काउंसिल का है। जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और सभी मुख्यमंत्रियों को मिलकर तय करना है, लेकिन किसानों के प्रति जो आपकी संवेदना है, वह निश्चित रूप से स्वागतयोग्य है।

हमारे दानिश अली साहब गन्ने की चिंता कर रहे थे। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें किसानों के भुगतान के प्रति पूरी तरह चिंतित हैं। वर्ष 2018-19 में भुगतान के कदम उठाए गए और 03.12.2019 तक कुल देय राशि 81,626 करोड़ रुपये थी, उसमें से 78,471 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया, जो कुल देय राशि का 96 परसेंट है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की जो गन्ना मिल्स हैं, उन पर भी 28,851 करोड़ रुपया देय था, उसके विरूद्ध 26,750 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है। राज्य के 33 हजार 48 करोड़ रुपये के विरूद्ध 29,267 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है, जो 89 परसेंट है।…(व्यवधान)

**कुंवर दानिश अली (अमरोहा):** क्या यह हर साल इसी सायकल से चलता रहेगा?…(व्यवधान) किसानों का भुगतान दो साल बाद होता है।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Danish Ali ji, please sit down. Let the hon. Minister complete his deliberation. After that I will allow you to seek clarification.

*....(Interruptions)*

**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :** दानिश अली साहब, आपको भरोसा रखना चाहिए। नामा नागेश्वर राव जी ने ऑयल पाम मिशन वाली बात कही थी, मैंने उसके बारे में बता ही दिया है। सुनील तटकरे जी ने स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट के बारे में कहा। स्वामीनाथन साहब ने जब अध्ययन किया और आयोग की रिपोर्ट सौंपी तो उसमें उन्होंने 201 सिफारिशें की थीं। मैं आपको यह बताते हुए प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ कि 201 सिफारिशों में से सरकार ने 200 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिन पर वह काम कर रही है।...(व्यवधान) उसमें प्रमुख रूप से जो सबसे कठिन बात थी, वह थी एमएसपी लागत का डेढ़ गुना करना। वह भी हो गया है और आप देख रहे हैं कि अनेक वर्षों से हर बार रबी और खरीफ की एमएसपी 22 फसलों के लिए आती है और उसको डेढ़ गुना करके घोषित किया जाता है।...(व्यवधान)

**माननीय सभापति :** कृपया बैठ जाइए। मंत्री जी के जवाब के बाद आपको मौका दिया जाएगा।

**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :** जलवायु परिवर्तन के विषय पर मैं बता चुका हूँ। जयदेव जी ने स्वामीनाथन जी की बात कही, वह भी मैंने बता दिया है। वीरेन्द्र सिंह जी ने मानधन योजना वाली बात कही थी, तो मैं उसके बारे में बाद में बताऊँगा।...(व्यवधान) अनुप्रिया जी ने कहा था, तो मैंने अभी महताब जी को बताया है कि जो गैर ऋणी किसान हैं, उनकी संख्या 5 परसेंट से बढ़कर 42 परसेंट हो गई है। संजय पाटील जी ने फसल बीमा योजना में पारदर्शिता की बात की है। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। हम लोगों ने फसल बीमा पोर्टल भी बनाया है। उपज के आंकड़े एग्री ऐप से भेजने को अनिवार्य भी किया है। बीमा कंपनियों का चयन नीलामी/ऑक्शन के द्वारा हो, हमने यह भी सुनिश्चित किया है। नन्दकुमार सिंह जी ने बेमौसम की बरसात की बात की थी। नरेगा के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। लगभग-लगभग प्रमुख रूप से कई चीजें आ गई हैं।

(1520/MK/SAN)

किसान की आमदनी दोगुनी करने वाला विषय अधीर रंजन जी ने और बहुत सारे लोगों ने उठाया। यह बात निश्चित रूप से सही है कि सबके मन में यह आए कि किसानों की आमदनी दोगुनी कैसे होगी? लेकिन, खेती का जो विषय है, उसको अगर हम मिशन मोड में हाथ में नहीं लेंगे तो इसमें परिणाम नहीं आएगा। पहले भी आपने देखा होगा, सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन अगर किसी प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री ने मिशन मोड में काम करने की कोशिश की है तो निश्चित रूप से उसके परिणाम आए हैं। पिछले दिनों जब प्रधान मंत्री जी ने जब स्वच्छ भारत मिशन की बात की थी तो सारा देश उठकर खड़ा हुआ था और सारे देश ने स्वच्छता के लिए काम किया। उसके परिणाम भी आज परिलक्षित हो रहे हैं। इसी प्रकार से जब वर्ष 2016 में प्रधान मंत्री जी ने किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात कही तो आज पार्लियामेंट से लेकर ग्राम पंचायत तक सब जगह यह चर्चा है कि दोगुनी करनी है। कुछ लोग पूछते हैं कैसे करेंगे, कुछ लोग कहते हैं, करेंगे और कुछ लोग उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन, कुल मिलाकर यह विषय आज चर्चा में आ गया है और सरकार के लिए जो कृत्य हैं, उन कृत्यों पर सरकार भी काम कर रही है। जब प्रधान मंत्री जी ने यह घोषणा की थी तो उसके बाद विभाग ने इस विषय पर एक अंतर मंत्रालयीन समिति बनाई थी। उस समिति ने अपनी सिफारिशें देनी शुरू की, लेकिन उन्होंने अंतिम सिफारिश सितम्बर, 2018 में कृषि मंत्रालय को दे दी। इसका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो, इसकी मॉनिटरिंग हो, इसके लिए अधिकार प्राप्त निकायम का गठन कर दिया गया है। आय को दोगुनी करने के लिए स्रोतों की पहचान की गई, जिसमें फसल की उत्पादकता में सुधार, पशुधन उत्पादकता में सुधार, उत्पादन लागत में बचत, फसल सघनता में वृद्धि, उच्च मूल्य की फसलों की ओर विविधता, किसानों द्वारा वास्तविक मूल्य में सुधार और कृषि और गैर कृषि व्यावसायों में जाने की कोशिश आदि शामिल है। इसलिए हम लोगों ने पूर्व उत्पादन, उत्पादन और

उत्पादन के पश्चात इन सारी चीजों पर विमर्श करके पूरा एक रोडमैप बनाया है। खाद्यान के लिए क्या होगा, दलहन के लिए क्या होगा, फूलों के लिए क्या होगा, फलों के लिए क्या होगा, जैविक के लिए क्या होगा, जीरो बजट के लिए क्या होगा इन सभी चीजों के लिए रोडमैप्स तैयार किए जा रह हैं। मैं इसको थोड़े में बताऊंगा, क्योंकि यह विषय बहुत लोकप्रिय है और इसमें बोलने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए मैं उसे जल्दी कर रहा हूं। लेकिन, मैं आपको यह जरूर बताना चाहता हूं कि अभी भी कदम उठाए गए हैं, उन कदमों से निश्चित रूप से उत्पादकता में लाभ हो रहा है। जैसे आप देखेंगे वर्ष 2009 से 2014 में खाद्यानों का उत्पादन 248.81 मिलियन टन था और वर्ष 2014 से 2019 की अवधि में उत्पादन में 8.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब यह बढ़कर 269.72 मिलियन टन हो गया है। इसी प्रकार से वर्ष 2009 से 2014 की अवधि में दलहन का औसत वार्षिक उत्पादन 17.52 मिलियन टन था, वर्ष 2014 से 2019 के बीच में यह 20.0 था, अब 21.8 मिलियन टन हो गया है। इसी प्रकार जो उच्च मूल्य वाली फसलें हैं, यदि हम बागवानी को देखेंगे, तो वर्ष 2009 से 2014 में बागवानी का औसत वार्षिक उत्पादन 253.4 मिलियन टन था, वर्ष 2018-19 में 17.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब यह 298.67 मिलियन टन हो गया है। मधुमक्खी पालन में वर्ष 2009 से 2014 में औसत वार्षिक उत्पादन 351.95 मीट्रिक टन था । वर्ष 2014 से 2019 के बीच में 488.93 मीट्रिक टन हो गया, जो 38 प्रतिशत की वृद्धि है। इसी प्रकार से पशुपालन, डेयरी, मत्स्य मामलों में उत्पादन लगातार बढ़ रहा है।

(1525/RPS/SM)

बालू साहब ने तमिलनाडु में फसल बीमा की बात कही थी, रबी के धान में कुल दावे 1649.24 करोड़ थे और कुल भुगतान 1485.50 करोड़ रुपये हुआ है, शेष दावे राज्य सरकार और इंश्योरेंस कंपनियों के मध्य चर्चा में हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं कंपनीवार ब्यौरा भी आपको दे दूंगा। अधीर रंजन जी, अभी यहां नहीं हैं।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कुल मिलाकर, वर्ष 2014 से, जब से प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने काम संभाला है, तब से लगातार इस बात की कोशिश हुई है कि गांव और खेती हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और इस रीढ़ को मजबूत होना चाहिए। इस रीढ़ को मजबूत करने में चाहे डेढ़ गुना एमएसपी देना हो, चाहे पीएम किसान योजना के माध्यम से 6,000 रुपये वार्षिक देने हों या प्रधान मंत्री मानधन योजना के माध्यम से पेंशन योजना लागू करनी हो या अन्यान्य योजनाओं के माध्यम से, यदि आप बजट को भी देखेंगे तो वर्ष 2009 से 2014 तक कृषि का बजट 1,21,000 करोड़ रुपये था, आज देखेंगे कि वर्ष 2019-20 का बजट 1,31,000 करोड़ रुपये है। यह वृद्धि इस बात को प्रदर्शित करती है कि मोदी सरकार किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि जब किसानों और खेती की चर्चा हो तो आप सभी के जो सुझाव आएंगे, उनमें से जो मानने योग्य होंगे, उन पर सरकार जरूर विचार करेगी। आपने समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

(इति)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Hon. Minister, some hon. Members want some clarifications.

Shri Subbarayan, do you want to ask any question?

श्री अजय कुमार।

**श्री अजय कुमार (खीरी):** सभापति जी, लखीमपुर खीरी सहित नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में फल व सब्जियों की गुणवत्ता हेतु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए गौरीफंटा, लखीमपुर सहित अन्य कई स्थानों पर, जहां से भारत से फल व सब्जियां नेपाल को निर्यात की जाती हैं, गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिसम्बर, 2018 में प्रयोगशाला व कार्यालय स्थापित करने का निर्णय कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने लिया था। उक्त लैब के स्थापित न होने के कारण कृषि उत्पादों का पूरा मूल्य नहीं मिल पा रहा है और आपूर्ति पर भी प्रभाव पड़ा है, जिसका असर क्षेत्र के किसानों की आय पर पड़ा है। मैं जानना चाहता हूं कि कब तक इन लैब्स व कार्यालयों को प्रारम्भ किया जाएगा?

**डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब):** सर, मंत्री जी ने बहुत विस्तृत जवाब दिया है, लेकिन मैं दो चीजें पूछना चाहता हूं। जब मैंने डिबेट में बोला था, तब भी कहा था कि जब पूरी फसल डैमेज होती है तो कंपेनसेशन 8000 रुपये होता है, जिसमें से 4000 रुपये राज्य सरकार देती है और 4000 रुपये केन्द्र सरकार देती है। गेहूं का नुकसान 40000 रुपये होता है और पैडी का नुकसान 50000 रुपये या 55000 रुपये होता है। मैंने कहा था कि कम से कम इसे 50 प्रतिशत कर दीजिए। क्या इसके बारे में मंत्री जी कुछ बताना चाहेंगे?

**श्री देवुसिंह चौहान (खेड़ा):** सभापति जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मैंने डिबेट में भी बोला था और मंत्री जी ने भी अपने उत्तर में बताया है कि करीब 46,000 फसल बीमा क्लेम्स में 38,000 से ज्यादा कंपनियों ने दिया है और 8000 के करीब कंपनियों के पास जमा रहा है, इसके बावजूद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने मदद की है। मंत्री जी ने बोला है कि हम उसे अधिक लाभप्रद और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। क्या राज्य सरकार या भारत सरकार अपनी बीमा कंपनी खोलने पर विचार कर रही हैं?

**श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर):** सर, मैं मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पिछले महीनों में पंजाब में नेचुरल कैलामिटी से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सतलुज दरिया में बहुत सारे ब्रीचेज हुए, हैवी रेन और भाखड़ा डैम से ज्यादा पानी रिलीज करने से पंजाब का लगभग 1219.23 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

(1530/IND/AK)

हमारे सैकड़ों गांव पानी में डूब गए। सतलुज नदी के जो बांध हैं, इनकी काफी समय से मरम्मत नहीं की गई, इनकी कोई मेनटेनेंस नहीं की गई। इस वजह से ये काफी कमजोर हो गए हैं। जब भी बारिश होती है, तो यह डर बन जाता है कि कोई दुर्घटना हो सकती है। क्या सरकार का विचार है कि इन बांधों को स्ट्रैंथन करने के लिए काम किया जाएगा?

मेरा दूसरा क्लैरीफिकेशन यह है कि पंजाब का वॉटर टेबल बड़ी गंभीर स्थिति में है। हमारी ज्यादातर ब्लॉक्स की स्थिति बहुत खराब है। हमारे यहां पैडी के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। क्या सरकार का ऐसा कोई प्लान है कि डायवर्सीफिकेशन करके पैडी को रोका जाए। यदि लोग पैडी न पैदा करें तो उन्हें मुआवजा दिया जाए।

**कुंवर दानिश अली (अमरोहा):** मंत्री जी ने कहा कि प्रधान मंत्री जी का सपना है कि किसानों की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में गन्ने का दाम कितने समय से नहीं बढ़ा और लागत के दाम कितने बढ़ गए हैं, यह मंत्री जी बताएं?

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): The hon. Minister has elaborately replied here. So, the hon. Members can ask only small clarificatory questions.

… (*Interruptions*)

**कुंवर दानिश अली (अमरोहा):** मेरा एक सवाल यह भी है कि फसल बीमा योजना में प्राइवेट बीमा कम्पनीज को पैसा गया है, इसके लिए सरकार ने क्या किया है?

**श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग):** सभापति जी, मंत्री जी ने माना है कि महाराष्ट्र के 34 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कोल्हापुर, सांगली और रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग में 20 दिनों तक बाढ़ आई थी, उसके बारे में उन्होंने कुछ स्पष्टता नहीं दी है। 900 करोड़ रुपये एनडीआरएफ ने बेमौसम के लिए दिए। शायद तोमर जी मछली खाते होंगे।…(व्यवधान) मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि कोस्टल लाइन से जो मछुआरे बेघर हो चुके हैं, उनके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। मछुआरों के बारे में चाहे वेस्ट कोस्टल लाइन हो या ईस्ट कोस्टल लाइन हो, क्योंकि साढ़े आठ हजार किलोमीटर लम्बा समुद्र हैं, वहां लोग रहते हैं। मंत्री जी इस बारे में भी स्थिति स्पष्ट करें।

**श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा):** सभापति जी, बिहार हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है और दस से पन्द्रह जिले नेपाल से आने वाले पानी से प्रभावित होते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नेपाल से आने वाले पानी से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने से बचाव के लिए क्या आपने नेपाल सरकार से कभी बात की है?

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Thank you, Sir. I would like to ask this from the hon. Minister. Andhra Pradesh was affected severely because of Hudhud cyclone. At that time, the hon. Prime Minister visited there with a concerned heart, and he had promised Rs. 1,000 crore as relief. But the hon. Prime Minister's promise is not fulfilled yet. I would like to ask this from the hon. Minister. When will this promise be fulfilled fully?

**श्री भगवंत मान (संगरूर):** महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फसल के नुकसान होने पर पहले गिरदावरी होती है, उसके बाद आकलन किया जाता है तथा और भी कई फार्मेलिटीज की जाती हैं, उसके बाद बीमा का पैसा मिलता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत फसल का नुकसान होने के एक-दो दिन बाद या जल्द से जल्द कुछ मिनिमम मुआवजा दिया जाए। बाद में जब फसल के पूरे नुकसान का पता चल जाए, तो मुआवजे की बची धनराशि तब दे दी जाए। अभी ऐसा होता है कि नुकसान के तीन-चार महीने तक गिरदावरी के कारण मुआवजा मिलने में देरी होती है। दिल्ली में केजरीवाल जी सरकार ने 20 हजार रुपये मुआवजा दे दिया और गिरदावरियां बाद में हुईं। क्या सरकार ऐसा कुछ करेगी?

(1535/ASA/UB)

**श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन):** माननीय सभापति जी, मेरा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि जो फसल बीमा है, इसका प्राइवेट बैंकों से टाइ-अप होता है। मेरा मंत्री जी से यह अनुरोध है कि जो सेन्ट्रल बैंक्स हैं, जैसे एसबीआई है, बैंक ऑफ इंडिया है या राष्ट्रीयकृत जो बैंक्स हैं, उनके द्वारा इनका बीमा होगा तो किसानों को ज्यादा फायदा होगा क्योंकि प्राइवेट कंपनियों के कारण किसानों को नुकसान हो रहा है। इनको पूरा मुआवजा नहीं मिल पाता। इसलिए इनको माननीय प्रधान मंत्री जी की इच्छा के अनुरूप पूरा मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद।

**श्री सुनील कुमार मंडल (वर्धमान पूर्व):** माननीय सभापति जी, मुझे एक ही बात पूछनी है कि माननीय प्रधान मंत्री जी का सपना है कि किसान की आय दोगुना हो, तो यह सपना कैसे पूरा होगा? जो किसान की सब्जियां हैं, जिस समय ये सब्जियां होती हैं, उस समय दाम बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। इसलिए इस बारे में कुछ व्यवस्था की जाए।

**श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर):** माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान छुट्टे पशुओं से हुआ है। क्या माननीय मंत्री जी इसका एक सर्वे करवाएंगे कि कितने छुट्टे पशु हैं और कितना उन्होंने नुकसान कर दिया? उस नुकसान की भरपाई के लिए क्या वह 10,000 रुपया प्रति किसान को देने का काम करेंगे?

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** माननीय सभापति जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर क्रैडिट आप कितना देते हैं और इस सारे क्रेडिट में से छोटे और सीमान्त किसानों का क्या हिस्सा है? दूसरे, सीएसीपी ने क्या ऐसा कोई प्रस्ताव दिया है कि एमएसपी भेजना एक लीगल राइट होना चाहिए?

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, you are now in the Chair, so, I am asking the question from your side also. Kerala is affected by severe floods in the last few years and the Central Government promised to compensate for the losses of the farmers, but they did not get any adequate help from the Central Government. Can the Central Government give adequate compensation to the Kerala Government and the farmers of Kerala?

1538 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

**श्री चुन्नी लाल साहू (महासमुन्द):** माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो फसल नुकसानी सर्वे किया जाता है, वह ग्रामवार होने के बजाए किसान का व्यक्तिगत सर्वे होना चाहिए ताकि किसान को उसका पूरा लाभ मिले।

**श्री हेमन्त पाटिल (हिंगोली):** माननीय सभापति जी, महाराष्ट्र में अतिवृष्टि के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सिर्फ इस मार्फत 900 करोड़ रुपये दिया जा रहा है। मेरी विनती है कि उसके अलावा महाराष्ट्र को किसानों के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए और जो अतिवृष्टि से उनको नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई ज्यादा से ज्यादा हो। धन्यवाद।

**श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर):** माननीय सभापति जी, समर्थन मूल्य के ऊपर जो बाजरा, ज्वार और मक्का राजस्थान में बहुतायत में होता है, मेरा सरकार से निवेदन है कि उसकी भी सरकारी खरीद होनी चाहिए। दूसरे, किसान को इकाई मानकर उसको फसल बीमा का भुगतान किया जाना चाहिए।

**श्री अबू ताहेर खान (मुर्शिदाबाद):** माननीय सभापति जी, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि बुलबुल के कारण बंगाल में जो खेती को नुकसान हुआ है, किसानों को जो नुकसान हुआ है, उसमें आपको क्या दिक्कत है? जो किसानों को नुकसान हुआ है, उनके नुकसान की भरपाई के लिए सरकार क्या विचार कर रही है? दूसरे, प्याज के संरक्षण की सरकार की क्या तकनीक है?
(1540/RAJ/RK)

**श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद)**: अध्यक्ष महोदय, मैंने इस चर्चा में भाग लेते हुए यह कहा था कि नीलगायों से किसानों के फसलों का नुकसान हो रहा है और यह लगातार हो रहा है। उसके बचाव के लिए माननीय मंत्री जी क्या उपाय करेंगे?

**माननीय अध्यक्ष :** अब कोई माननीय सदस्य बोलने के लिए बाकी नहीं हैं।

माननीय मंत्री जी।

**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :** अध्यक्ष महोदय, यहां पर दो-तीन चीजें आई हैं, बाकी तो कॉमन चीजें हैं। एक पशुओं का विषय आया है। मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहता हूं कि पशुओं और जंगली जानवरों से जो नुकसान होता है, उसके लिए पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय की एक स्कीम है, उसके अंतर्गत ये सारी कार्रवाई होती है, हम लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फल, सब्जी के नुकसान के बारे में अजय मिश्रा जी ने कहा है। उन्होंने यह बात संज्ञान में लाई है। यद्यपि मैंने इस मामले में कहा था। मैं उनसे मिल कर बता दूंगा कि इस मामले में आगे क्या बढ़ा। देबू सिंह जी फसल बीमा की बात कर रहे थे, उनके यहां फसल बीमा का मामला ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर कोई विषय संज्ञान में लाएंगे तो उसका निराकरण करेंगे। अमर सिंह जी हमारे मित्र हैं और बहुत पुराने ब्यूरोक्रैट्स हैं। मैं समझता हूं कि वह जिंदगी भर फसल बीमा योजना और बाकी योजनाओं से संबंधित काम करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने मांग लिया कि फ्लैट 50 प्रतिशत मुआवजा दे दें। हर योजना के लिए कोई न कोई पद्धति का निर्माण करना पड़ता है। ऐसे में सीधा यह कह पाऊं, यह संभव नहीं होगा।

पंजाब में सतलुज पर बैंक बनाने की बात आई है। आपकी बात ठीक है। जल संसाधन मंत्री जी यहां बैठे हैं। उन्होंने आपका विषय सुना है। दानिश अली साहब गन्ना किसानों वाली बात कह रहे थे। यह निश्चित रूप से हर फसल में है। केवल गन्ने में ही लागत का भाव बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि यह गेहूं, चावल और फल में भी हो रहा है। इस दृष्टि से सरकार गंभीर है और समय-समय पर कार्रवाई करती रहती है।...(व्यवधान)

**कुंवर दानिश अली (अमरोहा):** गन्ने का भाव नहीं बढ़ा है।...(व्यवधान)

**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :** दानिश अली साहब, आप चिंता नहीं करें, हम वर्ष 2022 में हिसाब देंगे।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय मंत्री जी, माननीय सौगत राय के साथ बैठते हैं।

…(व्यवधान)

**जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत):** माननीय सदस्य ने यह भी गुहार लगाई थी कि मेरे समय को अब वापस जीरो से शुरू किया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि वह कौन-सी समय की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी वह जवान है, तो वह समय की बात अभी से क्यों कर रहे हैं?

**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :** कौशलेन्द्र जी ने नेपाल से बात करने के लिए आग्रह किया था, तो सामान्य तौर पर जब ऐसी परिस्थिति आती है तो राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों ही बात करती हैं।…(व्यवधान)

**श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा):** देश-देश का मामला है। हर साल कई जिलों के फसल हर साल बह जाती हैं।…(व्यवधान)

**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :** मैं आपकी बात से सहमत हूं। हमारी बहन गीता जी ने आंध्र प्रदेश के हूदहूद की बात कही है। मैंने बताया है कि बीमा के अंतर्गत या एनडीआरएफ की जो राशि है, वह प्रधान मंत्री जी के उद्घोषणा के अंतर्गत दी गई है। मैंने पशुओं के बारे में बता दिया है। मैं केरल की बात भी कह चुका हूं। चुन्नी लाल शाहू जी ने सर्वे की बात कही है। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना पर दोबारा से रिव्यू हो रहा है, तो निश्चित रूप से हम फसल बीमा योजना के लिए, जिस प्रकार के सुझाव आए हैं, हम उन पर विचार करेंगे। आगे वह कैसे व्यावहारिक हो सकता है, यह बात जरूर है। अधीर रंजन जी लीगल राइट की बात कर रहे थे। मैं समझता हूं कि अभी भी एमएसपी का लीगल राइट जैसा ही है। इसमें किसी को शंका करने की आवश्यकता नहीं है।

(1545/SPS/PS)

इसके लिए भारत सरकार भी प्रतिबद्ध है। जहां-जहां राज्य सरकरें इसमें रुचि दिखाती हैं, वहां-वहां एम.एस.पी. पर अच्छी खरीद होती है। किसी राज्य सरकार की रुचि कम है, किसी राज्य सरकार की रुचि ज्यादा है, किसी की रुचि एक फसल में है, किसी की रुचि दूसरी फसल में है।

**माननीय अध्यक्ष:** क्या सभी माननीय सदस्य संतुष्ट हैं?

**श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग):** महोदय, मैंने मछुआरों का विषय रखा था। इस वर्ष में पूरे 8 मास मछुआरे मछीमारी नहीं कर सके हैं। मंत्री महोदय सभागृह में आ गए हैं। पहले फैनी आया, उसके बाद बुलबुल आया, इससे मछुआरे ध्वस्त हो चुके हैं। जिनके नाम पर जमीन है, उनको मंत्री महोदय जी ने कुछ न कुछ देने का काम किया। जिनके नाम पर समुद्र के पानी का 7/12 है ही नहीं, लेकिन वर्षों से उनका जीवन समुद्र के ऊपर निर्भर है। फैनी हो, बेमौसमी बारिश हो या भारी बारिश हो, उन मछुआरों का काम बंद हो जाता है। उस समय इन मछुआरों को सहायता कौन देगा?

**पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्री (श्री गिरिराज सिंह):** महोदय, खासकर डिजास्टर मंत्रालय की ओर से ऐसे समय में उनका आकलन करके, उनकी क्षतिपूर्ति करने की कोशिश की जाती है। …(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जी ने आप सबको बड़ा विस्तृत जवाब दिया है। सारी समस्याओं के समाधान के बारे में भी चर्चा की है। माननीय मंत्री जी खुद भी किसान हैं और राज्य में भी इस विभाग के मंत्री रहे हैं, जिससे उन्हें अनुभव है। जिन-जिन माननीय सदस्यों ने और सुझाव दिए हैं, माननीय मंत्री जी आप सबके सुझावों के आधार पर निश्चित रूप से काम करेंगे, ऐसा सदन का आग्रह है।

…(व्यवधान)

---

## केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019

1547 बजे

**मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक):** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि संस्कृत में शिक्षण और अनुसंधान के लिए, संस्कृत संवर्धन के सर्व समावेशी क्रियाकलापों के विकास के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमन के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ विषय रखना चाहते हैं?

**डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक:** श्रीमन्, ये जो तीन महत्वपूर्ण संस्थान हैं, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है, दूसरा श्री लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ और तीसरा राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति है। आज इन बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थानों, जिनका जन्म देश की आजादी के साथ-साथ हुआ था और बाद में इनको डीम्ड विश्वविद्यालयों का दर्जा दिया गया था। आज इन तीनों संस्थाओं को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव लाया गया है जैसा कि विदित है कि संस्कृत इस देश की आत्मा है। यह देश विश्व गुरू रहा है। विश्व गुरू होने के पीछे जो महत्वपूर्ण विद्या रही है, दर्शन रहा है, विचार रहा है, तो वह संस्कृत है, जिसको सबसे प्रचीनतम भाषा बोला और माना जाता है। संस्कृत में एक उक्ति रही है:

एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन:।
स्वं-स्वं चरित्रं शिक्षरेन्: पृथ्वियां सर्व मानवा:।।

श्रीमन्, इस देश के अंदर तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे बहुत महत्वपूर्ण संस्थान थे, जहां पूरी दुनिया के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में यह देश पूरे विश्व में शिखर पर था। संस्कृत को हम अपनी आत्मा मानते हैं, भारत की आत्मा मानते हैं।

(1550/MM/RC)

संस्कृत का संबंध संस्कृति से है और संस्कृति का संबंध हमेशा संस्कारों से है।

श्रीमन, वेदों को सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। जो संस्कृत है, उसकी जो भाषा है, उसके जो ग्रंथ हैं, जो उसका दर्शन है, जो उसका विचार है। श्रीमन, हमारा दर्शन-

अयं बन्धुरयंनेति गणना लघुचेतसाम्
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥

पूरी दुनिया को हमने अपना परिवार माना है, यह हमारा विचार है, यह हमारा संस्कार है और उस संस्कार को जो हमारी संस्कृति है, उसको संस्कारों के रूप में हमने पूरी दुनिया को अपने परिवार के रूप में माना है। वसुधैव कुटुम्बकम की बात कही है। उस परिवार के लिए जो हमारा संस्कार रहा है, हमने हमेशा कहा है -

सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत् ।

जब तक धरती पर एक भी इंसान दुखी होगा, तब तक मैं सुख का एहसास नहीं कर सकता हूं। इसलिए एक ओर हम सम् गच्छत्वम, सम् वद्धत्वम की बात करते हैं। हम साथ-साथ चलेंगे, साथ-साथ पुरुषार्थ करेंगे,

ॐ सह नाववतु।
सह नौ भुनक्तु।
सह वीर्यं करवावहै।
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

हम साथ-साथ चलेंगे, साथ-साथ रहेंगे, साथ-साथ बोलेंगे और मिलकर के हर काम, हर पुरुषार्थ को हम साथ-साथ मिलकर के करेंगे, यह जो विचार है, यह जो दर्शन है, इसका उदभव संस्कृत से होता है। इसलिए यह जो विचार है, जिसने पूरी दुनिया में भारत को शिखर पर पहुंचाया है, मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि आज दुनिया के लगभग सौ देशों के ढाई सौ विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती है। पूरी दुनिया में संस्कृत सदियों से पढ़ाई जाती है और मैं कहना चाहता हूं कि उत्तरी अमेरिका, आस्ट्रेलिया, यूरोप, ब्रिटेन, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जापान और थाईलैंड का यदि मैं जिक्र करूं तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि दो-तीन सौ साल से तमाम दुनिया के देश संस्कृत को पढ़ा रहे हैं और बड़े गौरव के साथ पढ़ा रहे हैं। जर्मनी में अकेले 1400 विद्यालय हैं, जो संस्कृत को पढ़ा रहे हैं और उसमें जो वेद, पुराण और उपनिषद् हैं, जो यहां के ग्रंथ है, आयुष वेद: आयुर्वेद:, श्रीमन, हमारे तन और मन के जो ग्रंथ हैं, जो संस्कृत के हमारे ग्रंथ हैं। पतंजलि का योग भी संस्कृत में ही है, सारी दुनिया आज जिसके पीछे खड़ी है और आयुष वेद: आयुर्वेद, जो आयु का विज्ञान है, उस आयुर्वेद के सभी ग्रंथ भी संस्कृत में हैं। इसलिए श्रीमन इस देश को जानना हो, इस देश के ज्ञान और विज्ञान को समझना हो और इसकी शिखरता को पहचानना हो तो बहुत जरूरी है कि संस्कृत आए। इसलिए यह तीन संस्थान, जो लम्बे समय से काम कर रहे हैं, अनुसंधान के क्षेत्र में ये तीनों संस्थान अलग-अलग करके काम कर रहे हैं। प्राचीन शास्त्र के संबंधों में आधारित शोध का कार्य कर रहे हैं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दूसरा, वेद, वेदांग, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के रूप में लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी काम कर रही है, तीसरा संस्थान, भारतीय शास्त्रों एवं संगठन यंत्र आधारित शोध और विभिन्न प्राचीन दर्शन की पारम्परिक शास्त्रों के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए ये तीनों संस्थान बहुत शीर्ष का काम कर रहे हैं। विज्ञान के साथ जब संस्कृत का ज्ञान जुड़ेगा तो एक बार यह देश विश्व में गुरू कहलाएगा, सब जगह ज्ञान और विज्ञान के अनुसंधान के साथ। इसलिए जो आज यह प्रस्ताव आ रहा है, यह सामान्य प्रस्ताव नहीं है। हो सकता है कि जिनको उस वैभव के बारे में जानकारी न हो, उनके मन में प्रश्न उठ सकते हैं, लेकिन इन तीनों विश्वविद्यालयों के बनने से उनके सारे प्रश्नों के समाधान होंगे। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि मैक्स मूलर जी ने अपनी किताब में लिखा है कि आप भारत में हर जगह अपना श्रेष्ठ भूत और श्रेष्ठ भविष्य को पूरी सम्भावना के साथ देख सकते हैं। यदि आप चाहें तो प्राचीन युग की विशेषताओं को प्राप्त कर सकते हैं। आज की कोई भी समस्या जैसे सर्वशिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, विधि का संहितीकरण हो, वित्त हो, प्रजनन हो, निर्धन कानून हो या अन्य शिक्षण सामग्री, यानी कुछ भी जिसे आप समझना या सीखना चाहते हैं, वह भारत आपको एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला के साथ प्रदान कर सकता है जो अन्यत्र नहीं मिल सकता है।

(1555/SJN/SNB)

श्रीमान्, यह मैक्समुलर ने कहा है। उन्होंने यह कहा है कि संस्कृत जो दुनिया की सर्वाधिक सक्षम भाषा है। अभी इसको वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि जो वैज्ञानिक भाषा है, जो बोली जाती है, वही उच्चारित होती है, जो उच्चारित होती है, वही लिखी जाती है। यदि दुनिया में कोई एक भाषा है, जो वैज्ञानिक भाषा है, तो वह संस्कृत भाषा है। इस बात को सारी दुनिया के वैज्ञानिकों ने सुनिश्चित किया है।…(व्यवधान)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Hon. Minister, are you a linguist? How can you say that Sanskrit is the greatest language? Who are you to say this? …(*Interruptions*) You cannot say that …(*Interruptions*)

**डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक :** श्रीमान्, हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं, उसमें हमारी तमिल है, तेलुगु है, वह भी श्रेष्ठ भाषाएं हैं।…(व्यवधान) इसलिए, तमिल और तेलुगु भी संस्कृतनिष्ठ भाषाएं हैं, दोनों समान हैं। हमारी भारतीय भाषाएं बहुत श्रेष्ठ हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इसका वैभव नहीं होता, तो यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती। यदि इसका वैभव नहीं होता…(व्यवधान) जब आप बोलेंगी, तब मैं उसका जवाब जरूर दूंगा।…(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): How many people have learnt Sanskrit? …(*Interruptions*)

**डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक :** श्रीमान्, मैं कोशिश करूंगा कि प्रमाणों के साथ जवाब दूं।…(व्यवधान) मैं इसकी कोशिश करूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कंबोडिया यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी, इंडियाना यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एमोरी यूनिवर्सिटी, यदि मैं इन विश्वविद्यालयों में, जो कि दुनिया के शीर्ष के विश्वविद्यालय हैं, हम गर्व के साथ यह कह सकते हैं कि वे आज संस्कृत को पढ़ा रहे हैं और उसके गौरव को बढ़ा रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज इसकी जरूरत है कि हम ज्ञान और विज्ञान को नवाचार के साथ आगे लेकर जाएं। हमारी जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, वे समृद्ध हैं। इसलिए, यह जो बिल आया है, इससे देश को श्रेष्ठ बनाने की दिशा में, जो हमारा प्राचीन विज्ञान और ज्ञान है, उसको नवाचार के साथ और नए अनुसंधान के साथ ऊपर उठाने और बढ़ाने के लिए यह बिल लाया गया है। इसलिए, मैं सबसे विनती करता हूं कि इस पर वे अपने विचार जरूर रखें और इस बिल को सर्वसम्मति से पास करके भारत के गौरव को बढ़ाने की कोशिश करें।

(इति)

**माननीय अध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि संस्कृत में शिक्षण और अनुसंधान के लिए, संस्कृत संवर्धन के सर्व समावेशी क्रियाकलापों के विकास के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमन के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

1558 hours

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill.

The declared objective of this legislation is to form a Central University for Sanskrit by elevating three existing deemed universities to be Universities. We hope that this will provide better opportunities for concentrating on higher studies in different disciplines of our ancient wisdom and also for meaningful research activities. Hence, the attempt is laudable.

1558 hours (Dr. Kirit P. Solanki *in the Chair*)

There are 18 Sanskrit universities in India spread across 14 States. The first Sanskrit university in India, Sampurnanand Sanskrit University was established in 1791 in Varanasi, Uttar Pradesh. The most recent Sanskrit university was established in Haryana in the name of the legendary Indian poet and the author of Ramayana, Maharshi Valmiki. Ramayana is considered as the greatest literary masterpiece of India and was written in Sanskrit.

As all of us are aware, Sanskrit is the repository of our ancient knowledge and the world outside honours this land for that language and the culture enshrined in it. Unfortunately, this great treasure was confined for a long time to the elite belonging to the upper layers of the society. The majority of the population were denied access to that language or to that culture. History tells us that it was a Mughal Prince Dara Shikoh who brought it to the outside world by translating the Upanishads into the Persian language. This paved the way for the West to know about our culture. The discovery of Sanskrit by the outside world in the 18$^{th}$ and 19$^{th}$ centuries revolutionised the thought process of that era. Sanskrit was the source for the emergence of new systems like linguistics and other Indological studies.

(1600/RU/RAJ)

We are thankful to the pioneering efforts of these foreign scholars who fixed Sanskrit in the global knowledge system. Thanks to their untiring efforts, there are Departments of Sanskrit Studies in many of the Universities, as the hon. Minister said, the world over. We hope that the new Central University will co-ordinate the research activities in these centres and collaborate for new ventures in new areas.

Various manuscripts which are treasures of ancient Indian knowledge and medicine including Ayurveda are being actively researched there. In this scenario, where even foreign countries are spending resources to extract this knowledge, India where all these originated from, falls short in many aspects. Unearthing this information, translating these two forms where it can be used, is the need of the hour.

I would like to share one important point with you in this context. We should not mix up language with religion. All languages are great in their own way; all religions are also great. We should respect all of them but desist from mixing the two or identify any language with any particular religion.

Some instances around us, to say the least, are painful. Recently, a brilliant scholar in Sanskrit, duly selected to the post of Professor was not allowed to join in one of our reputed Universities merely because he was a Muslim. After being humiliated continuously, he bowed out and resigned. This House would like to know the action taken by the Government against those who threatened the scholar from entering the campus.

Sri Shankaracharya University of Sanskrit is situated in my constituency. It is in Kalady which is the birth place of Adi Shankaracharya. It is in the name of Adi Sankara, the great eighth century philosopher who achieved the pinnacle of ultimate knowledge and wisdom.

Dr. M.C. Dileep Kumar, the previous Vice-Chancellor and the University Syndicate had submitted two proposals to the Government. One was to establish an International Study Centre for Sanskrit research establishing tie-ups with other universities including international universities to bridge the gap between Sanskrit education and mainstream education. The second proposal was to declare Sri Shankaracharya University as the nodal agency for propagation of Sanskrit studies in South India.

I would urge upon the Parliament and the concerned Ministry to kindly reconsider these proposals. It is also my humble request to convert Sri Shankaracharya University into a Central University considering the importance of this great language and the need to impart and propagate it as much as possible.

Sir, I invite you to the land of Sri Shankaracharya, Kerala. We have a rich tradition of Sanskrit learning. We encourage students belonging to all religions and castes to study Sanskrit and they occupy high positions in the society. You will be surprised to know that a Brahmin woman teaches Arabic and Urdu in our school. The former Vice-Chancellor, Dr. Paulose, is a scholar in Sanskrit. This is our secular fabric! I request that the Central University for Sanskrit should uphold this lofty principle of secularism enshrined in our Constitution and create an atmosphere of social harmony in its campus.

I would like to draw your attention to one more point. Functioning of higher centres of learning in our country under the present Government, be it IIT or Central University or any other institution, is far from satisfactory. Dalit students coming from rural areas face several kinds of discrimination. This House would like to get an assurance that this social imbalance will not be repeated in the new University and reservation principles will be strictly followed in the recruitment of teachers in this University. This should not be a centre for creating Ekalavyas who are forced to cut off their thumbs to please their teachers.

(1605/NKL/KN)

Sir, I would like to conclude by quoting a sloka by Adi Shankaracharya:

*"Jnano devathu kaivalyam"*

It means, liberation is only through knowledge. There are vast resources of knowledge yet to be unearthed in Sanskrit. So, let us strive to preserve, propagate and explore. Before concluding, I would like to say that this is a great idea. I welcome the Central Sanskrit Universities Bill, 2019 but I would say that this Government has a hidden agenda in everything. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (DR. KIRIT P. SOLANKI): Kindly conclude.

… (*Interruptions*)

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Do not try to saffronise the university and the education policy. It is the hidden agenda of BJP to saffronise the education policy. …(*Interruptions*) So, please do not do that.

(ends)

HON. CHAIRPERSON: Thank you very much.

Now, Dr. Satyapal Singh.

1606 बजे

**डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत):** महोदय, मैं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले व्यक्तिगत संतोष की बात यह है कि पिछली बार जब देश के यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी की कृपा से मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री बना था, तो यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव मेरे द्वारा ही रखा गया था और इसीलिए मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से यह बहुत संतोष की बात है। मैं हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री का बहुत अभिनन्दन करता हूँ, उनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि इस बिल को जल्दी से जल्दी लाए हैं। इस देश के सभी संस्कृति प्रेमियों का, सारी दुनिया के संस्कृत प्रेमियों को मैं बधाई देता हूँ और उनका भी अभिनन्दन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हम लोग संस्कृत को देव भाषा मानते हैं। दैवीय भाषा, अपौरुषेय भाषा है और कहते हैं कि देव भाषा का जो मूल है, वह वेद है। इसलिए मैं आपकी अनुमति से अपनी बात वेद मंत्र से शुरू करना चाहता हूँ।

ऊँ शन्नो मित्र: शं वरुण:। शन्नो भवति अर्यमा:।। शन्नो इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु विष्णु उरुक्रम:। नमो ब्रह्मणो नमस्ते वायो। त्वमेय प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतम् वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तद्मामववतु तद्वक्तारमतु अवतु माम अवतु वक्तारम्।। ऊँ शान्ति: शान्ति: शान्ति:॥

महोदय, मैं भारत के संविधान से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। आप ध्यान सुनेंगे तो बहुत बातें नहीं मालूम चलेंगी आज। भारत के संविधान का पहला अनुच्छेद यह कहता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं- इंडिया देट इज भारत। जो भारत है उसके कारण इंडिया बना है। भारत देट इज नॉट इंडिया। भारत के कारण इंडिया बना है। यह भारत क्यों? भारत शब्द कहां से आया? देश का नाम कहां से आया? कहते हैं कि भारत दो शब्दों से बना है- भा + रत। 'भा' कहते हैं- प्रकाश को, ज्ञान को, रोशनी को और रत कहते हैं- जहाँ व्याप्त हो। जिस देश के अंदर से धरती के ऊपर ज्ञान व्याप्त हो, ज्ञान की रोशनी चलती हो, उसका नाम भारत है। इसलिए इस देश के अंदर भारत के संविधान निर्माताओं ने बड़ा गहरा शोध किया होगा। बहुत लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, आपकी इस कुर्सी के ऊपर, आसन के ऊपर संस्कृत में लिखा हुआ है- धर्मचक्र प्रवर्तनाय। धर्मचक्र के परिवर्तन के लिए हम लोग संसद में यहां बैठे हुए हैं। अधीर रंजन जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, वर्ष 1950 में इस देश में सबसे पहले जो शिक्षा मंत्री बने, उस जमाने में शिक्षा मंत्री कहते थे कि संस्कृत का मंत्रालय होता था। मैंने यह भी एक प्रस्ताव दिया था, जब मैं राज्य मंत्री था, इस मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं होना चाहिए।

(1610/CS-KKD)

क्योंकि मानव केवल एक रिर्सोस नहीं, एक संसाधन नहीं है, उससे बहुत कुछ बढ़कर के है। हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मेरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में जल्दी ही इस एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा।

महोदय, मैं यह कह रहा था कि वर्ष 1950 में, अक्टूबर में इस देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उस समय के सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखा और उन्होंने

कहा कि हमारा देश जिस बात के कारण प्रसिद्ध था, विश्व गुरू था। अंग्रेजों के कारण, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण यह देश अपने मूल से भटक गया। हमारे बच्चों में संस्कारों की कमी आ गई और इसलिए अगर अपने बच्चों में दोबारा संस्कार लाने हैं, तो उनको क्या सिखाना है, उन्होंने कहा था, संस्कृत में एक शब्द है, पत्र अंग्रेजी में है, लेकिन उन्होंने लिखा था, संस्कृत में एक शब्द है, जिसे 'धर्म' कहते हैं। यह 'धर्म' सब जगह पढ़ाया जाना चाहिए। 'धर्म' का मतलब रिलिजन नहीं है, दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोगों ने 'धर्म' को रिलिजन में बदल दिया। विदेशी लोगों के प्रभाव में आकर हमारे विद्वान कहने लगे कि 'धर्म' का मतलब रिलिजन है। 'धर्मो धार्यते प्रजा:', इसलिए संसद में अलग-अलग जगह पर संस्कृत में वेदों के वाक्य लिखे हुए हैं ताकि हम उनसे प्ररेणा ले सकें। 'धर्मो धार्यते प्रजा:' भी लिखा हुआ है, जिससे देश का रक्षण हो, जिससे शरीर का रक्षण हो, जिससे शरीर को धारण किया जा सके, समाज को धारण किया जा सके, उसी का नाम धर्म होता है।

महोदय, मैं कह रहा था कि दुनिया की बड़ी-बड़ी सभ्यताएं हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि दुनिया की सभ्यताओं ने ईंट, पत्थर, मार्बल और स्टीलों से, किसी ने महल बनाए, किसी ने किले बनाए, किसी ने पिरामिड बनाए, लेकिन समय के थपेड़ों ने सबको धराशायी कर दिया। रेगिस्तान की हवाओं ने पिरामिड को गिरा दिया, पिरामिड को ध्वस्त कर दिया। दुनिया की बहुत सभ्यताएं हैं। मिस्र, रोम, यूनान, बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया, माया सभ्यता सब खत्म हो गईं, लेकिन भारत की संस्कृति बची रही। इसका कारण क्या था? अल्लामा इकबाल ने यह बात कही थी :

"मिस्र रोमा, सब मिट गए जहां से,
लेकिन बाकी है नामो निशां हमारा
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी
सदियों रहा है दुश्मन दौर ए जहां हमारा"

वह बात क्या थी? वह कौन सी बात थी, जिसके कारण भारत की संस्कृति बची रही? मेरा यह कहना है कि यह मात्र केवल उस भारतीय संस्कृति के कारण, उस संस्कृत के कारण, जहाँ संस्कृत है, वहाँ हमारी संस्कृति है, जहाँ संस्कृत है, वहीं संस्कार है, जहाँ संस्कृत है, वहीं प्रगति और उन्नति है। इसलिए किसी भौतिक, किसी अनित पदार्थों के महल, मंदिर, किलों के ऊपर, किसी पैगम्बर, भगवान, किसी महापुरुष के ऊपर भारतीय संस्कृति का अस्तित्व नहीं है। भारतीय संस्कृति का अस्तित्व नित्य बातों के कारण है, जिन्हें हमारे ऋषियों ने कहा है, उन शब्दों के ऊपर है, जिन्हें मैंने ईश्वर प्रदत्त, दैवीय वाक्य कहा था। जो भाषा परमेश्वर से प्रारंभ हुई। हम यह मानते हैं कि लाखों करोड़ों वर्षों से इस देश के ऋषि यह कहते रहे कि इस भाषा का मूल परमात्मा से आया है, भगवान से आया है। पिछले लगभग 200 वर्षों से, जब से अंग्रेज इस देश के अंदर आए, तब से दुनिया ने इस बात पर डाउट करना शुरू कर दिया, शक होना शुरू हो गया। ऐसा बोलते हैं कि आदमी ने अपनी भाषा पेड़-पौधों से सीखी, पक्षियों को बोलते हुए सुना और देखा, जानवरों को चिल्लाते हुए सुनकर और देखकर सीखी। आज भी अगर लाखों, करोड़ों शब्दों को कोई आकाश में फेंक दे, तो कोई साहित्य तैयार होने वाला नहीं है। न शेक्सपियर का लिटरेचर तैयार होने वाला है, न कालिदास का ग्रंथ तैयार होगा। आज के जमाने में जब आदमी इतना उन्नत है, आज भी अगर आदमी के बच्चे को

जंगल में छोड़ दिया जाए, पैदा होते ही छोटे बच्चे को जंगल में छोड़ दिया जाए, वह वहाँ बोलना भी नहीं सीख पाएगा, चलना भी नहीं सीख पाएगा, पढ़ने की बात तो अलग है। हम कहते हैं कि हमने जानवरों को देखकर भाषा सीख ली। इस बात को ही दूर करने के लिए हमें संस्कृत विश्वविद्यालयों की जरूरत है। ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय इस देश के अंदर बनें, जो इन पाखण्डों को, इस फाल्स प्रोपेगैन्डा को दूर कर सकें। इसके लिए हमें केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय चाहिए। मैं यह कह रहा था कि हमारा जो साहित्य है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी यह संस्कृत भाषा ईश्वर से चली है।

(1615/MK/RP)

ये ईश्वर से चली है, इसलिए पांच हजार वर्ष से पहले भगवान वेदव्यास ने यह बात कही थी

*"अनादि निधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा ।*

*आदौ वेदमयी दिव्य यत: सर्वा: प्रवृत्तय:॥"*

हमारी जो भाषा है, यह वेद की भाषा है। यह केवल ईश्वर से चली है। यह अनादि है, यह निन्दन-निंदनीय से दूर है। इसी से दुनिया की सारी भाषाएं चली हैं। दुनिया की जितनी भाषाएं हैं, चाहे भारत की भाषाएं हों या दुनिया की भाषाएं हों, उन सबके मूल में संस्कृत है। लोग इसको लाखों-करोड़ों वर्षों से मानते हुए आए हैं। …(व्यवधान) मैं सब बातों पर आऊंगा। इसलिए हम लोगों ने कहा कि यह वेदों से निकला है। वेद की शिक्षा सार्वभौमिक है, सबके लिए कल्याणकारी है। चारों वेदों के अंदर कहीं भी किसी देश का नाम नहीं है, केवल हिन्दुस्तान, भारत के लिए है। कहीं भी यह नहीं आया कि यह भाषा किसी जाति विशेष के लिए है। यह भाषा सारी दुनिया के लिए है, यूनिवर्सल है। इसलिए हम लोग कहते हैं जिस दिन भारत से वेद खत्म हो जाएंगे, उस दिन भारत की हस्ती खत्म हो जाएगी, जिस दिन संस्कृत खत्म हो जाएगी, उस दिन से वेद खत्म हो जाएंगे। जब तक इस देश के अंदर वेदों का पठन-पाठन और संस्कृत का पठन-पाठन चलता रहा तब तक यह देश विश्व गुरु रहा, विश्व विजयी रहा। विद्या में, वीरता में, वैभव में इस देश का कोई सानी नहीं रहा। इसलिए हम सारी दुनिया में कहते थे कि अगर सबसे प्राचीन कोई संस्कृति है, वह भारत की संस्कृत है, वह वेदों की संस्कृति है। इसलिए हम कहते थे- "सा प्रथमा संसकृति विश्ववारा"। सारी दुनिया के अंदर यह फैली संस्कृति थी। केवल भारतवर्ष के लिए नहीं थी। हमारे मंत्री जी कह रहे थे, मुझे याद आ गई उनकी बात-

"एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन: ।
स्वं स्वं चरित्रां शिक्षरेन् पृथिव्यां सर्वमानवा:॥"

सारी दुनिया के लोग जिनको जीवन के बारे में जीवन का मर्म समझना है, केवल जन्म से नहीं, जन्म पूर्व से लेकर मृत्युपर्यंत जितने भी विधान दुनिया के अंदर हैं, यान-विज्ञान जितने विज्ञान दुनिया के अंदर हैं, अगर उनको समझना है, अगर चरित्र की शिक्षा लेनी है तो भारत के ऋषियों के चरणों में आओ और वहां से कुछ सीखकर जाओ। पहले कितने विश्वविद्यालय थे, केवल नालन्दा और तक्षशिला नहीं थे। अगर मैं गिनाने लगूं तो 20-25 तो मुझे याद है। विक्रमशिला, काशी, वल्लभी, ओदंतपुरी, रत्नागिरी, नवदीप, विक्रमपुरा, धारा, कांची, पता नहीं कितने विश्वविद्यालय इस देश के अंदर चलते थे। …(व्यवधान)

**माननीय सभापति (डॉ. किरीट पी. सोलंकी):** सत्यपाल जी आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मगर पार्टी के बहुत सारे लोगों को भी बोलना है।

**डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत):** आज तो पहले मुझे बोलना है, और कोई बोल या न बोले। …(व्यवधान) मैं कह रहा था कि यह बात केवल पांच हजार वर्ष पहले की नहीं, यह लाखों-करोड़ों वर्षों तक चलता रहा। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि क्या भारतीय संस्कृति पांच हजार वर्ष पुरानी है? मैं उनको कहना चाहता हूं कि जो ऐसा बोलते हैं, मुझे लगता है वे कम पढ़े-लिखे लोग हैं। आप में से बहुत लोगों ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संकल्प कराया होगा। चाहे तमिलनाडु की बात हो, केरल की बात हो या त्रिवेन्द्रम की बात हो, सभी जगह पंडित संकल्प मंत्र कराते हैं, सभी संकल्प मंत्र पढ़ते हैं। संकल्प मंत्र में यह पढ़ते हैं कि इस दुनिया को बने हुए कितने दिन हो गए। मैं उसको पढ़कर भी आपको बता दूंगा। भर्तृहरि जी ने कहा है-

"अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ।।"

सारी दुनिया के अंदर संस्कृत भाषा का ज्ञान-विज्ञान फैला हुआ है। …(व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** इसका ट्रांसलेशन कीजिए। …(व्यवधान)

**डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत):** मैं इसका ट्रांसलेशन कर रहा हूं। …(व्यवधान) अधीर रंजन जी इसका ट्रांसलेशन यही है कि संस्कृत भाषा अनादि है, इसको किसी आदमी ने तैयार नहीं किया है। यह 'ब्रह्म का शब्दत' है। हम इसे अक्षर कहते हैं अक्षर से शब्द बनता है। अक्षर का मतलब यह है कि जो कभी नाश नहीं होता।

(1620/RPS/RCP)

शब्द परमानेंट हैं, शब्द इटरनल है, सनातन है। आज हम लोग टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, मोबाइल फोन देखते हैं, इन सब में शब्द परमानेंट है, क्योंकि शब्द भी साउण्ड है, एनर्जी है और एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, उसके केवल रूप बदलते हैं, इसलिए शब्द कभी खत्म नहीं होते हैं।

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने एक बात कही है। …(व्यवधान)

माननीय सभापति (डॉ. किरीट पी. सोलंकी): माननीय सदस्य, आप बैठिए।

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं…(व्यवधान)

माननीय सभापति : सत्यपाल जी, आप एक मिनट में अपनी बात कन्क्लूड कीजिए। आपको बोलते हुए 14 मिनट हो गए हैं।

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): सभापति जी, एक मिनट में नहीं पूरा होगा, पांच मिनट में भी नही होगा। …(व्यवधान)

सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि जब इस देश में अंग्रेज आए, उन्होंने इस प्रकार का दुष्प्रचार शुरू किया कि संस्कृत भी विदेशी है। जैसे आर्य लोग बाहर से आए हैं, आर्य लोग यहां के मूल निवासी नहीं थे, वे संस्कृत लेकर आए, इसलिए संस्कृत भी विदेशी भाषा है। इसका मूल यूरोपियन है और हमारे लोग इस बात को सुनकर खुश हो गए। …(व्यवधान) हमारे लोग इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं। उन्होंने कहा कि यहां आदिवासी लोग रहते थे, द्रविड़ लोग रहते थे, इस

देश का सबसे पुराना नाम आर्यावर्त मिलता है, हम सब लोग आर्य हैं और द्रविड़ विद्वानों को कहते हैं, वे अलग नहीं हैं। …(व्यवधान) वे सभी विद्वान हैं। इस देश ने चार बड़ी गलतियां कीं। …(व्यवधान) द्रविड़ को विद्वान कहते हैं, इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीव कहते हैं और सब आर्यावर्त में रहते हैं। …(व्यवधान) इस देश ने चार बड़ी गलतियां कीं। पहली गलती, हमारे माननीय गृह मंत्री जी उस दिन बोल रहे थे कि रिलीजन के नाम पर, सम्प्रदायों के नाम पर हमने देश का बंटवारा कर दिया। गलती नम्बर दो, भाषाओं के नाम पर राज्यों का बंटवारा कर दिया। जातियों और उपजातियों के नाम पर समाज का बंटवारा कर दिया, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती की, सबसे बड़ी गलती यह थी कि अंग्रेजों ने जो शिक्षा पद्धति चालू की, अंग्रेज जो विचार लाए, उसे हमने ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। अब दुर्भाग्य है कि …(व्यवधान) मैक्समूलर कहता था।…(व्यवधान) अभी मुझे बोलने दीजिए, बाद में मुझसे पूछ लेना।…(व्यवधान) देखिए, आप लॉर्ड मैकाले का भाषण पढ़िए, लाइब्रेरी में किताब है। …(व्यवधान) मैं एजुकेशन पॉलिसी की बात कह रहा हूं।

माननीय सभापति: सत्यपाल जी, आप अपनी बात कहिए और अब समाप्त कीजिए।

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): सभापति जी, मैं यह कह रहा हूं कि लॉर्ड मैकाले जो एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए, उसमें उन्होंने कहा था कि English education would train up a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect. वे देखने में तो भारतीय नजर आएंगे, लेकिन सोच में, रहन-सहन में, वे अंग्रेज दिखाई देंगे। यह बात कभी-कभी दिखाई देती है, कभी-कभी मैं संसद में भी देखता हूं। उनकी सोच इस प्रकार हो गई है कि वे एकदम विदेशियों जैसी बात करते हैं। …(व्यवधान) आप मुझे बताइए कि क्या अमेरिका के लोग अपने बच्चों को किसी रशियन इतिहासकार द्वारा लिखा हुआ इतिहास पढ़ाएंगे? क्या इंग्लैंड के अन्दर जर्मन इतिहासकारों द्वारा लिखा हुआ इतिहास पढ़ाएंगे? क्या जर्मनी वाले अपने बच्चों को किसी इंग्लिश इतिहासकार का लिखा हुआ इतिहास पढ़ाएंगे, लेकिन यह इस देश का दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों का लिखा हुआ इतिहास हमारे देश में, हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। आज 70 वर्षों बाद भी हम इसे दूर नहीं कर पाए। यह हमारे संस्कृत विश्वविद्यालयों के लिए भी एक चैलेंज है और इसे दूर करना चाहिए।

(1625/IND/MMN)

हमारी रिसर्च विदेशों का समर्थन करती रही, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं – उच्छिस्ट भोजी। हम उनका झूठा खाते रहे। हमारे विद्वान जो यूनीवर्सिटी में बैठे थे, बोले कि संस्कृत तो मृतप्राय: भाषा हो गई, कभी इस देश की भाषा ही नहीं रही। हम इस तरह की बातें करने लगे। मैं दो-तीन उदाहरण इस बात के लिए देना चाहता हूं कि क्या कभी संस्कृत इस देश की भाषा थी? रामायण, महाभारत के बारे में सबने सुना है। सीता जी भी संस्कृत बोलती थीं। हनुमान जी भी संस्कृत बोलते थे। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वे चारों वेदों के विद्वान थे। आदि शंकराचार्य केरल के थे। माहिष्मति नगरी मध्य प्रदेश के अंदर थी। वे वहां जाते हैं और श्री मंडन मिश्र उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे।…(व्यवधान) मैं मान लेता हूं कि वे बिहार से थे। माहिष्मति नगरी के अंदर मंडन मिश्र का पता

नदियों से पानी भरती महिलाओं को पूछते हैं कि क्या आप मंडन मिश्र का पता बता सकती हैं। वे पानी के घड़े भरकर ले जा रही हैं और कहती हैं कि

"स्वत: प्रमाणं परत: प्रमाणं कीरांगना यत्र गिरागिरन्ति।

द्वारस्थ नीडान्तर-सन्निरुद्धा जानीहि तन्मंडन पण्डितौक:। "

जहां मैना द्वार पर बैठ कर स्वत: प्रमाणित कर रही हो, वहां जाकर पता चला कि जो घर मिलेगा, वह मंडन मिश्र का घर होगा। हमारी महिलाएं भी संस्कृत बोलती थीं। 27 तो ऋषिकाएं थीं। इस देश के अंदर जिसे ऋषि, ऋषि, ऋषि, जिसे कहते हैं, संस्कृत में उच्चारण करने वाली 27 ऋषिकाएं लोपा, मुद्रा, गार्गी आदि कितने नाम हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 12वीं शताब्दी में श्री हर्ष नाम के संस्कृत के बहुत बड़े कवि हुए उन्होंने नैषधीम चरित्र नाम का एक नाटक लिखा। दमयन्ती के स्वयंवर की बात हो रही है। दमयन्ती के स्वयंवर के लिए सारी दुनिया से राजकुमार आते हैं। उन्होंने लिखा कि वे आपस में अलग-अलग भाषाएं बोलते थे, लेकिन जब दुनिया से लोग आए, तो वे आपस में कैसे बात करें? इसके लिए श्री हर्ष कहते हैं कि

"अन्योन्य भाषा नवबोध भीते संस्कृति अमाभि व्यवहार

वत्सु दिग्भ्य: समतेषु नृपेषु तेषु सौवर्गवर्गो न जनैर चिह्नि"

उन्हें डर था कि हमारी भाषा कोई समझेगा या नहीं, इसलिए वे आपस में संस्कृत बोलते हैं। सारी दुनिया के लोग संस्कृत बोलते थे। सप्तद्वीपा वसुमति। सातों द्वीपों में लोग संस्कृत बोलते थे। महाभाष्य महाभारत से पहले हुआ है। पतंजलि की लिखी हुई किताब है, इस किताब का नाम महाभाष्य है। पतंजलि ने योग सूत्र लिखा है। योग सूत्र पर सबसे पहली व्याख्या वेदव्यास ने की है। वेदव्यास महाभारत के जमाने में थे, इसका मतलब पतंजलि 5 हजार साल पहले थे। उन्होंने उस जमाने में लिखा कि सारी दुनिया के अंदर एक ही भाषा चलती थी और उस भाषा का नाम संस्कृत था।

महोदय, अभी दो महीने पहले मैं कडपा, आंध्रप्रदेश में गया था। हमारा बीजेपी का सम्पर्क अभियान था। हम किसी के परिवार में गए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदी को हमारे ऊपर थोप रहे हैं। मैंने कहा कि आप हिंदी को थोपने की बात करते हो, लेकिन विदेशी भाषा अंग्रेजी से बड़ा प्यार करते हो। अंग्रेजी भाषा का तो कोई विरोध नहीं करता है। यह बात सुनकर वे चुप हो गए। मैंने उनसे कहा कि हिंदी की बात आपने कही, लेकिन क्या आप संस्कृत को स्वीकार करेंगे? उन्होंने कहा कि हिन्दी को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन संस्कृत को स्वीकार कर लेंगे।...(व्यवधान) आप संस्कृत सीखने के फायदे सुनें।

महोदय, मैं संस्कृत पढ़ने के फायदे बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि सारी भाषाओं की जननी संस्कृत है। हमारे यहां कहते हैं कि अलग-अलग भाषाएं जैसे हिंदी, मराठी, बांग्ला, गुजराती, ओड़िया आदि भाषाएं संस्कृत से निकली हैं। हम जो साउथ इंडियन भाषाएं बोलते हैं, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ इन भाषाओं की पुरानी व्याकरण देख लीजिए। मलयालम के अंदर केरल के लोगों को मालूम होगा कि संस्कृत के शब्द भी हैं। प्रेमचन्द्रन जी, मलयालम में 70 परसेंट अभी भी संस्कृत के शब्द हैं। तमिल के अंदर 30 परसेंट संस्कृत के शब्द हैं। तेलुगु और कन्नड़ में 50 से 60 परसेंट संस्कृत के शब्द हैं।

(1630/ASA/VR)

मराठी, तेलुगु और कन्नड़ के व्याकरण आरम्भ में संस्कृत में ही लिखे गए। अब मैं किताबों के नाम बताता हूं। मराठी में सबसे पहले जो व्याकरण लिखा गया, उस किताब का नाम है- पंचवर्तिका। कन्नड़ में सबसे पहले जो व्याकरण की किताब लिखी गई, उसका नाम है-शब्दमणिदर्पण, लेखक काशीराज जी हैं। तेलुगु में जो सबसे पहले व्याकरण की किताब आई, उसका नाम है- आन्ध्रशब्दार्थचिंतामणि, जिसके लेखक आदिकवि नान्नया जी हैं।

अब में अंग्रेजी की बात कर रहा हूं। अंग्रेजी तो सभी जानते हैं। हम नाम बोलते हैं, अंग्रेजी में नेम कहते हैं। पथ पढ़ लो या पाथ पढ़ लो। आकर्षण पढ़ लो या अट्रैक्शन पढ़ लो। शोक कह लो या शॉक कह लो। अंत कह लो या एंड कह लो। स्त्रोत कह लो या सोर्स कह लो। तकनीकी कह लो या टैक्नोलॉजी कह लो। मैं कह रहा हूं कि संस्कृत से ही अंग्रेजी में शब्द गए हैं। अंग्रेजी की भी जननी संस्कृत है।...(व्यवधान) मैं यह कह रहा था कि हम संस्कृत पढ़ाकर अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं। संस्कृत हमारे पूर्वजों की भाषा है। यह शुद्धतम है, साइंटिफिक है। दुनिया में चाहे कोई भी आदमी हो, शुद्धतम खाना खाना चाहता है, प्योर से प्योर हवा में रहना चाहता है, शुद्ध पानी पीना चाहता है, तो क्या हम हमारे पूर्वजों की शुद्ध भाषा को इस्तेमाल नहीं करेंगे? हम उसी अपने पूर्वजों की भाषा का ही इस्तेमाल करेंगे।...(व्यवधान)

बच्चे को सबसे ज्यादा आनंद अपनी मां की गोद में आता है। चाहे गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, सबसे ज्यादा आनंद उसको अपनी मां की गोद में आता है। मैं कहता हूं कि हमारे पूर्वजों, हमारे देवों की भाषा, दुनिया की सब भाषाओं की जननी संस्कृत है। जो संस्कृत पढ़ेगा, आनंद तो उसी को आएगा। जो नहीं पढ़ेगा, उसको नहीं आएगा।...(व्यवधान)

मैं कहता हूं कि सब प्रकार का ज्ञान, विज्ञान और कला इसके अंदर है। इतनी समृद्ध भाषा दुनिया के अंदर कोई नहीं है। बताने के लिए मैं बहुत कुछ कह सकता हूं। चाहे कृषि शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, काम शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र है या धर्मशास्त्र है, ज्योतिष, गणित, विमान विद्या, भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र जितने भी है, दुनिया कैसे बनी, साइंस बता सकती है। दुनिया क्यों बनी, यह साइंस नहीं बता सकती है।...(व्यवधान) यह संस्कृत बताती है कि दुनिया क्यों बनी? यह हमारे दर्शन बताते हैं। इस धरती पर मानव कब आया? इसको बताने के लिए संकल्प मंत्र पढ़ता हूं:

"अद्य श्री ब्रहमणोअहिन द्वितीय परार्धे,
श्री श्वेत वाराह कल्पै,
वैवस्त मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे,
युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे,
भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे,
आर्यावर्तान्तर्गतैकदेशे अमुक नाम्ने ग्रामे।"

संस्कृत में जो विज्ञान है, बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन है।...(व्यवधान) माननीय सभापति जी, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

एरोनॉटिक्स स्पेस की मैं एक बात बताना चाहता हूं। वर्ष 1965 में चीन ने, तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया था, लेकिन ल्हासा में उनको संस्कृत के चैप्टर मिले, किताब का नाम नहीं मिला। मैं आपको किताब का नाम बता रहा हूं। एक अमेरिकन प्रोफेसर ने एक किताब लिखी है- एंटी ग्रेविटी हैंड बुक। किताब का जो राइटर है, उनका नाम है-डेविड हैचर चाइल्ड्रैस। उन्होंने एक कहानी यह दी है कि वर्ष 1965 में ल्हासा के अंदर संस्कृत के कुछ पेज मिले तो उन्होंने इसका ट्रांसलेशन करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ में एक अमेरिकन प्रोफेसर रुथ रैना नाम की जो आई हुई थीं, उनको ट्रांसलेशन करने के लिए भेजा।

(1635/RAJ/SAN)

उसे ट्रांसलेशन करने के बाद इस प्रोफेसर रूथ रेना ने एक कॉपी चाइनीज को भेजी और एक कॉपी हमारे इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरू को भेजी। दस सालों के बाद हमारे इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसरों ने कहा कि हमारे पास यह संस्कृत में आई है। हमें इसमें ज्यादा दम नजर नहीं आता है। यह यंत्र सर्वस्व का भाग नहीं है, लेकिन दस सालों के बाद वर्ष 1975 में चाइना ने सैटेलाइट से जानकारी प्राप्त कर उसको सही कहा। हमें यह मालूम नहीं होता। वर्ष 1985 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है – एंटी ग्रैविटी हैंड बुक। उसके अंदर उस घटना का जिक्र किया गया है कि किस प्रकार से भारत के लोगों ने उसको नकार दिया, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम हो चुके थे। हम मानसिक रूप से भी गुलाम थे। हम लोगों ने संस्कृत को महत्ता नहीं दी, इसलिए चाइना हम लोगों से आगे निकल गया।…(व्यवधान)

**माननीय सभापति (डॉ. किरीट पी. सोलंकी):** मैं अगले वक्ता का नाम बोलता हूं, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…(<u>व्यवधान</u>)

**डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत):** सभापति महोदय, हमारी जो सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, उनको किस प्रकार का रिसर्च करना चाहिए? बाहर के विद्वान फाल्स प्रोपगंडा फैला रहे हैं। एक किताब वर्ष 1907 में आई थी।…(व्यवधान) हिन्दुत्व के बारे में अमेरिका एवं अन्य जगहों पर स्टडी चल रही है, वे किस प्रकार से फाल्स प्रोपगंडा का प्रचार दुनिया में कर रहे हैं। सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज का सबसे बड़ा यह लक्ष्य होना चाहिए कि फाल्स प्रोपगंडा को कैसे खत्म किया जाए।…(व्यवधान)

सभापति महोदय, जिस समय स्वामी विरजानंद के पास स्वामी दयानंद पढ़ने गए तो स्वामी विरजानंद ने उसे पूछा कि क्या पढ़ कर आये हो, तो उन्होंने मनुष्य रचित ग्रंथों का नाम बताया, तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें तब पढ़ाऊंगा, जब तुम सब कुछ भूल कर आओ। मैं केवल ऋषि ग्रंथ पढ़ाऊंगा, तब उन्होंने सभी किताबें यमुना में फेंक दी।

इस सदन के माध्यम से मैं संस्कृत के प्रोफेसरों को यह संदेश देना चाहता हूं॰ कि जो केन्द्रीय यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, जो आज तक 70 वर्षों से चलता रहा है, उसको भूल कर ऋषि ग्रंथ, वेद-वेदांग पर रिसर्च करना होगा।…(व्यवधान)

(इति)

(1640-45/SM/SPS)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri A. RAJA in Tamil,
please see the Supplement. (PP 379Ato 379E)}

(1650/SJN/UB)

1651 बजे

**प्रो. सौगत राय (दमदम) :** सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप बहुत बड़े सर्जन हैं। आप मेरे भाषण में कटौती मत कीजिएगा। आप बहुत अच्छी सर्जरी करते हैं।...(व्यवधान)

**माननीय सभापति :** प्रो. साहब, आप सभी लोगों ने ही नियम बनाए हैं, तो नियम के ही हिसाब से चलना है। कुछ इधर-उधर चलता है, लेकिन आप अपना भाषण समय के अंदर समाप्त कीजिएगा।

...(व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय (दमदम) :** महोदय, मैं पहली बार सरकार के लाए हुए कानून का समर्थन करता हूं। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019, यह बिल पिछले चुनाव के बाद तैयार हुआ था, यानी वर्ष 2019 के शुरू में, उस समय चुनाव आ गए थे, इसलिए यह पास नहीं हो पाया था। अभी निशंक जी, नए एचआरडी मिनिस्टर इसको लेकर आए हैं। इसमें तीन नए संस्कृत विश्वविद्यालय बनेंगे। तीन विश्वविद्यालय मिलकर एक बना हुआ है।...(व्यवधान) बना नहीं है, आप सुनिए। एक डीम्ड यूनिवर्सिटी थी। दो दिल्ली में हैं और एक तिरुपति में है। यह अभी फुल-फ्लेज्ड सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी, मैं इसका समर्थन करता हूं। महोदय, आपको शायद यह जानकारी है कि देश में 41 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, he is a professor of physics but he is talking about Sanskrit.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Why not! There is no clash between Sanskrit and Physics. I will come to that later. Sir, I may remind you that when the first atomic bomb explosion experiment was carried out, Dr. Robert Oppenheimer, a Nuclear Physicist, was the Chief of the Project. When the mushroom arose above the desert of Texas, he quoted the Gita and said, "Brighter than a thousand Suns". In the Gita, they described the Great Almighty.

मैं इसका समर्थन करता हूं। हमारे देश में 3 डीम्ड यूनिवर्सिटी थीं और 12 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसमें हमारे बंगाल में भी एक संस्कृत कालेज यूनिवर्सिटी है। पहली बार 3 यूनिवर्सिटीज़ को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। इसका पूरा समर्थन करना चाहिए। दिल्ली में डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसके काफी कैंपस हैं। फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, ओडिशा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और उत्तराखंड में उसका कैंपस है। इस बिल का समर्थन करना चाहिए। संस्कृत की पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। पोस्ट ग्रैजुएट डॉक्टोरल रिसर्च होनी चाहिए। लेकिन मैं संस्कृत के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। यह साफ है कि हिन्दुस्तान में दो family of classical languages हैं। एक है, संस्कृत, हमारे हिन्दी, बांग्ला सब संस्कृत से आए हैं और दूसरा है, The Dravidian Group of Languages, जिसका प्रधान तमिल भाषा है।

(1655/GG/KMR)

सर, तमिल भी पांच हजार साल पुरानी भाषा है। I would ask that like for Sanskrit, the Government should set up a Central University for Tamil also which is a classical Indian language. कोई झगड़ा नहीं है। दो अलग स्ट्रीम हैं, एक संस्कृत है, एक तमिल है, द्रविडियन लैंग्वेज हैं। दोनों ही अलग से बढ़ें, यह हम चाहते हैं।

सर, संस्कृत में बहुत सारा ज्ञान है। सबसे बड़ा ज्ञान तो वेदों में है – ऋगवेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद। उसके बाद उपनिषद हैं। हमारे रविन्द्र नाथ टैगोर उपनिषद से बहुत प्रभावित हुए थे। उसके बाद गीता, रामायण और महाभारत हैं । ये सब भी संस्कृत भाषा में बने हुए हैं। यही हमारे हिन्दुस्तान का हैरिटेज है। हिन्दू हो या मुस्लिम हो, ये सब लोगों का हैरिटेज है। तो मैं दुखी होता हूं, जब बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में एक मुसलमान संस्कृत का प्रोफेसर हुआ, उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। हिन्दुस्तान के हैरिटेज में सबका हिस्सा है। हिन्दू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन सभी लोगों को इसमें मौका मिलना चाहिए कि कोई भी संस्कृत पढ़े और कोई भी संस्कृत पढ़ाएं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। …(व्यवधान) सर, हमारी संस्कृत में पुराना ज्ञान भी है। चरक और सुश्रुता जो हमारी पुरानी मैडिकल साइंस है, चरक सहिंता में है। …(व्यवधान) मैंने तो बोला है कि अगर रॉबर्ट ओपनहाइमर गीता कोट कर सकते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर फिज़िसिस्ट हैं, तो सब लोग कर सकते हैं। …(व्यवधान) सर, हमारे इस बिल के बारे में बोलने के पहले मेरा एक प्रस्ताव मंत्री जी को यह है कि इनमें से एक यूनिविर्सिटी का नाम ईश्वर चन्द्र विद्यासागर के नाम पर कीजिए। उनके दो सौ साल पूरे हो रहे हैं। ईश्वर चन्द्र विद्यासागर सबसे बड़े संस्कृत स्कॉलर थे। वे व्याकरण कौमुदी, संस्कृत ग्रामर के बारे में बनाए थे, पहले तो पाणिनी का ग्रामर थी, बहुत कठिन ग्रामर थी। उसको सीधा कर के ईश्वर चन्द्र विद्यासागर बनाए थे। सर, एक ठो मिसअण्डरस्टैंडिंग हुई, चुनाव के पहले बीजेपी का एक जुलूस निकला था, सुदीप जी की कंस्टिट्यूएंसी में निकला था, अमित शाह जी उसमें थे। उन लोगों ने क्या किया कि विद्यासागर जी की एक मूर्ति तोड़ दी थी। …(व्यवधान)

**माननीय सभापति (डॉ. किरीट पी. सोलंकी):** आप विषय पर आइए।

…(व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** जुलूस से कोई भी किया होगा।

…(व्यवधान)

**माननीय सभापति :** आप जुलूस जाने दो, आप संस्कृत पर आइए।

…(व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** तो ममता बनर्जी जी ने फिर वहां पर विद्यासागर की मूर्ति लगाई, लेकिन जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वह दूर हो जाएगी, अगर मंत्री जी विद्यासागर जी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी का नाम रखें। …(व्यवधान)

**माननीय सभापति :** आपका समय समाप्त हुआ है, आप जल्दी से अपना विषय रख दो।

…(व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** सर, हम तो कुछ खराब नहीं बोले हैं। …(व्यवधान) विद्यासागर जी की मूर्ति तोड़ने में आप लोग शामिल थे। …(व्यवधान) यह दुखद बात है। …(व्यवधान) आपने ईंटा मारा था। …(व्यवधान)

**माननीय सभापति :** आप अपने विषय पर आइए। आपका समय समाप्त हो रहा है, फिर मैं घंटी बजाउंगा।

…(व्यवधान)

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): Sir, he is misleading the House.

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** सर, आप एक सर्जन हैं, इसको रोकिए। …(व्यवधान)

**माननीय सभापति :** मगर आप विषय पर आईए। You are a Professor.

…(व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** सर, मैं तो कहता हूँ कि विद्यासागर जी के नाम पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम होना चाहिए। …(व्यवधान)

**माननीय सभापति:** आप अपने विषय पर आइए, वह मैटर हो गया है, अब आगे बढ़िए।

…(व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** सर, बोलने के बाद मैं कहता हूँ कि बंगाल में संस्कृत की चर्चा बहुत अच्छी है। हमारे कोलकाता में जाधवपुर में विश्वभारती में पोस्ट ग्रैजुएट विभाग है। लेकिन नीचे संस्कृत नहीं पढ़ाया जाता है। मंत्री ने उत्तर दिया कि केन्द्रीय विद्यालय में छह से आठ तक संस्कृत पढ़ाई जाती है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी विश्वविद्यालयों में कम से कम तीन साल संस्कृत पढ़ाई जाए, यह कानून बनाइए। संस्कृत की चर्चा कम होती है।

(1700/KN/SNT)

संस्कृत अगर नहीं रहेगी तो हिन्दुस्तान का हेरिटेज नहीं रहेगा। संस्कृत भाषा छात्रों में फैलाने की जरूरत है। क्लास 9 से 11 तक संस्कृत एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाएगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी पढ़ाने के लिए मंत्री जी सारे देश में एक डायरेक्शन दें, यह मेरा आपसे नम्र निवेदन है। मैं छोटा सा भाषण देकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। सर, मैंने बचपन से संस्कृत पढ़ी है, मैं अभी भी जिन्दगी में, जो गीता का श्लोक सीखा था, उसी को लेकर चलता हूँ। लोग जब कहते हैं कि आप लोक सभा में इतना चिल्लाते हो तो क्या मिलता है? मैं बोलता हूँ कि कुछ मिलने के लिए मैं ये बातें नहीं उठाता हूँ- 'कर्मण्ये वाधिकारस्ते माफलेषु कदाचन'। यह मैंने गीता से सीखा है। हमारे यहां जब कोई निकट आदमी गुजर जाता है तो मैं वहाँ जाकर बोलता हूँ-

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-न्यन्यानि संयाति नवानि देही।

हमारे मुल्क में जब इतना सारा हल्ला होता है, आज भी असम में आग जल रही है। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (DR. KIRIT P. SOLANKI): Kindly conclude.

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** सर, दो मिनट दीजिए।

**माननीय सभापति :** आप डीविएट होते हो।

…(व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** सर, दो मिनट दीजिए।

**माननीय सभापति :** नौ मिनट हो चुके हैं। आप आधे मिनट में कनक्लूड कीजिए।

…(व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** सर, आप गीता की बातें सुनिए। आप डॉक्टर हैं, आप सुनिए।

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥

**माननीय सभापति :** प्रोफेसर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद।

…(व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** सर, मैं आशा करता हूं कि हिन्दुस्तान की हालत खराब होने से बचाने के लिए कोई न कोई आएगा, जो हिन्दुस्तान को बचाएगा। जैसे बुद्ध आए थे, गांधी जी आए थे।…(व्यवधान)

(इति)

**माननीय सभापति :** थैंक यू।

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यावती।

…(व्यवधान)

1703 hours

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Thank you, Chairperson Sir, for letting me present my party's views on the Central Sanskrit Universities Bill, 2019.

**माननीय सभापति :** अभी प्रोफेसर साहब का रिकार्ड में नहीं जाएगा। मैडम, आप बोलिये।

…(व्यवधान) *… (Not recorded)*

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Sir, Vedas were written in Sanskrit. Sushruta Samhita and Charaka Samhita, one of the most important medical treatises in ancient history were written in Sanskrit. …(*Interruptions*)

**माननीय सभापति :** प्रोफेसर साहब आपका रिकार्ड में नहीं जाएगा। You have spoken for more than ten minutes. मैडम, आप चालू रखिए।

…(व्यवधान) *… (Not recorded)*

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): In fact, Hindu religious ceremonies are impossible without the recitation of *mantras* in Sanskrit. Yet, Sanskrit is not our link language. Sanskrit grammar is highly developed, rigid and mathematically dense. Ancient scholar Panini's book 'Ashtadhyayi' is one of the finest works in Sanskrit grammar. Scholars like Patanjali associated grammar with spirituality and yoga sutras.

Sanskrit was a truly universal and integrating language, spoken not only by Hindus but also by Jains and Buddhists. Sanskrit is one of the official languages of the country. Sanskrit has been used to create beautiful poetry, extraordinary literary works and remarkable scientific discovery. Such a rich language should be studied and researched.

As per the provisions of the Bill, three Sanskrit deemed universities which are currently functioning in the country will be

converted into Central Universities, namely, Rashtriya Sanskrit Sansthan at New Delhi, Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha at New Delhi, and Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha at Tirupati.

(1705/RK/CS)

On behalf of our Party, YRCP, and on behalf of the people of Andhra Pradesh, especially people of Tirupati, I would like to thank the Government, especially the HRD Minister, for upgrading the Tirupati-based Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha into a Central University.

This has been a long-standing demand of Sanskrit scholars and academia, and I once again congratulate the Government for converting the three deemed-to-be universities into Central universities to make them a seat of Sanskrit learning of national and international repute.

As we all know, there are 45 Central Universities in India, and currently, 40 universities are functioning under the supervision of the Ministry of Human Resource Development.

There is an urgent and a dire need to help the current generation of students understand the great language and heritage of Sanskrit. The first and authentic description of Indian boundaries is available only in old Sanskrit literature. No one can imagine India without Sanskrit. But, in spite of many institutions of Sanskrit in the country, at present, the condition of Sanskrit language is dismal and is not known to be a language of common man.

It is important to highlight here that the relation between Sanskrit language and Indian languages, scheduled and non-scheduled, is symbiotic in nature and as a result development of Sanskrit means development of other languages also.

In addition to that, utilitarian thoughts for our value systems like, “Satyameva Jayate”, “Vasudhaiva Kutumbakam”, etc. are taken from ancient books and were written in Sanskrit only.

The ancient scriptures also, Sir, are source of great knowledge and by following the morals contained therein, India can become the world leader in near future. But, for this, there should be basic understanding of Sanskrit amongst the common people. This is only possible when there shall be use of Sanskrit language in research and development of computer science, traditional science, mathematics and different social sciences.

1707 hours (Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

Sir, establishing a Central Sanskrit University will give Sanskrit language the prestige that it rightly deserves. Additionally, it will give the university a degree of autonomy to carry out its functions.

In conclusion, I would like to say that Sanskrit is a culturally and historically rich language whose importance is declining in the modern times. Establishing a Central University for Sanskrit research will help in preserving and propagating this beautiful language.

Before concluding, here is a divine blessing, in Sanskrit, from Vedas for the entire universe, and I quote:

काले वर्षतु पर्जन्य: पृथिवी सस्यशालिनी।
देशोयं क्षोभ रहित: सज्जना सन्तु निर्भया॥
अपुत्र पुत्रिन सन्तु पुत्रिन सन्तु पौत्रिण:।
अधना: सधना: सन्तु जीवन्तु शारद: शतम्॥
स्वस्ति प्राजाभ्य: परिपालयन्ताम् नयायेन मार्गेण महीं महीशा:।
गोब्राह्मणेभ्यश्शुभमसतु नित्य: लोका: समस्ता: सुखिनो भवन्तु॥

धन्यवाद।

(इति)

1709 बजे

**श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा):** महोदय, आपने मुझे केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, उच्च शिक्षा की दृष्टि से सरकार ने काफी अच्छा और सराहनीय निर्णय लिया है। मैं माननीय मंत्री जी को इस बिल को लाने के लिए बधाई देता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ।

देश की पहली संस्कृत सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए वित्त मंत्रालय, नीति आयोग एवं कानून मंत्रालय की मंजूरी के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय यह प्रस्ताव लेकर आया है। इससे वर्तमान में तीन डीम्ड-टू-बी संस्कृत यूनिवर्सिटीज को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल रहा है। ये तीन संस्कृत यूनिवर्सिटी हैं- राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली, जिसकी स्थापना वर्ष 1970 में हुई, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ, दिल्ली, जिसकी स्थापना वर्ष 1962 में हुई और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना वर्ष 1961 में तिरूपति में हुई। ये तीनों संस्थान केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बन जाएंगे।

(1710/PS/MY)

महोदय, इससे संस्कृत को बढ़ावा मिलेगा। संस्कृत हमारे देश की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। माननीय सत्यपाल जी ने जो बातें कही हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। उन्होंने जो बात संसद में कही है, उसे सभी को याद रखना चाहिए। हम लोग संस्कृत के बिना नहीं चल सकते हैं। अगर हमारे देश में कुछ भी आधारित है तो वह संस्कृत के बदौलत ही है। अभी तिरूपति की माननीय सदस्या बोल रही थीं। उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही है। संस्कृत हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। हमारे शास्त्र, ग्रंथ भी इसी भाषा में लिखे हुए हैं। भारत के हर कोने में संस्कृत भाषा की पढ़ाई और शिक्षा के प्रचार-प्रसार का कार्य चलेगा। अब संस्कृत भाषा की पहचान को दुनिया भर में प्रचारित करने में काफी सहायता मिलेगी।

महोदय, इससे संस्कृत और धर्म ग्रंथ संबंधी शिक्षा के क्षेत्र में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा भी मिलेगा। इससे बेहतर संकाय सदस्य मिलेंगे। विदेशी छात्र, संस्कृत विद्वान और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विदेशी संकाय सदस्य को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी। पूरे विश्व में वैश्विक विश्वविद्यालयों से अंतर्राष्ट्रीय

सहयोग में सहायता भी मिलेगी। भारतीय दर्शन, योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा देने के लिए अवसरों में वृद्धि करने में भी सहायता मिलेगी। देश भर में सभी संस्कृत कॉलेजों में लगभग 709 लेक्चरर्स के पद रिक्त हैं। इस पर भी माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे।

महोदय, इसी क्रम में, मैं माननीय मंत्री जी से एक और चीज जानना चाहता हूं कि सभी राज्यों में करीब 12 संस्कृत विश्वविद्यालय हैं। वे काफी पुराने भी है। वहां से संस्कृत भाषा की पढ़ाई और प्रचार-प्रसार का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। बिहार राज्य के दरभंगा में वर्ष 1922 में कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। वहां करीब 364 अध्यापक कार्यरत हैं और विद्यार्थियों की संख्या 10,265 हैं। अब माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए विचार किया जा रहा है? पूरे देश में कुल 1013 शिक्षकों की जरूरत है, जिसमें 364 शिक्षकों की जरूरत कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में है। मैं आपको बताता हूं कि आज वहां 10,265 बच्चे पढ़ रहे हैं। आप इसको भी मत छोड़िए। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। उत्तरी बिहार में मिथिलांचल के काफी लोग संस्कृत बोलते हैं और आज भी लोग संस्कृत में इंटरेस्ट लेते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिहार में जो कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, उसको भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, यही मेरा आपसे विनती है। आप जो भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, उनमें कैम्पस की भी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसी बिल में ही कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को भी सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। मैं सरकार से यही मांग करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Hon. Chairperson, Sir, Shri Hemant Patil will speak from the Shiv Sena Party.

1714 hours

DR. RAJASHREE MALLICK (JAGATSINGHPUR): Thank you, hon. Chairperson.

First of all, I would like to inform the august House that I strongly support this Bill. As all of us know, Sanskrit is a language of ancient India with a history of 3,500 years.

(1715/RC/CP)

Sanskrit is called the mother of all languages. Many nations have also agreed with that. Most of their words have been derived from Sanskrit. It is found that the Sanskrit language has 96 words for a single meaning, namely, 'love'. This tells that it is a language of love, humanity, peace and tranquillity.

It is the primary liturgical language of Hinduism and the predominant language of most of the works of Hindu philosophy as well as some of the principle texts of Buddism and Jainism. The Upanishads, Vedas, Mahabharata, Bhagavad Gita and Ramayana are written in Sanskrit language. We all know eminent persons like Mahakavi Kalidas, Jaidev, Vyasadev, Sarala Das Panini, Aryabhatta and Valmiki worked in Sanskrit.

The Government is promoting Sanskrit language at all levels, *i.e.,* schools, colleges and universities in the country. Sanskrit is taught as the third language to all students of classes 6 to 8 of Kendriya Vidyalayas across the country. The facilities and option to study Sanskrit is also provided to all students from class IX onwards at Kendriya Vidyalayas. The NCERT also organises orientation programme for the promotion of language education in various States including Uttar Pradesh.

As we know, there are about 120 universities in the country which offer Sanskrit as a subject of language and also it is offered by 760 colleges in the country. There are 15 Sanskrit universities, of which, three are deemed universities, namely, Rashtriya Sanskrit Sansthan, Delhi; Sri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, New Delhi; and the Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati. They are fully funded by the Central Government and 12 such universities are funded by the State Governments.

There are also 1000 traditional Sanskrit colleges affiliated to these universities with about 10 lakh students. There are 41 central universities in the country at present. When there are already two language specific central universities – The English and Foreign Language University and the Maulana Azad National Urdu University at Hyderabad, I strongly demand a central university for Sanskrit. The Ministry of Human Resource Development has also initiated a proposal to turn three deemed universities imparting education in Sanskrit into central universities to make them seat of Sanskrit learning of national and international repute.

Hence, I heartily and strongly support this initiation of the Government in this regard.

(ends)

1718

*SHRI HEMANT PATIL (HINGOLI) : Hon. Speaker Sir, Thank you very much for allowing me to speak on the Central Sanskrit Universities Bill, 2019. I rise to support this bill. The person who knows Sanskrit is not an ordinary human being but he becomes godly. Sanskrit is mother of all languages. Sanskrit is also regarded as the language of Gods. It is believed that Sanskrit has been developed out of 'Damru' of Lord Shiva. This language has got a vocabulary of 15 lac words. If you look at the salient features of this language you will be surprised. You have only 'water' in English for 'Jal'. But Sanskrit has got many synonyms for water like Jal, paani, toy, neer etc.

**माननीय सभापति(श्री भर्तृहरि महताब):** आपने शायद लिख कर नहीं दिया कि ट्रांसलेशन होनी चाहिए।

**श्री हेमन्त पाटिल(हिंगोली):** सभापति महोदय, मैंने लिख कर दिया था कि मराठी में ट्रांसलेशन किया जाए। मैंने यह लिख कर दिया था।

**माननीय सभापति:** शायद लेट दिया होगा। आप हिंदी में बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन एवलेबल नहीं है, आपका रिकार्ड में नहीं आ रहा है। आप हिंदी में बोल सकते हैं।

**श्री हेमन्त पाटिल(हिंगोली):** सभापति महोदय, जल के समानार्थी शब्द जल, पानी, तोय, नीर, इत्यादि एक शब्द के अनेक समानार्थी जो शब्द हैं, ये केवल संस्कृत भाषा में पाए जाते हैं। इसकी एक अलग लिपि है। हाल ही मैंने कंबोडिया विजिट की, जहां भगवान विष्णु जी का मंदिर है।

(1720/NK/SNB)

मैंने वहां विजिट किया था, वहां दो-तीन हजार साल पुराने स्क्रिपट्स पाए गए, जो संस्कृत में लिखे गए हैं। तीन हजार साल पहले विश्व की भाषा संस्कृत रही है। हमारी विरासत, संस्कृति और चारों वेद संस्कृत में लिखे गए हैं। हमारे छह शास्त्र संस्कृत में लिखे गए हैं। हमारे 18 पुराण, 27 स्मृतियां और 108 उपनिषद संस्कृत में लिखे गए

* Original in Marathi

हैं। राष्ट्रपिता बापू जी ने कहा था कि संस्कृत पढ़े बिना आदमी पूरा नहीं हो सकता, यह बापू जी ने कहा था। जिस संसद में बैठ कर हम बात करते हैं और गौरव से बात करते हैं। सभापति महोदय आप जिस आसन पर बैठे हैं, उसके ऊपर भी जो भी लिखा है वहां भी संस्कृत में धर्म चक्र प्रवर्तन लिखा गया है।

**माननीय सभापति (श्री भर्तृहरि महताब):** धर्म चक्र प्रवर्तन, परिवर्तनाय नहीं।

**श्री हेमन्त पाटिल (हिंगोली):** सभापति महोदय, हर जगह पर संस्कृत में श्लोक शब्द लिखे गए हैं, ये सिर्फ संस्कृत में लिखे गए हैं। संस्कृत हमारे देश की बहुत पुरानी भाषा है। हमारे देश में हजारों सालों से गुरुकुल की परंपरा रही है। गुरुकुल में संस्कृत में शिक्षा दी जाती थी। अगर किसी देश को नष्ट करना है, किसी जाति को नष्ट करना है, समाज को नष्ट करना है, तो उसके संस्कार मिटा दिए जाएं, उसकी संस्कृति मिटा दी जाए, ऐसा कहा जाता है। हजारों सालों से संस्कृत पर चलने वाली संस्कृति थी, इसलिए आज तक हजारों आक्रमण हुए लेकिन हमारी संस्कृति कोई नहीं मिटा सका। मैं आपसे विनती करता हूं कि भाषा को देश में हर विद्यार्थी के लिए अनिवार्य किया जाए, भाषा अनिवार्य करके हर स्कूल में सिखाई जाए, इससे विद्यार्थी का आचरण अच्छा हो सकता है। इसका एक अलग कौमुदी व्याकरण है। मैं आपसे विनती करता हूं, हमारे यहां हजारों सालों से तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय था, यहां पूरी दुनिया से लोग पढ़ने के लिए आते थे। वहां पर हजारों ग्रंथ सम्पदा संस्कृत भाषा में थी। ग्रंथ सम्पदा अंग्रेज लोग लूट कर चले गए। इस ग्रंथ सम्पदा से अपना शास्त्र विकसित किया गया। आज रामायण और महाभारत के समय में संजय ऐसा कहता था कि दूर चित्रवाणी से कहता था कि युद्ध के स्थान पर क्या चल रहा है, ये सब हमारे शास्त्रों में लिखा है। ये शास्त्र हजारों सालों में विकसित हुआ। मैं आपसे विनती करता हूं कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया जाए। हर स्कूल में हर विद्यार्थी को यह भाषा अनिवार्य की जाए।

(इति)

**माननीय सभापति (श्री भर्तृहरि महताब):** हेमन्त जी, आपने कहा, संस्कृत मृत नहीं ये अमृत भाषा है। मैं दानिश अली से निवेदन करता हूं कि वह अपना वक्तव्य रखें।

1724 बजे

**कुंवर दानिश अली (अमरोहा):** सभापति महोदय, मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल, 2019 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझसे ट्रेजरी बेंच के लोग कह रहे हैं कि मैं संस्कृत में श्लोक पढ़ कर शुरू। मैं आपको बता दूं कि मैं भले ही एक एंग्लो इंडियन में पढ़ा हूं लेकिन मैंने भी संस्कृत पांचवीं क्लास तक पढ़ी है, गच्छती, गच्छे, गच्छामी अभी तक याद है। लेकिन आज जिस तरीके का माहौल सदन के अंदर देखने को मिला और जिस तरह का माहौल देश में बनाया जा रहा है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी कुछ लोगों ने कहा कि संस्कृत एक डेड लैंग्वेज है इसलिए उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मैं इसे नहीं मानता और इसके खिलाफ हूं। दो दिन पहले हाऊस में डिस्कशन हुआ कि एंग्लो इंडियन रहे ही नहीं, मर गए हैं।

(1725/MK/RU)

उनका एक-एक नॉमिनेशन भी खत्म कर दो। मैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा, जहां उर्दू डिपार्टमेंट के हेड गोपीचंद नारंग होते थे और हिन्दी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर मुजीब रिजवी होते थे। हमारा देश मिलीजुली संस्कृति का देश है। हम कहीं न कहीं अपनी राजनीति के चलते उस संस्कृति को खत्म करने में लगे हुए हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यूपर्ण है। बचपन से लेकर एक संस्कृत विद्यार्थी विद्वान बनता है, देश की एक सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी में सेलेक्शन कमेटी के द्वारा उसकी नियुक्ति होती है और आज जब डार्विन थ्योरी को रिजेक्ट करने वाले उर्दू में अच्छी शायरी कर रहे थे, मुझे अपेक्षा थी कि वह उन लोगों को समझाएंगे जो बीएचयू में प्रोफेसर फिरोज की नियुक्ति का विरोध कर रहे थे। आज क्या हुआ, उसको नौकरी छोड़नी पड़ी, उस पर दबाव बनाया गया। यहां शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं, मुझे खुशी होती कि यदि एचआरडी मिनिस्टर स्ट्रिक्ट करते, मैं कंपेनसेशन की बात नहीं करूंगा, एचआरडी मिनिस्टर कहेंगे कि उसको कम्पनसेशन दे दिया गया, उसको उसी यूनिवर्सिटी में दूसरी जगह नौकरी दे दी गई, यह सही नहीं था। …(व्यवधान)

**मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक):** पूर्व वक्ताओं ने भी इस बात को कहा है, डॉक्टर फिरोज संस्कृत विभाग में ही हैं, वहीं हैं और वहीं रहेगें, यह मैं कहना चाहता हूं। संस्कृत सभी की भाषा है, संस्कृत भाषा पूरी दुनिया की भाषा है। दुर्भाग्यवश जिस तरीके से जानबूझकर, भाषा पर चर्चा नहीं है, संस्कृत इस देश की सम्पदा है। दानिश अली जी, पूरी दुनिया ज्ञान और विज्ञान को संस्कृत के ग्रंथों से निकाल रही है, उसकी इस समय जरूरत है। इस समय अच्छा होता कि इस बिल पर चर्चा होती कि क्या-क्या कर सकते हैं, उन ग्रंथों से क्या निकाल सकते हैं। हमारा खगोल शास्त्र है, चरक संहिता है, सुश्रुत संहित है, तमाम चीजें दुनिया हमसे ले रही हैं। हम कैसे उसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए ये है। मैं केवल आपकी भावना से सहमत हूं लेकिन डॉक्टर फिरोज वहीं पर हैं और संस्कृत ही पढ़ाएंगे और वह वहीं पर हैं।

**कुंवर दानिश अली (अमरोहा):** सभापति महोदय, मंत्री जी ने क्लेरिफिकेशन दिया, मैं भी यह मानता हूं कि संस्कृत एक प्राचीन भाषा है और उसका विकास होना चाहिए। किसी को इस पर आपत्ति नहीं है।

**माननीय सभापति (श्री भर्तृहरि महताब):** It is a living language.

**कुंवर दानिश अली (अमरोहा):** It is a living language. क्लेरिफिकेशन से पहले मैं जानता था, डॉक्टर फिरोज को किस तरह से जबरदस्ती एक डिपार्टमेंट से रोका गया लेकिन …(व्यवधान) आप कम से कम अपनी बात तो रखने दीजिए। मंत्री लोग खड़े हो जाते हैं। मेरी भावना आप समझिए। यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का बिल जाया जा रहा है, उस दौरान उसके एक महीने के आस-पास ऐसी घटना कि एक संस्कृत के प्रोफेसर को बीएचयू के संस्कृत डिपार्टमेंट में नहीं पढ़ाने दिया गया, उसके खिलाफ धरना हुआ, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, मेरा यही कहना है।

महोदय, मैं इतना ही कहूंगा कि संस्कृत हो या तमिल हो, अभी तमिल के लोग भाषण कर रहे थे।

(1730/RPS/NKL)

भारत की जितनी प्राचीन भाषाएं हैं, इस देश की संस्कृति रही है कि हम सभी भाषाओं को विकसित करना चाहते हैं और होना चाहिए। संस्कृत विश्वविद्यालय बने, तमिल वाले चाहते हैं कि तमिल विश्वविद्यालय बने, उर्दू जो इतनी अच्छी भाषा है, जिसको मैं समझता हूं कि कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा, जब ट्रेज़री बेंचेज से उर्दू शायरों के शेर यहां पर न कहे जाते हों, लेकिन मेरा आपके माध्यम से, सरकार और मंत्री जी से अनुरोध है कि उर्दू के बारे में भी आप सोचिए। मैंने पहले भी कई बार कहा था कि उर्दू के जो टीचर्स हैं, मदरसे में जो टीचर्स हैं मदरसा मॉडर्नाइजेशन के, उनके मानदेय केन्द्र सरकार से प्रदेशों को नहीं जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश को नहीं जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप बिल्कुल संस्कृत के लिए जितना करना चाहते हैं, करें और ज्यादा करें, हमारी पार्टी इसके लिए आपके साथ है, लेकिन इस देश की जितनी भी रीजनल भाषाएं हैं, उन सबका भी विकास होना चाहिए। मैं इन्हीं के साथ, इसी उम्मीद के साथ, समाप्त करता हूं कि संस्कृत लैंग्वेज को बढ़ावा मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ, जैसा पहले के वक्ताओं ने भी कहा है, आप उसमें साइंस को न तलाशें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि प्लास्टिक सर्जरी का ज्ञान भी आप उसमें देने लगें। उसको एवॉइड करें। संस्कृत एक बहुत महान भाषा है, उसका विकास होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

1732 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Mr. Chairperson Sir, for giving me this opportunity to speak on the Central Sanskrit Universities Bill, 2019.

Sir, I rise to support this Bill. I fully support the Bill with a concrete suggestion that the treatment which you are providing to Sanskrit should be given to all the languages, especially, the Dravidian languages.

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): Can we say 'all classical languages'?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Yes, Sir. It should be 'all classical languages'. I stand corrected.

Sir, language has no religion, caste or creed. The language, Sanskrit, is one of the best classical languages. It has definitely contributed a lot for the cultural tradition of our country, and the Indian philosophy. We all appreciate it. But unfortunately, in the olden days, it had been used as one of the means by which the suppressed class or the people belonging to the lower strata had been oppressed. That is the main problem which I would like to highlight.

Sir, Sree Narayana Guru, a social reformer in Kerala and Sree Vidyadhiraja Chatambi Swamikal, another social reformer in Kerala, in Vedadikara Nirupanam, a book which is in Malayalam, have clearly defined and interpreted what Veda is. According to Sree Vidyadhiraja Chatambi Swamikal, Veda is nothing but the only medium to distinguish between *Dharma* and *Adharma*. What is *Dharma* and *Adharma* – it has been well distinguished by a medium called Veda. But unfortunately, these Vedic interpretations, in the olden days, were misinterpreted in a way so as to oppress the downtrodden people of this country, those who are not able to have the basic minimum knowledge. That is the history of India.

The hon. Minister has just cited that definitely, it does not relate to any caste or anything. I said that the language is universal, and it has no religion. But if we read clause 7 of the Bill, it is stated:

> "The University shall be open to all persons of either sex and whatever caste, creed, race or class, and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person, any test whatsoever of religious belief or profession in order to entitle him to

be appointed as a teacher of the University or to hold any other office …"

(1735/KKD/ASA)

What prompted the Government to put such a clause in this Bill?

Mr. Minister, you are indirectly admitting that in the name of language of Sanskrit, there is a clear-cut discrimination prevailing in the country as against the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes. That is why, when you are drafting a Bill to incorporate three deemed universities coming under the purview of the Central University, you are forced to write or draft a particular clause. So, there is a social discrimination prevailing in our country. We have a bitter experience in our State. Last month, a Muslim man had got the appointment as a Sanskrit teacher, but unfortunately, he was not allowed to enter the campus.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): The hon. Minister has given the clarification.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): It is concerning my State of Kerala.

We are not against Sanskrit. We fully agree with the Government for bringing this Bill. Definitely, Sanskrit language, which is a langue of India, should be promoted. We know what the Universal Classical Languages are. They are Tamil, Latin, Greek, Hebrew, Chinese, Arabic and Sanskrit.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: You are on clause 7.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Yes, I am on clause 7.

In a legislation of our Parliament, when we are forced to write or draft such a clause, it means that this language was used, in a way, to exploit the poor people of this country. That has to be changed. I fully agree with clause 7 and I fully approve it also.

There is another discrimination, which I would like to mention. My hon. friend, Shri A. Raja has also rightly described it. Here, I would like to present some statistics regarding the way the Sanskrit is being treated and other languages are being treated. Kindly see the funds that have already been provided. In the financial year 2011-12, the MHRD gave Rs. 108 crore to the

Rashtriya Sanskrit Sansthan in New Delhi. Similarly, Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, New Delhi has been given Rs. 20 crore plus. Then, Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha in Tirupati was provided Rs. 18 crore; Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit Vishwavidyalaya in Bihar was provided Rs. 1.96 crore; Shri Jagannnath Sanskrit Vidyapeetha in Puri, Odisha was provided Rs. 2.35 crore; and Maharishi Sandipani Rashtriya Veda Vidya Pratishthan in Ujjain, Madhya Pradesh was provided Rs. 12 crore. In total, it will come to around Rs. 150 crore.

Sir, if you examine the amount given by the Ministry of Human Resource Development to all other languages, including Tamil, and Malayalam, which has also been declared as a Classical Language in our State by the Central Government, in total, it comes to just Rs. 12 crore! So, the amount given by the Ministry of Human Resource Development for all other classical languages, comes to even less than 10 per cent of the amount given for the Sanskrit language.

That is why, we are saying that there is a clear cut discrimination, which needs to be avoided. We will definitely support the Sanskrit University. But at the same time, same treatment should be meted out to all other universities and all other languages. That is my submission.

Sir, we have a Sanskrit University in Kerala. In my Constituency, one centre is there. But fund crisis is the basic problem. So, I am requesting the hon. Minister of Human Resource Development to provide maximum financial assistance to the Sanskrit University in Kerala and to the centre in my Constituency.

Sir, with these words, I conclude, and I once again express my sincere thanks to you for providing me this opportunity. Thank you.

(ends)

1739 hours

SHRI S. VENKATESAN (MADURAI):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri S. Venkatesan in Tamil,
please see the Supplement. (PP 398-A to 398-C)}

(1740-1745/RCP/SPS)

1745 hours

SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri K. Subbarayan in Tamil,
please see the Supplement. (PP399-A to 399-C)}

(1750/MMN/SPS)

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): We have come a very long way.

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति):** सभापति महोदय, इस व्याख्यान में मूर्खतापूर्ण शब्द आया है, यह ठीक नहीं है।

**माननीय सभापति:** जो भी शब्द है देख लेंगे। जो ट्रांसलेशन में आया है, ऐसा कुछ नहीं कहा है। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम देख लेंगे। हमारे देश में लैंग्वेज के ऊपर काफी चर्चा पहले से हो रखी है। तीन यूनिवर्सिटीज जब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनने जा रही हैं तो हमारे मन में भाषा की जो प्रिज्यूडिस है, वे निकलकर आ जाता है। यह हिन्दी भाषा में भी है और दूसरी भाषा में भी है। इसलिए प्रेमचन्द्रन जी ने कहा कि क्लासिकल लैंग्वेज को और भी ज्यादा मान्यता देने की जरूरत है, जैसा मंत्री जी ने सुना है।

Now, Shri Ram Mohan Naidu to speak.

…(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I will call you after his speech.

1751 hours

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you hon. Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak on the Central Sanskrit Universities Bill, 2019.

This legislation will definitely help in keeping Sanskrit, which is ancient and mother of all languages, alive. I am saying that this Bill will keep the language alive because once thriving, it is now reduced to barely one per cent of Indians speaking this language. It is a language, which, once upon a time, was used to be the official language of much of the country but now it is just the official language of one State, Uttarakhand where the hon. Minister is coming from.

Sanskrit is not just limited to Hindus alone. It is a philosophical language used in Jainism, Buddhism and Sikhism also. If one looks at the journey of Sanskrit, it started from the *vedic* era and then it went to the classical era of Sanskrit and now it has come to the present day. To save, promote and propagate Sanskrit, the Government of India gave it the classical language status. I am sure that efforts are being made to spread Sanskrit not only within the country but also in other parts of the world.

I just wish to give one small example of how Sanskrit was dealt with, back in the Eighteenth Century. In the 1780s, when the West was acquiring physical and intellectual treasures from India, Sir William Jones, an Anglo-Welsh philologist and a scholar of ancient India and particularly known for his proposition of the existence of relationship between the European and the Indian languages, in his address to the Royal Asiatic Society of Bengal, said:

> "The Sanskrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure; more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more refined than either of them."

The Bill proposes to upgrade the Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati, which is located in Andhra Pradesh, which is one of the oldest institutions established in 1961 to help propagate Sanskrit language in the country along with two other deemed universities which have been mentioned in the Bill. It is a wonderful initiative by the Government of India and we, from the Telugu Desam Party, welcome it. The Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha at Tirupati is a premier institution in the area of higher learning Sanskrit studies, traditional

sastras and is focussed on improving Sanskrit pedagogy and combining traditional Sanskrit education with modern scientific research. Sir, the RSV at Tirupati has been requesting for quite some time now for opening up off-campuses and permitting it to give affiliation to other institutions also. But I understand that the UGC is not granting the permission right now. I feel that there should not be any kind of discrimination regarding the Sanskrit language and I am saying this because the UGC in 2015 exempted the Rashtriya Sanskrit Sansthan and allowed it to open off-campuses, and clause 3 of the Bill also has recognised this. So, I request the hon. Minister, through you, Sir, to permit the universities to open more off-campuses for propagating Sanskrit also.

Other than this, like everyone is discussing their own language, it is my responsibility also to discuss my language. I am coming from the Telugu Desam Party. The party itself has the name of our language, Telugu.

HON. CHAIRPERSON: Both Telugu and Desam are there.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Yes, Sir, it has the country and also the language.

On behalf of our language also, we want to make a request. The Government is granting a fund of Rs.100 crore for the development of classical languages. Even Telugu is considered as a classical language by the Government of India. I request that more financial strength be given for the development of these classical languages. I do not want to differentiate between Tamil and Telugu or any other language. The Indian civilization has peaked many years ago.

(1755/VR/SJN)

Some of the treasures that we have, the cultures that we have, the traditions that we have, these are all hidden in the languages that we are using today. So, it is necessary to give the same importance to each and every language as the Central Government is giving to Sanskrit.

Sir, I can say many words regarding our Telugu language also. It is one of the most beautiful languages. It is called the 'Italian of the East'. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): Italian!

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Sir, it is a beautiful language. It is *'Sundara, madhuramaina Telugu'.*

Sir, C. Narayana Reddy *Garu*, who was the Member of the other House, Rajya Sabha, was also a poet himself. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: He was a Jnanpith Award winner and a nominated Member of the Rajya Sabha.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Yes Sir, he was a Jnanpith awardee. In his own words he described Telugu language beautifully. He said:

*Kadali anchulu daati kadalindi Telugu*
*Edala lotulu meeti egasindi Telugu*
*E bhasha chinukaina e yaasa chinukaina*
*Tanalona kalupukoni taralindi Telugu*

There are many literary works that have been done in this language. A lot of wonderful poetry is there in Telugu. I request the Central Government and the hon. Minister also to consider the development of all the classical languages. Give equal importance to each. If a language becomes extinct, the tradition and the culture is also at a deep distress. That is why so much importance has to be given to the language also.

Furthermore, if we get an opportunity, we should definitely discuss this subject in much more detail - how to improve the languages that we have? As the ambit of the Bill is just related to the establishment Central Sanskrit Universities, we should not…इसके ऊपर ज्यादा अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। फिर भी मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर अलग से चर्चा हो। Then, it will be very good for all the Members of this House.

With these words, I thank you very much for the opportunity.

(ends)

HON. CHAIRPERSON: Thank you, Mr. Naidu.

I am sure the hon. Minister for Human Resource Development is acquiescing the beauty of our Indian languages and the manner in which the hon. Members are speaking, respecting their own languages. It needs to be also recognized at the national level.

1757 बजे

**श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण):** सभापति जी, मैं बहुत खुश हूं कि आप वहां बैठकर जो निर्देश दे रहे हैं, वे बहुत खुबसूरत हैं। पहले तो, मैं इस संस्कृत विद्यापीठ बिल का स्वागत करता हूं। मैं दो ही चीज बताना चाहता हूं कि हम जब स्कूल में थे तो माध्यमिक स्कूलों में हमें संस्कृत पढ़ाया जाता था। आठवीं से अकरवीं तक संस्कृत था, उस वक्त ग्यारहवीं एसएससी हुआ करती थी। उससे बच्चों को उससे जान-पहचान मिलती थी। आज पहचान न होने के कारण कौन पुराना, कौन बाद में आया, यह सब झगड़े सुनना नहीं चाहते हैं। हम हर भाषा का सम्मान करते हैं, हमें मराठी भाषा पर स्वाभिमान है और हम अन्य भाषाओं का उतना ही अभिमान रखते हैं, न कि द्वेष करते हैं। हम देखते हैं कि हिन्दी भाषा के बारे में मन में द्वेष है। वह द्वेष निकलना चाहिए। हमें हर भाषा का सम्मान करना चाहिए। मैं एक ही वाक्य कहूंगा कि यह जो बिल आप लेकर आए हैं, यह संस्कृत भाषा का संवर्द्धन नहीं, यह तो संस्कृति का संवर्द्धन करने वाला बिल है। इसका हम स्वागत करते हैं। जब चेयरमैन साहब बार-बार और इसलिए मुझे बहुत ऊर्जा मिली और अच्छा लगा। मेरे दिल में यह भर आया। आपने क्लासिकल लैंग्वेज की बात कही। मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने की बात पिछले कई सालों से चल रही है। मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने की बात पिछले कई सालों से चल रही है। मराठी भाषा भी प्राचीनतम और पुरातन भाषा है। उसके सारे कागजात और प्रूफ सरकार को दिए गए हैं। आज तक उसे वह सम्मान नहीं मिला है, जबकि मलयालम, तमिल और तेलुगु भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है। मराठी भाषा को यह आज भी नहीं मिला है। वह दर्जा आप दे दीजिए। जो भी संस्कृत सीखेगा, वह किसी भी भाषा का उच्चारण सबसे अच्छा करेगा। हम देखते हैं कि लोग अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते समय भी उनकी जो मूल भाषा है, उसके परिणाम हमें वहां दिखते हैं। अगर संस्कृत आएगी तो उससे सभी भाषाओं का उच्चारण सबसे अच्छा कर सकते हैं। मैं फिर से स्वागत करता हूं और इस बिल का भी समर्थन करता हूं। चेयरमैन साहब आपको खास धन्यवाद देता हूं।

----- (इति)

## RE : EXTENSION OF TIME

1800 hours

HON. CHAIRPERSON: Now, I want to take sense of the House as it is already 6 o'clock.

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):** महोदय, इस बिल पर चर्चा और इसके पास होने तक तथा स्पीकर साहब का निर्देश है कि आधे घंटे के लिए जीरो ऑवर भी ले लिया जाए और जैसा आप चेयर से दिशा-निर्देश देंगे।

**माननीय सभापति :** पहले बिल पर चर्चा और उसके बाद इसके पारित होने के बाद फिर जीरो ऑवर लेना है, इसलिए हाउस की सहमति से हम समय को बढ़ाते हैं।

**अनेक माननीय सदस्य :** सर, सहमति है।

HON. CHAIRPERSON: Thank you. It is extended till that time.

Now, I request Mr. Md. Basheer.

(1800/SAN/SJN)

**CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITIES BILL – Contd.**

1800 hours

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for giving me this opportunity. While participating in the discussion on this Bill, I have a gratification. In 1993 when I was the Minister of Education in the State of Kerala, Sree Sankaracharya University of Sanskrit was established during my tenure as Education Minister. I have that gratification. It was 26 years back, but I still remember that when I was piloting that Bill, somebody asked why a Muslim League Minister was taking so much of interest in establishing a Sanskrit University. I replied, 'Do not mix the language with religion. Sanskrit is not that of Hindus and Arabic is not that of Muslims.' That was the reply I gave at that time.

As far as Sanskrit language and its development is concerned, the Central Universities may help it, but unfortunately, we have not realised the significance and relevance of Sanskrit language. Pandit Jawaharlal Nehru in his *Discovery of India* said and I quote:

> "If I was asked what is the greatest treasure which India possesses and what is her greatest heritage, I would answer unhesitatingly that it is the Sanskrit language and literature and all that it contains."

Panditji's noting is really commendable and we all must speak proudly about that.

Sir, it is a fact that we have not explored the possibility of Sanskrit language. We all know that. Some people say that Sanskrit language is a dead language, but one fact remains that Sanskrit language was treated like, what is called, an ornamental kind of thing. That concept was there. It is not communicative also, in that way. That fact is also there. But learning Sanskrit is not like learning a new language. For a student who knows any Indian language can easily do it. Sixty-two per cent of the words used in most of Indian languages are from Sanskrit. About 20 per cent of words are either original or borrowed from Sanskrit language. It is like that.

Sir, I would like to say an important thing. Why was Sanskrit language ignored? We know that even the Sanskrit University in Kashi or Varanasi is facing a lot of problems. I would humbly invite the hon. Minister to visit Kerala

Sanskrit University. He will be quite happy to see that. Sir, I would like to invite you also for that. We have to realise that.

We have to understand how to activate the learning of the Sanskrit language. That is what we have to do. Sanskrit should be closely linked with life. It should be a language with all such kinds of considerations. In the Sanskrit universities and institutions, we have to offer composite kind of courses, which should not confine to Sanskrit only. Of course, I may tell you what we did in Kerala. When we started this Sanskrit University in Kerala, we started offering composite courses. We laid emphasis on Sanskrit studies. Sanskrit was offered as a main paper. In addition, we also started offering MSW, B.Ed. etc. Then, some people asked why a Sanskrit University must have MSW and B.Ed. We told that, that Sanskrit University should also have international studies on language and culture.

(1805/GG/SM)

Shri Danish Ali was saying about some segments like Urdu in the Sanskrit University. We started that. As a part of international studies, inter-cultural studies, we started the composite courses. That was the success behind that university.

Sir, I do not want to take much time. I would like to tell you only one thing. When we are starting these universities, we must have a broadmindedness and we must have a new dimension and a new horizon. It should not be confined to Vedas, Upanishad, Ayurveda, Yoga etc.

As I correctly mentioned, it is a treasure. We have to explore all the possibilities; we have to contour the horizon of the knowledge. These universities, I hope, will play a pivotal role in this direction. With these few words, I conclude. Thank you very much.

(ends)

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): It is really gratifying to note that you have mentioned about extending the horizon in our pursuit relating to education. That is a very good thing and I hope the Government is taking cognizance of it.

You have also mentioned that you were the person who established the Sanskrit University in Kerala itself and as has been rightly mentioned about the turmoil that you must have faced during that time. One can understand that.

But we have come a long way. That was 26 years ago and this is 21st Century. We have to look forward and take full cognizance of the fact as to what actually had brought this language to such a situation and now is the time. The responsibility rests with us to move forward and make this language one of the shining languages of our country.

1807 बजे

**श्री गणेश सिंह (सतना):** सभापति महोदय, आपने मुझे इस विधेय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। महोदय, आपकी जो टिप्पणियां आई हैं, उनके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय सन् 2019 का समर्थन करता हूँ। सचमुच बहुत पहले यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनना चाहिए था। अब तक बहुत लंबा समय बीत गया। इसके लिए मैं सबसे पहले माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करूंगा कि संस्कृति के विकास के लिए एवं संस्कृत के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यह जो एक बड़ा कदम उठाया है, उसके लिए पुन: उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

महोदय, तीन डीम्ड संस्थान अभी तक थे, जिनका वित्तपोषण केन्द्र सरकार करती थी। जिनमें एक – राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली की स्थापना सन् 1970 में हुई थी। दूसरा लालबहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, जिसकी स्थापना सन् 1962 में हुई थी। तीसरा, तिरुपति स्थित राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, जिसकी स्थापना सन् 1961 में हुई थी। केन्द्र सरकार इनका वित्तपोषण तो जरूर करती थी, लेकिन कई केन्द्रीय विश्वविद्यालय बने, इसके पहले भाषा के आधार पर दो और विश्वविद्यालय बने थे। वे विश्वविद्यालय थे - इंग्लिश एण्ड फॉरन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, दूसरा बना था – मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी। लेकिन संस्कृत भाषा की यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी। जबकि हमारे पास महाविद्यालय संस्कृत के जो पूरे देश भर में थे, 120 सामान्य विश्वविद्यालय, 16 संस्कृत विश्वविद्याय हैं। इनमें एक हजार के लगभग महाविद्यालय संबद्ध हैं। दस लाख छात्र अध्ययनरत हैं। इतनी बड़ी संख्या में महाविद्यालय होने के बावजूद भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इनमें से किसी को नहीं मिला था। माननीय मंत्री जी, आप सचमुच बधाई के पात्र हैं कि आपने इसकी बहुत बड़ी चिंता

की है। हमारे देश में संस्कृत भाषा का एक बहुत लंबा इतिहास है। यह पांच हजार साल पुरानी हमारी भाषा है।

(1810/KN/AK)

माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद संस्कृत भाषा का उदय हुआ। संस्कृत भाषा का उदय प्राचीन ऋग्वेद काल में हुआ, क्योंकि इसी काल में विश्व के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लिखे गए थे तथा इन वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया।

इन वेदनों को लिखने वाले प्राचीन ऋषि आर्यन थे। इसी कारण इस काल को आर्यन काल भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा को आर्यों की भाषा कहा जाता है। मैं मानता हूं कि संस्कृत भाषा देवों की भाषा है। यह देवों की भाषा है, जिस तरह देवी-देवता अमर हैं, उसी तरह से संस्कृत भी अमर है।

संस्कृत का विकास दो चरणों में हुआ। एक वैदिक संस्कृत, जिसमें हमारे वेद, धर्म शास्त्र, रामायण, महाभारत, उपनिषद आदि लिखे गए। दूसरा पाणिनी रचित संस्कृत, जिसमें अनेक आलौकित ग्रंथ जैसे अभिज्ञान शकुंतलम्, पतंजलि आदि लिखे गए। हिन्दू धर्म से संबंधित सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए तथा यज्ञ-अनुष्ठान आदि संस्कृत भाषा में आज भी हो रहे हैं। विद्वानों की शोध के अनुसार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृत भाषा का प्रभाव विश्व की लगभग 97 प्रतिशत भाषाओं में है। ऐसा प्रमाण है।

नासा के वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि संस्कृत भाषा का प्रयोग करके कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग को सरल बनाया जा सकता है तथा इस भाषा के उपयोग से कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो सकती है, ऐसा उन्होंने शोध किया है।

अमेरिका के एक विश्वविद्यालय के अनुसार संस्कृत भाषा में बात करने से मानव शरीर की तंत्रिका सक्रिय रहती है। यह अमेरिका के एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का कहना है, जिसमें उन्होंने कहा कि डायबिटीज, कोलेस्ट्रोल और ब्लड प्रेशर जैसे रोगों से राहत मिल जाती है। संसार की लगभग 98 प्रतिशत से अधिक भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव है। यह सचमुच हमारे राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते है, यह पूरी तरह से उसी पर आधारित है।

महोदय, संस्कृत का प्रभाव सभी भारतीय भाषाओं पर तो है ही, इसके साथ-साथ अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, इंडोनेशिया की बहासा, स्लॉविक भाषा पर भी संस्कृत का प्रभाव है।

संस्कृत केवल एक भाषा ही नहीं, भारत की ज्ञान परम्परा एवं उसकी आत्मा है। भारत की प्राचीन और वर्तमानता का एक सेतु है। वह विज्ञान हो, तंत्र ज्ञान हो, कृषि हो, स्थापत्य हो, खगोल शास्त्र हो, वास्तु शास्त्र हो, योग हो, आयुर्वेद हो या धातुशास्त्र हो, इन सब में संस्कृत ने एक नई दिशा दी है।

जब देश आज़ाद हुआ था तो बाबा साहेब ने संविधान सभा में संस्कृत भाषा को राजभाषा बनाए जाने के लिए एक प्रस्ताव दिया था। उस समय बंगाल के लक्ष्मीकांत मैत्रा, असम के नसीरुद्दीन अहमद, चेन्नई के सुब्बाराव, टीटी कृष्णमाचारी, कर्नाटक के सीएम पुनाचा, ऐसी महान् विभूतियों ने

इसका समर्थन भी किया था। लेकिन कुछ लोगों ने अंग्रेजी भाषा को लेकर विरोध भी किया तब बाबा साहेब ने कहा था कि भले ही हिन्दी को राजभाषा बनाया जाए, किन्तु हिन्दी भी संस्कृतनिष्ठ हिन्दी होनी चाहिए। यह बात उस समय पर आई थी। दुर्भाग्य है कि राजनीतिक कारणों से संस्कृत का विकास रोका गया, चूंकि यह देव वाणी थी। दुनिया में भारत को विश्व गुरु की उपाधि मिली, इन्हीं वेद, पुराणों की वजह से, इन्हीं के ज्ञान की वजह से।

स्वयं स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो गए थे और जिस तरह से उन्होंने सम्बोधन किया था, पूरी दुनिया ने उनके सम्बोधन को स्वीकार किया और यह विश्व बंधुत्व का जो भाव है, वह हमारी संस्कृति से निकला। वसुधैव कुटुम्बकम, यह तमाम जो सारे शब्द हैं, आज संसद परिसर में दीवारों पर जो श्लोक लिखे हैं, वे सारे श्लोक संस्कृत में लिखे हैं। इतने वर्षों वर्ष लग गए एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए। अब ये जो तीन डीम्ड यूनिवर्सिटयाँ हैं, अब इनको केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे अभी मंत्री जी बीच में कह रहे थे कि इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से हम अपने देश की संस्कृति का जो एक वैज्ञानिक प्रयोग है, उसका एक जीवन के साथ जुड़ा हुआ एक अभिन्न रिश्ता है, हमारी संस्कृति उसके साथ जुड़ी हुई है।

(1815/UB/CS)

सचमुच हमें इस भाषा से सब कुछ मिला है। इस भाषा ने हमें संस्कृति दी, संस्कार दिए, आध्यात्म दिया, अक्षरों का ज्ञान दिया, पूजा-पद्धति तथा योग-साधना दी। जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हम देश को आगे ले जा रहे हैं और सचमुच देश तभी आगे जाएगा, जब हम इन भाषाओं का पूरी तरह से संरक्षण करेंगे, इनके ज्ञान का वर्धन करेंगे। इस भाषा को बड़ी संख्या में लोगों के साथ जोड़ने का काम करेंगे। सबका साथ-सबका विकास और अब संस्कृति का भी पूरा विकास होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। हालांकि सभी राजनीतिक दलों के वक्ताओं ने इस बिल का समर्थन किया है, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। कुछ बातें जो टिप्पणी के तौर पर आई हैं, जैसे बंगाल का मामला आया, मैं समझता हूँ कि इसमें उन सब चीजों को जोड़ना उचित नहीं होगा। डीएमके के हमारे साथियों ने जिस तरह से कहा, वे सारी चीजें इसमें नहीं होनी चाहिए। मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। मैं पुन: मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।

(इति)

**माननीय सभापति (श्री भर्तृहरि महताब):** धन्यवाद गणेश सिंह जी। आपने कहा नदी का स्रोत जितना निरन्तर रहे, वह उतना मधुमेय होगा और यह भाषा भी, जो भी भाषा हो, वह जितनी निरन्तर रहे, वह उतनी ही मधुमेय होगी। अगर वह एक जगह रूक जाए, तो वह किसी लायक नहीं रहती है। संस्कृत भाषा निरन्तर रही है और आगे भी रहेगी, इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।

1816 hours

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): Hon. Chairman, Sir, "भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाणभारती।". Sanskrit is prominent, sweet and divine amongst languages. I want to quote from Bhartrihari's book, '*Nitisatkam'*: "The real ornament for a man is neither the bracelets, nor the necklace with the brilliance of the moon, nor luxury baths, nor anointments, nor flowers, not even the splendid hair-dos. It is his speech that adorns a man. Therefore, Sanskrit is one's real embellishment. In contrast to one's graceful speech, our ornaments fade away. Hence, Sanskrit is the only real embellishment of a person."

सर, आज सत्ता पक्ष मुगल सुल्तानों की भी बहुत सारी बातों के लिए आलोचना करते हैं, लेकिन हमें यह मानना होगा कि दारा शिकोह ने उपनिषद का ट्रांसलेशन पारसी में किया था। अकबर के दरबार में संस्कृत की चर्चा हुई थी। काफी रामायण और गीता का ट्रांसलेशन भी अकबर के दरबार में रहने वाले पंडितों ने किया था। डॉ. नहीद आबिदी एक फेमस संस्कृत स्कॉलर बनारस से हैं, उनको वर्ष 2014 में संस्कृत लिटरेचर के कान्ट्रिब्यूशन के लिए पदम श्री मिला था। जब हम संस्कृत पर चर्चा की बात करेंगे तो हमें पंडित गुलाम दस्तगीर, पंडित हयात उल्ला चतुर्वेदी और डॉ. मो. सईदुल्ला का नाम लेना होगा। मंत्री जी जो बिल लाए हैं, सारे विश्वविद्यालयों के बिल में जो रहता है, वह इस बिल में भी है। सैक्शन 7, पेज नम्बर 7 पर बोला है कि स्टडी हो या रोजगार हो, कहीं पर भी कास्ट, क्रिएट, रिलिजन का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दुर्भाग्य की बात है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिरोज खान के साथ जो हुआ, मंत्री जी ने क्लियर किया, अच्छी बात है, लेकिन दोबारा इस तरह से नहीं होना चाहिए। सत्ता पक्ष कभी-कभी गीता को भी कंपलसरी करना चाहता है। अगर भगवद गीता सब लोग पढ़ लेंगे, हम पढ़ सकेंगे, गैर-हिन्दू या मुसलमान उसे पढ़ सकेंगे, लेकिन पढ़ा नहीं सकेंगे, तो यह बात भी सही नहीं है। मैं असम से आता हूँ। Assam is burning today and the Government is not taking any initiative for a political dialogue, वह बात अलग है, लेकिन मैं यह बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ कि आज असम जल रहा है।

(1820/KMR/MY)

Sir, before British people came, Sanskrit was a prominent language in Assam. We can find very old Sanskrit inscriptions in Assam like Umachal rock inscriptions, Tezpur rock inscriptions, Barganga rock inscriptions and Kanai Barasi rock inscriptions. The language of the inscriptions is Sanskrit. Most of the texts of the epigraphs were composed by certain learned Sanskrit scholars. In Sanskrit literature, the name of Assam is very prominent as Pragjyotisha and Kamarupa. With these two names, we can find references to Assam in Mahabharata, Puranas and other works of literature also. If that is a fact from

history and our tradition, how can we ignore this area from the point of view of Sanskrit now.

सर, मैं आपके तथा इस सदन के इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं कि जब असम में तरूण गोगोई जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी तो वहां कुमार भाष्कर वर्मा संस्कृत और पुरातन अध्ययन यूनिवर्सिटी बना था। अभी भी वह यूनिवर्सिटी है। जब मैं असम में विधायक था तो उस यूनिवर्सिटी का कोर्ट मेम्बर रहा था। उसमें काफी प्रोफेसर के पोस्ट्स वैकेंट हैं।

Sir, I want to draw your kind attention to this and demand that there should be a campus of the Central Sanskrit University in Assam, preferably in Bajali area of Barpeta District which is my Constituency also.

सर, यह जो तीन नए सेन्ट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिए बिल लाया गया है, यहां दिल्ली में जो यूनिवर्सिटी है, इस बिल में लिखा है कि उसमें 12 कैम्पस होंगे। अभी मंत्री जी यहां पर है। अगर इसका 13वां कैम्पस बन जाए तो उसमें क्या दिक्कत है। असम का जो बजाली एरिया है, वहां संस्कृत की बहुत चर्चा होती है। मैं गुजारिश करता हूं कि वहां भी एक कैम्पस होना चाहिए। …(व्यवधान)

**माननीय सभापति (श्री भर्तृहरि महताब):** माननीय सदस्य, अभी आपके पार्टी के दो और सदस्यों को भी बोलना है।

**श्री अब्दुल खालेक (बारपेटा):** थैंक्यू सर, अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगाा, क्योंकि अभी मेरे और साथी को भी बोलना है।

(इति)

1822 बजे

**श्री सैयद इम्तियाज़ जलील (औरंगाबाद):** चेयरमैन सर, आज मैं सेन्ट्रल हॉल में बैठा हुआ था और संस्कृत के बिल के ऊपर कुछ लिख रहा था। मेरे महाराष्ट्र के एक सहयोगी सांसद मेरे पास आए और उन्होंने मुझां पूछा कि आप क्या लिख रहे हैं? जब मैंने उनसे कहा कि संस्कृत के बिल के ऊपर आज मैं भी कुछ कहूंगा तो अचानक उनको हँसी आ गई। उन्होंने मुझसे कहा कि आपका संस्कृत से क्या ताल्लुक है। वह यह बताना चाह रहे थे कि मैं मुसलमान हूं और मुसलमानों का संस्कृत से क्या ताल्लुक है। यह बड़े अफसोस की बात है कि इस मुल्क के अंदर हमने जबान को मजहब के साथ जोड़ दिया है।

**माननीय सभापति:** इसके साथ यह भी सच्चाई है कि आप उस इलाके से आते हैं, उसको क्षेत्र को रीप्रजेंट करते हैं, जहां संस्कृत का काफी प्रचलन है।

**श्री सैयद इम्तियाज़ जलील (औरंगाबाद):** चेयरमैन सर, वहां संस्कृत का प्रचलन काफी है। मुझे मालूम नहीं है कि हम लोग मजहब और जबान को क्यों एक साथ जोड़ते हैं। हालांकि संस्कृत मेरी जबान नहीं है, लेकिन मैं संस्कृत का उतनी ही इज्जत करता हूं, जितनी उर्दू से मोहब्बत करता हूं। मैं यही उम्मीद करता हूं कि हम लोग जिस तरह से संस्कृत को बढ़ावा दे रहे हैं, उसी तरह से हम दूसरी जबानों को भी आगे बढ़ाएं।

सभापति महोदय, जब मंत्री जी ने अपने भाषण की शुरूआत की तो उन्होंने बताया कि 100 देशों के अंदर 250 विश्वविद्यालय हैं, जहां पर संस्कृत बोली जाती है। हम मंत्री जी से यह पूछना चाह रहे थे कि इस देश के अंदर संस्कृत की हालत ऐसी क्यों हो गई है? मैं आपको आँकड़ों के बारे में बताता हूं। वर्ष 2001 के सेन्सस के हिसाब इस देश के अंदर संस्कृत बोलने वाले महज 14,000 लोग थे। 10 साल के बाद जब दोबारा सेन्सेस हुआ तो उस सेन्सेस के हिसाब से वर्ष 2011 के अंदर इस देश में संस्कृत बोलने वाले महज 24,821 लोग ऐसे थे, जिन्होंने अपने नाम से रजिस्ट्रेशन कराया कि हम संस्कृत बोलते है, लिखते हैं और पढ़ते हैं। इन 10 सालों के अंदर इस मुल्क के अंदर संस्कृत बोलने वालों का इजाफा हुआ तो महज 10,000 लोग बढ़े हैं। अगर हम इसको परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो इतने बड़े मुल्क के अंदर जो हमारी अपनी जबान संस्कृत होनी चाहिए, उसे कितने लोग जानते हैं? परसेंटेज के हिसाब से 0.00198 परसेंट लोग ही संस्कृत जानते हैं।

सभापति महोदय, जैसा मैंने आपको बताया है कि जो साहब मेरे ऊपर हँस रहे थे, मैंने उनको यह बताया कि मेरी पत्नी मुसलमान होने के बावजूद भी संस्कृत इतनी अच्छी तरह से जानती है कि पुणे शहर में वह संस्कृत का ट्यूशन लेती है।

(1825/CP/SNT)

पुणे शहर के अंदर संस्कृत पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं मिलते थे। मेरी पत्नी ट्यूशन लेती थी, तो जो बच्चे को लेकर उनके पैरेंट्स आते थे, वे पैरेंट्स धीरे से उनसे पूछते थे कि क्या आपने इंटरकास्ट मैरिज की है? वे खुद हैरान रह जाते थे कि एक मुसलमान लड़की संस्कृत कैसे अच्छी तरह से जानती है? हम उन्हें यह बताते थे कि हम संस्कृत सीखना चाहते हैं।

मंत्री जी, आप संस्कृत को बढ़ाइए, हम इसमें आपका पूरा साथ देंगे। हम आपसे यह उम्मीद करेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर आप संस्कृत की एक यूनिवर्सिटी शुरू करिए। संस्कृत के साथ-साथ हम चाहते हैं कि उर्दू जबान के ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि उर्दू मोहब्बत की जबान है। मंत्री साहब, जिसके सीने में दिल है और वह धड़कता है, तो यकीनन उसे उर्दू आनी चाहिए, क्योंकि उर्दू एक ऐसी जबान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि

"वह करे बात तो, हर बात से खुशबू आए,
ऐसी बोली वही बोले, जिसे उर्दू आए।"

उर्दू को भी आप उसी तरह से बढ़ाइए। आप जिस तरह से संस्कृत के लिए विश्वविद्यालय शुरू कर रहे हैं, हमारी ख्वाहिश रहेगी कि आप महाराष्ट्र के अंदर एक संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ, मेरे अपने शहर औरंगाबाद के अंदर अगर आप एक उर्दू यूनिवर्सिटी को डिक्लेयर करेंगे, तो हम आपका बड़े तहेदिल से शुक्रिया अदा करेंगे।

महोदय, एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। साथ ही साथ ढाई हजार साल पुरानी एक और जबान है – पाली जबान। पाली जबान वह जबान है, भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर का जितना भी लिट्रेचर है, वह पाली जबान के अंदर है। आज हमें अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि सिंगापुर, थाईलैंड के अंदर जितने भी लोग वहां पर पाली जबान पढ़ रहे हैं, हम यहां पर पाली जबान को पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं। कई साल पुरानी यह मांग है कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर, क्योंकि औरंगाबाद शहर बुद्धिस्ट का एक बहुत बड़ा सेंटर है, हमारी यह ख्वाहिश रहेगी कि पाली जबान को भी, जिस तरह से आप संस्कृत को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ पाली जबान के लिए भी एक विश्वविद्यालय अगर औरंगाबाद शहर के अंदर शुरू करते हैं, तो हमें ऐसा लगेगा कि यह सरकार सिर्फ बोलती नहीं है, करती भी है, जब वह नारा लगाती है कि "सबका साथ, सबका विकास।" धन्यवाद।

(इति)

**माननीय सभापति (श्री भर्तृहरि महताब):** कई साल पहले हम क्योटो, जापान गए थे। वहां जापान साम्राज्य के सम्राट की एक पुरानी राजधानी है। वहां जो बुद्ध मंदिर है, वहां जो बुजुर्ग बौद्ध भिक्षु थे, वे अच्छी तरह संस्कृत बोल रहे थे। हमने उनसे पूछा कि क्या आपने वाराणसी में सीखा है? वे कुछ समय मेरी आंख में आंख डालकर देखते रहे और कहा कि नहीं, मैंने मद्रास से सीखा, जिसको आप चेन्नई कहते हैं।

1828 hours

*DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Dr. Thol Thirumaavalavan in Tamil,
please see the Supplement. (PP 413A to 413B )}

---

*Original in Tamil

(1830/GM/MK)

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): The basic question which the hon. Member asked is that when you are increasing the number of Central Universities, you should also have sufficient number of teachers and professors. अध्यापकों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, there are 800 vacancies in Sanskrit Universities.

**माननीय सभापति (श्री भर्तृहरि महताब):** बाबा जी की 550वीं एनिवसरी चल रही है, वह भी संस्कृत लैग्वेज में सबसे विद्वान थे।

1833 hours

*SHRI BHAGWANT MANN (SANGRUR):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri Bhagwant Mann in Punjabi ,
please see the Supplement. (PP 414A )}

---

*Original in Punjabi

(1835/RSG/RPS)

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): I now invite Shri Raveendranath Kumar.

… (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I have a small point of information with regard to this Bill. I have proposed that the Central Sanskrit University be named after …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Perhaps, some clarifications may be sought by the Members after the discussion.

1838 hours

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Sir, thank you for the opportunity to speak on this Bill. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You have to seek that clarification again, after the reply of the Minister.

… (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, the AIADMK MP is a good friend of mine. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Yes, but every Member counts.

… (*Interruptions*)

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): No clarification, Sir; it is only a submission. …(*Interruptions*)

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): I thank you for the opportunity to speak on the Central Sanskrit University Bill, 2019. …(*Interruptions*)

I appreciate the Minister of Human Resource Development under the auspicious guidance of our hon. Prime Minister Shri Narendra Modiji for the well-built role in making higher education accessible to aspirants to the economically weaker sections of the society by creating Central University status to the said three existing Sanskrit institutes. …(*Interruptions*)

We all know that Sanskrit is one of the ancient classical languages, along with our Tamil language, with enriched variety of literature and treasure of knowledge in many fields from spiritual to social and from elementary lifestyle

health science to space research. However, due to absence of vast research or expanded study in this language, there is a significant vacuum in research facilities on the literature available in this classical language. Therefore, I hope that this initiative would open a new way for further advanced studies with wide research in ancient literature.

Section 7 of the Bill provides that the University shall be open to all persons of either sex and whatever caste, creed, race, or class and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person any test whatsoever on religious belief or profession in order to entitle him to be appointed as a teacher of a university, or to hold office therein, or be admitted as a student in the University.

(1840/RK/RPS)

This will invite a number of students, not only from across the country but also students from other countries, to undertake research in Sanskrit. I also appreciate that this provision would terminate the presumption that this particular language is meant only for certain group of people.

Sir, we, the people of Tamil Nadu, like Sanskrit but we love Tamil....(*Interruptions*) We love Tamil. I would request you all to love Sanskrit but you should also like our ancient classical Tamil language. Sir, the founder and the Leader of our AIADMK Party, Puratchi Thalaivar MGR and Puratchi Thalaivi Amma and also leaders of DMK Party, the leader of my colleague Members, Kalaignar Karunanidhi – the list is huge – I would say that everybody struggled for the growth and development of our Tamil classical language. Through you, Sir, I would request the hon. Prime Minister and also the hon. Minister to sanction the establishment of a Central Tamil University in Madurai. Madurai is the centre of our ancient three Tamil Sangams. Having said this, I support the Bill. Thank you very much.

(ends)

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): The Sangam civilization flourished from that place. Thank you, Shri Raveendra Kumar.

This reminds me of a country in Europe named Lithuania. Their language is very much identical to our Sanskrit language. The grammar of Sanskrit and Lithuanian language is the same. Even the words, and the alphabets that they use are quite similar. Lithuania at some point of time was a part of Soviet Union. It is near the Baltic region of Europe.

1842 बजे

**डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):** धन्यवाद, सभापति महोदय। आपने मुझे केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 पर बोलने का मौका दिया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को, एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी को कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति का उन्नयन करके केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से संस्कृत को समृद्धि की तरफ बढ़ाने की दिशा में यह जो कदम बढ़ाया गया है, यह बहुत सराहनीय है। संस्कृत प्यार की, ज्ञान की, संस्कार और संस्कृति की भाषा है। सत्यपाल जी ने इस चर्चा का शुभारम्भ करते हुए, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी। संस्कृत कहती है :

"यं वैदिकामंत्र दृश: पुराण: इन्द्रं यं मात ऋषमारमाहू।
वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं, यं ब्रहम् शब्देनविनिर्देशन्ति।
शैवायमिशम् शिवअत्यवोचन, यं वैष्णवाविष्णुऋतुइस्तुवन्ति।
बुद्धस्तथा अरहन्नति बौद्ध जैना सत श्री अकालेति च सिक्ख सन्त:।
शास्त्रेति कतिचित कुमारा, स्वामेति मातेति पितेति भक्तया।
यं प्रार्थेयन्ते जगदीशतारम्, स एक एव प्रभुर्द्वितीय:॥"

संस्कृत भाषा में वेद, पुराण, काव्य, आयुर्वेद, नाट्यशास्त्र, योग, शिल्प, आयुर्वेद, व्याकरण, गणित, ज्योतिष, नीतिशास्त्र, दर्शन आदि के अध्ययन का जितना विपुल भण्डार है, उतना दूसरी भाषाओं में देखने को नहीं मिलता है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। हमारा देश वैश्वीकरण की दौड़ में आगे बढ़ रहा है और चीन हमारे साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। हम लोग कुछ सांसदों के साथ कनॉट प्लेस में टहल रहे थे, वहां पर चीन के कुछ युवक आगे जा रहे थे। हम लोग हिन्दी में बात कर रहे थे, उन्होंने पलटकर जवाब दिया। उन्होंने हिन्दी में उत्तर दिया। हमने बड़े आश्चर्य से उनको देखा तो उन्होंने हिन्दी में उत्तर दिया और कहा कि हमें हिन्दी आती है और हम संस्कृत का भी अध्ययन कर रहे हैं। वे वैश्वीकरण की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए हमारे वेद, पुराण को पढ़कर, हमारे ग्रन्थों को पढ़कर, हमारे देश के गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं। आज दुनिया के अनेक राष्ट्र, अभी हमारे आदरणीय मंत्री जी ने बताया, हमारे अनेक वक्ताओं ने इस बात को उद्धृत किया, चाहे अमेरिका की बात हो, चाहे इटली की बात हो, चाहे थाईलैण्ड या म्यांमार की बात हो, जर्मनी के 14 विश्वविद्यालय में संस्कृत को प्रमुखता से पढ़ाया जा रहा है। अमेरिका के लगभग 35 से 50 विद्यार्थी आज वाराणसी में हैं। वे वहां पर केवल डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त नहीं करना चाहते हैं।

(1845/ASA/PS)

वे तीन साल का कोर्स करके डिग्री लेना चाहते हैं ताकि वे अपने देश में जाकर प्रचार और प्रसार कर सकें।

मैं आस्ट्रेलिया गया था। आस्ट्रेलिया में मेलबर्न में सुबह भ्रमण के लिए गया। मैंने एक स्थानपर देखा कि एक मैदान में बहुत बड़ी संख्या में लोग योग करने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहां पर एक आस्ट्रेलियन युवक ने संस्कृत में वेद मंत्रों का उच्चारण करके योग कराना शुरू किया। मुझे बहुत

प्रसन्नता हुई कि हमारे देश से योग न केवल विदेश में जा रहा है, बल्कि संस्कृत के बारे में हमारे देश के बाहर जाकर, लोग हमारे देश को जानने के लिए संस्कृत को समझने के लिए आगे बढ़ रह हैं। यहां पर जितने भी वक्ताओं ने अपनी बात रखी, सभी वक्ताओं ने इस केन्द्रीय संस्कृत विद्यालय का समर्थन किया। एक भी वक्ता ने इसका विरोध नहीं किया। कुछ लोगों ने अपने स्थान की आवश्यकता के अनुरूप वहां पर विश्वविद्यालय की बात रखी। अन्य भाषाओं के लिए भी विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात रखी। यह स्वागत योग्य कदम है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब मैंने आस्ट्रेलिया का उदाहरण देखा, मैंने चीन के बारे में आपको बताया। अभी बहुत सारे वक्ताओं के द्वारा जो बातें रखी गई हैं, उनमें सभी के द्वारा इस बात को कहा गया कि संस्कृत बहुत विपुल भंडार वाली भाषा है।

हमारे कर्नाटक में एक गांव है। कर्नाटक का जो शि/मोगा जिला है, इस सिमोगा जिले का एक छोटा सा गांव मत्तूर है। मत्तूर गांव की जो आम भाषा है, वहां के लोग जो आम भाषा में बात करते हैं, वह संस्कृत भाषा में बात करते हैं। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले में एक गांव है। वहां के हमारे सुरेन्द्र सिंह चौहान जी ने एक पहल की और उस पहल का परिणाम यह हुआ कि आज उस गांव का बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, संस्कृत भाषा में ही बात करता है। उन लोगों ने संस्कृत भाषा को सम्पर्क भाषा बना रखा है। ये उदाहरण हैं। इन उदाहरणों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अगर इस क्षेत्र में काम करने के लिए आगे बढ़ें तो संस्कृत हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे सकती है।

हमारे कुछ मित्रों ने बहुत बातें रखी। मैं अपनी बात एक श्लोक को कहते हुए समाप्त करना चाहता हूं कि संस्कृत सबको बांधने, जोड़ने का काम करती है:

"बुद्धो जनेन्द्रो गौरक्षा शंकरश्च पतंजलि,
रामानुजोतचेतन्य कबीरोगुरुनानक:
ज्ञानेश्वरस तुकाराम: समर्थो मध्यबल्लभो,
नरसिसतुलसीदास: कम्बह साधु कुलोत्मान्
नायनमारा लभाराश्च तिरुवल्लुवरस्तथा।"

हम सबके प्रति आदर रखते हैं, सबके प्रति प्रेम रखते हैं। सभी के प्रति प्रेम रखना यह संस्कृत भाषा सिखलाती है। इस संस्कृत भाषा के लिए, सम्वर्धन के लिए यह जो विधेयक लाया गया है, मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

(इति)

1848 hours

*SHRI D. RAVINDRA KUMAR(VILLUPURAM):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri D. Ravindra Kumar in Tamil,
please see the Supplement. (PP 419A to 419B)}

*Original in Tamil

(1850/RC/RAJ)

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): Confluence of languages and intermingling of languages has been happening for thousands of years. Odia and Tamil have affinity and there has been a lot of Tamil words which are used in Odia literature and Odia language.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): I think Odia is from Sanskrit.

HON. CHAIRPERSON: It is from both the languages. It is an Indo-Dravidian language. That is why, it is a classical language.

1852 hours

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak.

Sanskrit was a colloquial language and also a standard language of India in which literature and knowledge was produced, preserved and passed down for many centuries. But, unfortunately through the ages it has lost its earlier glitter and needs considerable efforts for its preservation and survival.

The Bill seeks to grant the status of university to Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi, Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, New Delhi, and Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, Tirupati. The aim of the proposed legislation is an important step to bring back the glory of Sanskrit.

Now coming to Section 6, sub-section 2, clause (iv), it talks about the mode of evaluation for the student. Here I would like to state that language learning process recognizes three factors through which language can be thoroughly learnt, *i.e.,* reading, writing and speaking. In case of Sanskrit language, students usually read, rarely write and seldomly speak. As a result of this, even after doing graduation, post-graduation or doctoral degree in this language, one does not get the confidence to speak.

So, I would request the Minister to make a provision for assessment of speaking skills of the students within the Bill. The Sanskrit through Sanskrit approach as put forward by the N. Gopalaswami Committee must be accepted.

Now coming to Section 7 of the Bill, it deals with a very delicate and important matter. It states that no discrimination should be made on the basis of sex, caste, creed, class and others. I would like to thank the Minister for this provision. Recently, we saw that appointment of a Muslim Professor at Benaras

Hindu University's Sanskrit Department caused a huge uproar and protests were carried out.

HON. CHAIRPERSON: That has already been settled. Already the Minister has talked about it very categorically.

(1855/SNB/SPS)

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, coming to Section 8, sub-section (iv), it states that every inspection desired by the Visitor, that is the hon. President of India, will require a prior notice. I would like to request the hon. Minister to add a clause that even *impromptu* or unannounced inspection can also be done. Surprise inspection will reveal the actual scenario. Either the said clause should be added or the provision for providing a prior notice for every visit should be removed, or else the true environment and arrangement of the universities will never be revealed.

Another problem in the Sanskrit Departments of our educational system is lack of faculty. In an answer to a question asked by hon. MP, Shri Kanakmal Kataria, it was mentioned that 709 posts of teachers are lying vacant in Mahavidyalayas of the country. In this connection, the UGC had sent letters to the Mahavidyalayas affiliated to universities in June and 5 more such letters have been sent till October. In this connection, I would like to know from the hon. Minister how many vacancies have been filled up so far. Also, how will it be ensured that these universities will not have a lack of faculty? It is because in reply to another Starred Question, the hon. Minister informed that there are 89, 50 and 38 posts lying vacant at the Rashtriya Sanskrit Sansthan, Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth and Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth respectively.

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): That point already has come.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, I would like to request the Government, through you, to take steps to break hunger strike of Ms. Swati Maliwal and save her life by considering her six valid demands.

Thank you.

(ends)

1857 hours

*SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA):

{For English translation of the speech made by the hon. Member, Shrimati Vanga Geetha Viswanath in Sanskrit, please see the Supplement. (PP 422A to 422B )}

*Original in Sanskrit

(1900/RU/MM)

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): The House wholeheartedly appreciates your speech made in Sanskrit. It is a great thing that you have given your speech in Sanskrit language.

Now I request Shri Pratap Chandra Sarangi, hon. Minister to speak.

1900 hours

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES (SHRI PRATAP CHANDRA SARANGI):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri Pratap Chandra Sarangi in Sanskrit,
please see the Supplement. (PP423A to 423F)}

(1910/KN/RP)

1914 बजे

**डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण):** सभापति महोदय, धन्यवाद कि समय खत्म होने के बाद भी आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप आज सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल लाए हैं और पोखरियाल जी का मैं इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि जब से उन्होंने इस मंत्रालय का कार्यभार संभालना शुरू किया है, तब से संस्कृत भाषा को कैसे और प्रचलित किया जाए, इस पर कार्य किया है। उस दिशा में उन्होंने संस्कृत बोलने वाले गाँव के विकास की योजना भी बनाई थी। मुझे लगता है कि सदन को यह पता नहीं होगा कि जब वह उत्तराखंड के मुख्य मंत्री थे, तब उन्होंने इस भाषा के विकास के लिए भंतोला गाँव को अडॉप्ट भी किया था। इसलिए मैं मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आज उनके मन की बात, मुझे लगता है कि संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से पूरी हो रही है। भारतीय परम्परा को अगर जानना है, तो संस्कृत एक महाद्वार है। संस्कृत भारत को जोड़ने वाली भाषा है।

(1915/CS-RP)

यह देश विविध भाषाओं का है। कालडी में जन्मे आदि शंकराचार्य ने देश की चारों दिशाओं में मठ स्थापित किए, दो बार देश की परिक्रमा की। उन्होंने ज्ञान, संस्कृति और अध्यात्म के प्रसार के लिए संस्कृत को ही साधन बनाया। संस्कृत के सिवा हम भारत की कल्पना नहीं कर सकते। भारतीय ज्ञान, विज्ञान, परम्परा संस्कृत भाषा में है। चाणक्य की राजनीति हो, भास्कराचार्य का गणित हो, चरक सुश्रुत का आयुर्वेद हो, पतंजलि का योग हो, पराशर मुनि का कृषिशास्त्र हो, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र हो, ऐसे अनेक विषय संस्कृत में ही विकसित हुए हैं। इसी ज्ञान, विज्ञान के बल पर हमारे पुरखों ने कभी देश समृद्ध किया था, सुवर्णभूमि किया था। हमारे ऋषि, मुनियों द्वारा विकसित ज्ञान भंडार का हमें आज उपयोग करना चाहिए। आज रामचरितमानस हो या देश के महा संत, जिन्होंने सबसे कम उम्र में, संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी लिखी थी। उन्होंने पूरे देश को विश्व शांति और जीवन कैसे जीना है, यह संदेश दिया था। आज उसी ज्ञानेश्वरी के एक-एक पैराग्राफ पर, एक-एक लाइन पर लोग पीएचडी कर रहे हैं, इतना शोध कर रहे हैं। इतनी महत्ता संस्कृत की है, इतनी महत्ता हमारी ज्ञानेश्वरी की है। वर्ष 2011 के सेंसस के अनुसार देश में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में संस्कृत सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। भारत की इस सबसे पुरानी भाषा को केवल 24,821 लोगों ने अपनी मातृभाषा बताया है। इसे बोलने वाले लोगों की संख्या बोडो, मणिपुरी, कोंकणी और डोगरी भाषा से भी कम है। लोग इस धारणा के हो चुके हैं कि जो संस्कृत सीखता है, वह सिर्फ पूजा पाठ करता है। मुझे लगता है कि हमें इस धारणा से बाहर निकलना होगा और संस्कृत को भी एक प्रोफेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए हमें आगे जाना है। उसमें आगे जो रोजगार का इश्यू आता है, लोगों को लगता है कि अगर हमने संस्कृत सीखी तो ज्यादा से ज्यादा हम ट्रांसलेटर बनेंगे। इस धारणा से हमें लोगों को बाहर निकालना है। इस बिल के माध्यम से एक बहुत अच्छी पहल मंत्री महोदय ने की है। आज मंत्री जी ने कहा है कि संस्कृत का बहुत प्राचीन इतिहास है और यह ग्रीक, लैटिन, जर्मन, गोथिक आदि

जैसी अनेक भाषाओं की जननी है। भारत के सभी प्रांतीय भाषाओं में संस्कृत शब्द प्राप्त होते हैं। भारत के भीतर जहाँ 'सत्यमेव जयते' एक सामाजिक संदेश है, वहीं 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी' नेपाल का सार्वजनिक मंत्र है। वैसे तो दुनिया के हरेक देश में आज संस्कृत की डिमांड है, लेकिन मुझे लगता है कि जर्मनी की जर्मन भाषा भी संस्कृत से निकली है। जर्मनी में आज 14 यूनिवर्सिटीज हैं, जहाँ संस्कृत के कोर्सेज चलाए जाते हैं।

जर्मन में चरकोलॉजी के नाम से एक डिपार्टमेंट भी है। जो हमारे चरक ऋषि हैं, वहाँ उनके नाम से एक अलग डिपार्टमेंट भी है। कई लोग ऐसा कहते हैं, मुझे पता नहीं कि यह सच है या नहीं, लुफ्थांसा जो जर्मन की एयर कैरियर है, उसका नाम भी संस्कृत भाषा से आया है। लुफ्थ मतलब खत्म और विलीन और हंस विशेष किस्म का एक पक्षी होता है, तो उसको मिलाकर यह शब्द लुफ्थांसा बना है। मुझे लगता है कि आज एल्गोरिथम भी संस्कृत भाषा में आ रहा है।

महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा। यह कहा जाता है कि 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्दों का प्रयोग महर्षि पाणिनी के समय से अब तक हुआ है। जो कंप्यूटर का एल्गोरिथम आ रहा है, अगर और 100 साल तक संस्कृत चली, तो ये जो शब्द डबल हो जाएंगे। इतनी प्राचीन भाषा संस्कृत है। यह दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा है, जो हजार साल पहले जैसी थी, वैसी ही आज भी है। इसी के साथ मैं यहाँ पर कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। आज हम यहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय को, तीन यूनिवर्सिटीज को केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्वरूप दे रहे हैं। इसी के साथ वहाँ पर टीचर्स की जो कमतरता है, 809 रेगुलर टीचर्स की कमतरता है, उसको भी फुलफिल करना चाहिए। इसी के साथ स्कूल लेवल पर जो संस्कृत पढ़ायी जाती है, हमारे समय में संस्कृत एक ऑप्शनल लैंग्वेज थी। थ्री भाषा सूत्र के अनुसार पहले ऐसा कहा गया था कि दो भाषा राज्य की भाषा होंगी और तीसरी भाषा दूसरे राज्य की भाषा होनी चाहिए, लेकिन अब आते-आते ऐसा हो चुका है कि दो भाषा हमारे राज्य की भाषा हों और तीसरी भाषा फॉरेन लैंग्वेज हो।

(1920/MY/RCP)

महोदय, मुझे आपके माध्यम से यह कहना है कि संस्कृत को थर्ड कम्पल्सरी लैंग्वेज के माध्यम से माना जाए, जैसे हमने योग को कम्पल्शन किया है, वैसी ही हमें संस्कृत को भी करना होगा। …(व्यवधान)

महोदय, मेरी बात खत्म होने वाली है। जैसे संस्कृत को ग्रामर के आधार पर पढ़ाया जाता है, मुझे लगता है कि इंगलिश भी ग्रामर के आधार पर पढ़ाया जाता है। अगर संस्कृत को आने वाले समय में संभाषण के तौर पर पढ़ाया जाए तो बच्चों की ज्यादा रूचि उसमें आएगी और ज्यादा से ज्यादा लोग संस्कृत का ऑप्शन करेंगे।

महोदय, मैं लास्ट में कहना चाहता हूं कि आज संस्कृत के लिए इतने सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे हिन्दी भाषा कमेटी है, वैसी ही संस्कृत के प्रचार के लिए भी अगर हम एक कमेटी बना दें तो पूरे देश में संस्कृत का प्रचार हो सकेगा और ज्यादा से ज्यादा संस्कृत के विश्वविद्यालय भी खोले जा सकते हैं। इसी के साथ मेरी एक लास्ट डिमांड है कि आज हम संस्कृत के लिए इतना सब कर रहे हैं। इसके अलावा, हमें मराठी भाषा के लिए भी कुछ करना है। हम कई सालों से डिमांड कर रहे हैं कि

**मराठी**

(इति)

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): It is a very good suggestion.

1921 hours

SHRI SAPTAGIRI ULAKA (KORAPUT): Thank you, Chairman, Sir, for giving me this opportunity. I rise to speak on the Central Sanskrit Universities Bill, 2019 which seeks to convert the existing three Deemed to be Universities in Sanskrit as Central Universities.

सर, मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूं। There is no reason why we should oppose the establishment of the Central Universities. But I would like to take you through the Statement of Objects and Reasons. इसमें आपने लिखा है कि it would help in getting better faculty, attract foreign students, Sanskrit scholars, foreign faculty of international repute and help in international collaborations with global Universities across the world. If I go to the Financial Memorandum, there is no increase in the Budgetary support. For example, the Deemed Universities which used to get Rs. 100 crore, Rs. 20 crore, and Rs. 18 crore, they still continue to have the same financial support.

I will share my own personal bad experience. In 2009, under the Act of Parliament, a Central University was established at Koraput. Sir, 10 years have passed and still it is not started. We have been flagging the issues through multiple MPs from multiple parties regarding the teaching staff. There are vacancies in teaching posts; we just recently got a Vice Chancellor. I personally followed up the issues regarding the Central University of Koraput. There used to be no Registrar; there used to be an acting VC. They cannot recruit staff. This has also been flagged in one of the Standing Committee Reports on challenges in higher education.

I would like to say that, firstly, teaching is not a lucrative profession for our students. They are not interested to join teaching profession any more. Secondly, since it is a rural area – I am talking about the Koraput University – they do not want to go there and profess teaching. Thirdly, the process of becoming a Professor is very long. I think, it takes 10 to 11 years before you can become a Professor or an Associate Professor or an Assistant Professor. This is something which you need to see and revisit. We can create multiple Universities but we need teaching staff also.

If I talk about the Sanskrit University, there was a Starred Question and the hon. Minister had replied just in June this year. If you look at it, there are 1748 sanctioned posts and there are 809 vacancies including 163 in Delhi itself where you have two Deemed Universities, and we are talking about 120 Universities throughout the country. This is a big problem which needs to be addressed. We just cannot go on creating a University without faculty, etc.

One of the suggestions which I want to make is this. We have multiple Universities. When we talk about the Central University, Koraput and when I

compare it with JNU, there are no credit rating agencies whereby we can say that such and such University is No. 1 or No. 2. A Central University is supposed to be a premier University but in the absence of any credit rating agency, we do not have any facility where we can actually compare. There is no facility of students giving the feedback to the Professors or any peer giving the feedback to the Professors, which happens in foreign countries.

(1925/MMN/MY)

One major thing, which we have seen, is excessive control and prescription of terms and conditions for important posts by the Central Government. This would result in blatant politicisation of academia and I think this needs to be controlled.

I would like to put some demands relating to the Central University of Koraput. We need to revisit the curriculum. We need to make it modern. We need to see how people are attracted. Our own people are not going to the Central University. Forget the people coming from foreign countries. Finally, can we have either an off-campus of the Sanskrit University in Rayagada district which happens to be part of my constituency?

Also, since Oriya is a classical language, I think, it is high time we need a Central University of Oriya. I hope you will bring a Bill for this. From Odisha, we all will immediately support the Central University of Oriya. That is what I have been requesting you. Thank you so much.

(ends)

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): The hon. Member hails from a place called Koraput. If you go to Koraput, you will find even today the description of nature's beauty and all those instances which are explained in Kalidasa's Kumarasambavam. That is the place where from the hon. Member hails. Other than Takshashila, Nalanda and Vikramashila, there was also another world-wide known, famous university which was called, Pushpagiri Vishwavidyalaya which had been mentioned by Huien Tsang in his travelogue. So, when we discuss these three universities, namely, Takshashila, Vikramashila and Nalanda, also remember about Pushpagiri which flourished for more than 300 years in the Sixth, Seventh and Eighth Century A.D.

Now, the hon. Minister to speak.

1927 बजे

**मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक):** श्रीमन, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सदन का समय दो बार बढ़ाकर इस महत्वपूर्ण बिल पर पूरे सदन का विचार प्रकट करने के लिए आपने अपना आर्शीवाद दिया।

श्रीमन, मैं देख रहा हूं कि अभी हमारे श्री बैन्नी बेहनन जी, डॉ. सत्यपाल जी, श्री ए. राजा जी, प्रो. सौगत राय जी, डॉ. सत्यावती जी, श्री कौशलेन्द्र कुमार जी, श्रीमती राजश्री मल्लिक जी, श्री हेमन्त पाटिल जी, कुंवर दानिश अली जी, श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, श्री सुब्बारायण जी, श्री राम मोहन नायडू जी, श्री अरविंद सावंत जी, श्री बशीर साहब, श्री गणेश सिंह जी, श्री अब्दुल खालेक जी, श्री सैयद इम्तियाज़ जी, श्री तिरुमावलवन थोल जी, श्री भगवंत मान जी, श्री रविन्द्रनाथ कुमार जी, श्री वीरेन्द्र कुमार जी, श्री रवि कुमार जी और श्रीमती प्रतिमा मंडल जी ने अपने विचार रखे। श्रीमती गीता जी ने संस्कृत में भाषण देकर इस सदन का गौरव बढ़ावा है। हमारे मंत्री श्री प्रताप सारंगी जी, युवा सदस्य श्रीकांत जी सहित लगभग 28 लोगों ने इस बिल पर बोला है। मुझे इस बात की खुशी है कि चाहे इधर के लोग रहे हों, चाहे उधर के लोग हों, लगभग सभी ने संस्कृत के गौरव को बढ़ाने की बात की है। संस्कृत की जो हमारी थाती है, उसका जो विशाल वैभव है, उसके बारे में न केवल विस्तार पूर्वक कहा गया, बल्कि इस बात की भी चिंता व्यक्त की गई कि यदि दुनिया के देशों में अगर इसको लेकर संजीदगी, जिज्ञासा और जिजीविषा है तो वे लोग उसको लेना चाहते हैं और आगे अपनी पीढ़ी को देना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि शायद इसी के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। ये जो तीनों डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, ये बहुत ही पहले से हैं। अब इनको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, ताकि वे अपने पूरे गौरव के साथ अनुसंधान कर सकें, आगे बढ़ सकें, संस्कृत की स्टडी के लिए बाहर के बच्चों को यहां ला सकें और अपने बच्चों को बाहर भेज सकें।

श्रीमन, मैं एक बात बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि यह हमारा हिन्दुस्तान है। हम विश्व गुरु रहे हैं। छोटी-छोटी बातों को लेकर न तो यहां भाषा का विवाद है, न क्षेत्र का विवाद है और न ही जाति, पंथ और धर्म का विवाद है।

(1930/CP/VR)

मैंने पहले भी कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिन: की बात करने वाला हिंदुस्तान, वसुधैव कुटुम्बकम की बात करने वाला हिुदस्तान, यदि वह अपने घर में ही छोटी बातों में उलझेगा, तो वह हिंदुस्तान नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान तो सारे विश्व के लिए वह हिंदुस्तान रहा है, जिसने असतो मा सद्गमय की बात की है, जिसने असत्य से सत्य की ओर चलने की बात की है, जिसने मृत्योर्मा अमृतं गमय की बात की है, जिसने मौत से भी हटकर अमरत्व पाने की बात की है, जिसने तमसो मा ज्योतिर्गमय की बात की है, जिसने अंधकार को मिटाकर के प्रकाश की ओर चलने की बात की है, हम छोटी बात नहीं कर सकते हैं।

यह जो संस्कृत की बात है, भाषा में लाकर इसको खड़ा करना, इससे ज्यादा दु:खद कुछ नहीं हो सकता है। यह भाषा की बात नहीं है। यह उस सम्पदा की बात है, जो भारत विश्व गुरु रहा है। मैंने शुरु में भी कहा कि एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन:, स्वं स्वं चरित्रम् शिक्षरेन् पृथ्वियां

सर्वमानव:, कोई तो बात रही होगी, जो सारी दुनिया के लोग यहां से आकर सीख कर जाते थे। भाषा की बात लाकर उसको उलझाना और छोटी बातों को करना, मैं बहुत विनम्रता से अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सभी भारतीय भाषाओं को हर कीमत पर सशक्त चाहते हैं। हमारी सारी भारतीय भाषायें तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली सहित जितनी भी भाषाएं है, 22 भारतीय भाषायें हैं, इन 22 भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी नहीं है। यह सबको समझ लेना चाहिए।

हमारे संविधान में बाबा साहेब ने जो लिखा, मैं इस सदन के सामने उसे जरूर पढ़ना चाहता हूं। यहां उन्होंने भाषा के संबंध में कहा कि हिंदी राजभाषा होनी चाहिए। मैं धारा 351 को पढ़ना चाहता हूं कि उनके मस्तिष्क में संविधान बनाते समय संस्कृत के प्रति और भारतीय भाषाओं के प्रति कितना आदर था और उन्होंने कितनी गम्भीरता से इस बात को लिया। संविधान की धारा 351 में कहा है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो, वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से और गौड़त: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें।

श्रीमन्, हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हमारा धर्म हमारा संविधान है। संविधान से यह देश चलता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज सभी भाषाओं में संस्कृत की जो शब्द सम्पदा है, वह दुनिया में सर्वाधिक है। इसमें कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह भाषा हमारी है। जो हमारी भारतीय भाषायें हैं, जब उन सभी भारतीय भाषाओं का विस्तार होगा, विकास होगा, तभी और भी भाषायें सशक्त हो सकती हैं। हम सभी भारतीय भाषाओं को सशक्त करने के पक्षधर हैं और हर कीमत पर उसको सशक्त करना चाहते हैं।

श्रीमन् क्या यह सच नहीं है कि भाष्कराचार्य जी के अद्भुत ग्रंथ आज पूरी दुनिया लेकर जा रही है? क्या उन ग्रंथों में ज्ञान और विज्ञान समाहित है, क्या उसको इस देश को नहीं पढ़ना चाहिए और क्या इस देश के लोगों को उस ज्ञान और विज्ञान को नहीं जानना चाहिए? क्या आर्य भट्ट को कोई नकार देगा? आर्य भट्ट ने जितना भी काम किया, उसके संस्कृत में ग्रंथ हैं। यदि गणित में शून्य को लेकर सारी दुनिया आर्य भट्ट को पढ़ा रही है, तो मेरी धरती पर आर्य भट्ट क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। मुझसे जुड़ी हुई चीजों को, मेरी पीढ़ी को, मेरे देश की समृद्धता को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? मैं समझता हूं कि जो भी ज्ञान हो, किसी भी भाषा में हो, जितनी भी मेरी भारतीय भाषायें होंगी, यदि उनमें ज्ञान का भंडार होगा, तो उसका उपयोग हमें हर हालत में करना है।

(1935/NK/SAN)

केवल एक भाषा की बात नहीं है, संस्कृत विश्वविद्यालय बन रहा है इसलिए चर्चा हो रही है। इसे भाषा पर नहीं लाना चाहिए। क्या यह सही नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है, पाणिनि जैसा व्याकरण दुनिया में कहां है? हम चुनौतीपूर्वक कहते हैं, दुनिया के लोगों को बताओ, हम अपने को संशोधन कर देंगे। यदि आपके पास पाणिनि से बड़ा कोई संस्कृत का व्याकरण है तो बताएं। जिस

दिन आप हमको समझा देंगे, उस दिन हम अपनी बात को वापस ले लेंगे। इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं कि पाणिनि व्याकरण से दूसरा बड़ा कोई व्याकरण है। यदि इस देश का व्यक्ति पाणिनि के व्याकरण की बात करता है। दुनिया के विद्वानों ने पाणिनि और अन्य ग्रंथों के बारे में क्या कहा है? मेरे पास पचास-साठ पेजज पड़े हुए हैं, तीन सौ सालों से क्या-क्या बोला जा रहा है, कब-कब बोला जा रहा है, मैं उसका विवरण दे सकता हूं।

श्रीमन, चरक संहिता को दुनिया पढ़ाए, आयुर्वेद के पीछे दुनिया के लोग आकर खड़े हैं। योग: कर्मसु कौशलम्, योग के पीछे आखिर कुछ बात तो होगी, यह बात सही है। हमारे कुछ वक्तओं ने भी कहा, यूनान, मिश्र और रोम सब मिट गए, लेकिन हम अब तक है, बाकी नामो निशां हमारा कुछ बात है कि हस्ती, मिटती नहीं हमारी, कुछ तो बात है। यह जो कुछ बात है, इसको बनाए रखने की जरूरत है। हमारी गवर्नमेंट इसके लिए कटिबद्ध है।

हमारे प्रधान मंत्री जी ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास कहा है, इसका मूल मंत्र इसी से होकर गुजरता है। हम सशक्त भारत की कल्पना करते हैं। जो सशक्त भारत हो, जो स्वच्छ भारत हो, जो समृद्ध भारत हो, एक भारत और श्रेष्ठ भारत हो। श्रेष्ठ भारत, जो पहले विश्वगुरू के रूप में विख्यात था, वही भारत फिर चाहिए। वह नरेन्द्र मोदी जी की ही अगुवाई में ही संभव हो सकता है और उसका रास्ता इधर से होकर गुजरता है। …(व्यवधान)

मुझे खुशी है कि आज सौगत दादा सबसे ज्यादा खुश हैं क्योंकि सौगत दादा ने सबसे पहले कहा था कि देश में संस्कृत का विकास होना चाहिए। आज वह सबसे ज्यादा खुश हैं। मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि वह सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। ज्योतिष विज्ञान या वास्तुकला हो, वास्तुकला में भी श्रेष्ठता है, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे वेद, पुराण, न्याय शास्त्र या नीति शास्त्र हो।

1938 बजे (श्री कोडिकुन्निल सुरेश पीठासीन हुए)

हम इसलिए इन विश्वविद्यालयों को बना रहे हैं कि भाषा के जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें ज्ञान और विज्ञान है। उसको यह पीढ़ी नए अनुसंधान के साथ पढ़े। मुझे इस बात का अफसोस है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता।

यह लिखा हुआ है कि विज्ञान के साथ आगे बढ़ें, इनको पता नहीं है कि इन ग्रंथों में कौन सा विज्ञान नहीं छिपा है। दुनिया के जितने भी बड़े-बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने उसका संदर्भ दिया है। यह ज्ञान-विज्ञान छपा है। इसे केवल पढ़ना नहीं है, मैं जिसकी बात कर रहा हूं, वे सब ग्रंथ चाहे वह न्याय हो या नीति हो, चाहे पराशर मुनि के बारे में कहा था, उससे बड़ा कृषि विज्ञान क्या होगा। भरत मुनि से बड़ा नाट्य शास्त्र क्या होगा। ये जितने भी हैं, इन विश्वविद्यालयों को, उस रूप में हमारी प्राचीन सम्पदा विकसित करके, हम आगे बढ़ा सकें, उसे नवाचार के साथ ला सकें। जो उसमें ज्ञान-विज्ञान है, उसे नए परिप्रेक्ष्य में अनुसंधान करके हम आगे बढ़ सकें। यदि मैं सभी माननीय सदस्यों का अलग-अलग उत्तर दूं, मेरे पास सभी के उत्तर हैं। यदि आप इजाजत दें, तो मैं एक-एक करके उत्तर देता हूं।

(1940/MK/SM)

अब यदि जरूरत नहीं है तो कहना चाहता हूं कि मैं इस पूरे सदन का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने इस बिल के समर्थन में बोला है।

दूसरा, मैं भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण के लिए आश्वासन देता हूं। यह सरकार चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, गुजराती हो, मराठी हो, बंगाली हो सारी भाषाओं को हम सशक्त करेंगे। लेकिन, मैं आपके माध्यम से राजा जी से कहना चाहता हूं कि जो तमिल परिषद् के बारे में कहा है, एक और माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा कहा कि इतने समय से निदेशक नहीं है। तमिल भाषा का जो परिषद् है, उसके अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्री होते हैं। यह केवल तमिल भाषा पर ही है। मेरे से पहले मंत्री जी ने और मैंने इस संबंध में तीन पत्र दिए हैं। पिछले तीन सालों से उस कमेटी का गठन नहीं हुआ है। चूंकि इसमें उनकी अध्यक्षता है, वह गठन करेंगे तभी यह आगे बढ़ेगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप उसका गठन कीजिए तमिल भाषा के लिए जो संभव हो सकता है, वह हम करेंगे।…(व्यवधान) लेकिन तीन सालों से गठित नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण के पक्षधर हैं। हम भारत को महान बनाना चाहते हैं। भारत तभी महान बनेगा, जब हमारी ये भाषाएं सशक्त होंगी और सबल होंगी। मैं प्रेमचन्द्रन से कहना चाहता हूं, ये सबसे सीनियर व्यक्ति हैं। आपने जो सात बिन्दु उठाए हैं, ये लगभग सभी विश्वविद्यालयों की भाषा है। अगर हम इसको नहीं डालते तो आप खड़े होकर जरूर कहते कि आपने यहां क्यों नहीं लिखा कि यह विश्वविद्यालय सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी पंथों के लिए खुला होगा। यदि किसी के मन में थोड़ा भी संदेह होगा तो वह धुल जाएगा।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): We are fully supporting it.

**डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक:** आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर सबका आभार प्रकट कर रहा हूं। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Let him complete.

**डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक:** आज जब दादा बोल रहे थे तो 'गीता' पर चले गए थे, आत्मा से परमात्मा पर चले गए थे। दादा ने कहा

"नैनं *छिन्दन्ति* शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥"

उन्होंने यह भी कह दिया कि- "*वासांसि जीर्णानि* यथा विहाय।" गीता किसी धर्म और जाति का नहीं है, गीता तो दर्शन है। यह आत्मा का परमात्मा से जोड़ने का और 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' का है। इसलिए मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं और सारे सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे ध्वनिमत से इस बिल का समर्थन करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): The question is:

"That the Bill to establish and incorporate Universities for teaching and research in Sanskrit, to develop all-inclusive Sanskrit promotional activities and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

HON. CHAIRPERSON: Now the House will take up clause-by-clause consideration of the Bill.

**Clauses 2 to 47**

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That Clauses 2 to 47 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clauses 2 to 47 were added to the Bill.*

---

**First Schedule**

HON. CHAIRPERSON: Shri Abdul Khaleque, are you moving the amendment?

**श्री अब्दुल खालेक (बारपेटा):** मैंने पहले ही कहा था कि असम के प्रागज्योतिषपुर और कामरूप में संसकृत की बहुत चर्चा होती है। मैं मंत्री से आग्रह करूंगा कि अगर वे असम में स्पेशिएली बोजाली कैम्पस में एक नया यूनिवर्सिटी बनाएंगे, अगर मंत्री जी खड़ा होकर कुछ बोलेंगे तो।

HON. CHAIRPERSON: Are you moving the amendment or not?

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): Sir, I beg to move:

Page 16, *after* line 15, insert,-

"12. Assam Bojali campus of Barpeta District.". (1)

HON. CHAIRPERSON: I shall now put amendment No. 1 to First Schedule moved by Shri Abdul Khaleque to the vote of the House.

*The amendment was put and negatived.*

(1945/AK/RPS)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That First Schedule stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*First Schedule was added to the Bill.*

*Second Schedule was added to the Bill.*

*Clause 1, the Enacting Formula, and the Title were added to the Bill.*

---

HON. CHAIRPERSON: Now, the Minister may move that the Bill be passed.

**डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक:** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That the Bill be passed."

*The motion was adopted.*

---

**(FOR REST OF THE PROCEEDINGS, PLEASE SEE THE SUPPLEMENT.)**